लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड 43, 1965/1887 (शक)

Volume XLIII, 1965/1887 (Saka)

(3 से 11 मई, 1965 तक/13 से 21 वैशाख, 1887 (शक)
May 3 to 11, 1965/Vaisakha 13 to 21, 1887 (Saka))

Preservation 27-5-92
Fumigated 20.12.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

(खण्ड 43 में अंक 51 से 57 तक हैं)
(Vol. XLIII contains Nos. 51 to 57)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 55—शुक्रवार, 7 मई, 1965 / 17 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1224	भारी बिजली सामान परियोजना, हरिद्वार	5293—95
1225	कार के पुर्जे	5295—98
1226	हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० भोपाल	5298—5301
1227	कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे	5301—04
1228	रेलवे में आयोजन तथा गतिहीनता	5304—07
1230	भारतीय विज्ञापन एजेंसियां	5307—10
1231	हिरी खानें	5311
1232	मोटरगाड़ियों के पुर्जे	5311—12
1233	विदेशी सहयोग	5313
1234	आस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग	5315

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

14	न्यूयार्क विश्व मेला	5316
15	पटना में कोयले की कमी	5320

प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
1229	चावल निकालने का यंत्र	5321
1235	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	5322
1236	कोयले से गैसोलिन का उत्पादन	5322
1237	राज्यों द्वारा इस्तपात कारखानों का खोला जाना	5323
1238	आसाम में सूक्ष्म-तरंग बेतार संचार व्यवस्था	5323
1239	कागज़ विपणन निगम	5324
1240	कच्चे पटसन का आयात	5324
1241	धातु-कार्मिक कोयला	5324—25
1242	सिंदरी विशेष रेलगाड़ी का लूटा जाना	5325

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

CONTENTS

No. 55.— *Friday, May* 7, 1965/*Vaisakha* 17, 1887 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Question Nos.	Subject.	PAGES
1224	Heavy Electricals Project at Hardwar	5293-95
1225	Car Components . .	5295-98
1226	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	5298-5301
1227	Circular Railway for Calcutta .	5301-04
1228	Planning and Stagnation on Railways	5304-06
1230	Indian Advertising Agencies	5307-10
1231	Hirri Mines . .	5311
1232	Automobile Ancillaries	5311-12
1233	Foreign Collaboration . . .	5313
1234	Economic Collaboration with Australia.	5315

Short Notice Question Nos.		
14	New York World Fair . .	5316
15	Shortage of Coal in Patna . . .	5320

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
1229	Rice Milling Equipment . . .	5321
1235	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	5322
1236	Production of Gasoline from Coal	5322
1237	Setting up of Steel Plants by States	5323
1238	Microwave Wireless Communication System in Assam .	5323
1239	Paper Marketing Corporation . .	5324
1240	Import of Raw Jute .	5324
1241	Metallurgical Coal . .	5324-25
1242	Looting of Sindri Special Train	5325

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1243	न्यूयार्क विश्व मेला	5326
1244	केनिया को कपड़े का निर्यात	5326–27
1245	छोटी कार परियोजना	5327
1246	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	5327–28

अतारांकित

प्रश्न संख्या

3254	संभरण विभाग द्वारा खरीदा गया सामान	5328
3255	उड़ीसा में रेशम उद्योग	5328
3256	कटाबांज स्टेशन के निकट हनुमान मन्दिर	5329
3257	ओखला केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्तियां	5329–30
3258	नारियल जटा उद्योग समिति	5330–31
3259	तेल्लिचेरी--कुर्ग रेल सम्पर्क	5331
3260	मूंगफली के तेल के निर्यात को बन्द करना	5331
3261	मूंगफली के तेल का निर्यात	5331–32
3262	दक्षिण रेलवे पर यात्री सुविधायें	5332–33
3263	पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना	5333
3264	जोधपुर डिवीजन में पानी की कमी	5333–34
3265	लघु उद्योग सेवा संस्थायें	5334
3266	भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंध	5334–35
3267	रेलवे वर्दी	5335
3268	समस्तीपुर से नरकटियागंज तक बड़ी लाइन	5335
3269	रेलवे गार्ड	5335–36
3270	जूट की वस्तुओं का निर्यात	5336–37
3271	घड़ी के पुर्जों का निर्माण	5337
3272	कपड़े का निर्यात	5337
3273	कपड़े का उत्पादन	5338
3274	रूरकेला उर्वरक कारखाना	5338
3275	उद्योगों को दिल्ली शहर से बाहर ले जाना	5339
3276	लघु आविष्कार विकास बोर्ड	5339–40
3277	चाय के उत्पादन की लागत	5341
3278	पिंजौर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी	5341
3279	चाय का निर्यात	5341–42
3280	रबड़ की खपत	5342
3281	रेलवे वेगनों से सामान की चोरी	5342–43
3282	शेरगढ़ स्टेशन पर प्रहार की घटनायें	5343
3283	जम्मू तथा काश्मीर में धंसने वाला गांव	5343

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
1243	New York World Fair	5326
1244	Export of Textiles to Kenya	5326–27
1245	Small Car Project . . .	5327
1246	National Coal Development Council	5327–28

Unstarred Question Nos.		
3254	Purchase made by Department of Supply	5328
3255	Sericulture in Orissa	5328
3256	Hanuman Temple near Kantabanj Railway Station	5329
3257	Scholarships to Trainees of Okhla Centre	5329–30
3258	Coir Industries Committee .	5330–32
3259	Tellicherry-Coorg Rail Link .	5331
3260	Stoppage of Export of Groundnut Oil .	5331
3261	Export of Groundnut Oil . . .	5331–32
3262	Passenger Amenities on Southern Railway	5332–33
3263	Newsprint Plant in Punjab . .	5333
3264	Shortage of Water in Jodhpur Division	5333–34
3265	Small Industries Service Institutes	5334
3266	Indo-U.K. Trade Relations	5334–35
3267	Railway Uniforms	5335
3268	B.G. Line from Smastipur to Narkatiaganj	5335
3269	Railway Guards	5335–36
3270	Export of Jute Goods	5336–37
3271	Manufacture of Watch Components	5337
3272	Export of Textiles	5337
3273	Production of Textiles	5338
3274	Rourkela Fertiliser Factory . .	5338
3275	Shifting of Industries outside Delhi City	5339
3276	Small Scale Inventions Development Board .	5339–40
3277	Cost of Tea Production	5341
3278	H.M.T. Factory at Pinjore .	5341
3279	Export of Tea .	5341–42
3280	Consumption of Rubber	5342
3281	Goods stolen from Railway Wagons	5342–43
3282	Assault Incidents at Shergarh Station	5343
3283	Sinking Village in J & K	5343

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3284	गोआ खानों का राष्ट्रीयकरण . .	5344
3285	"कलोराडाइज़ेपोक्साइड" का आयात .	5344
3286	मैसर्स आई० सी० सी० (कायनाइट) लिमिटेड	5345
3287	मसालों का निर्यात .	5345
3288	पाकिस्तान से व्यापार में कमी .	5345
3289	भटनी स्टेशन पर अफीम का पकड़ा जाना	5345–46
3290	मिर्ज़ापुर स्टेशन पर अग्निकांड .	5346
3291	दिल्ली का बड़ा रेलवे स्टेशन	5346
3292	लोकोमोटिव वर्कशाप, अमृतसर . .	5347
3293	दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाना . .	5347–48
3294	दुर्गापुर के धातु मिश्रित इस्पात कारखाने की भट्टियां	5348
3295	ईरान, लंका तथा नेपाल में उद्योगों की स्थापना	
3296	राजहारा खान में दुर्घटना . . .	5349
3297	पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय में हिन्दी का प्रयोग	5349–50
3298	दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ी में एक अधिकारी की मृत्यु	5350
3299	रतलाम स्टेशन पर सोने तथा नगदी का पकड़ा जाना	5350–51
3300	पूर्वोत्तर रेलवे पर पार उतराई व्यवस्था	5351
3301	ईंजनों का कम उपयोग	5351
3302	एयर गनों का निर्माण .	5351–52
3303	नंगल में ट्रैक्टरों का निर्माण	5352
3304	रेलवे कर्मचारियों को सुविधायें	5352–53
3305	मद्रास में औद्योगिक बस्तियां	5353–54
3306	उत्तर बिहार में कागज मिलें . . .	5354
3307	भारतीय औद्योगिक कम्पनियों में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पूंजी लगाना .	5354
3308	पश्चिम यूरोप के देशों को निर्यात	5355
3309	साफ्ट कोक पर उपकर	5355–56
3310	राजकोट में एलूमीना कारखाना . .	5356
3311	रेलवे कर्मचारियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान करना .	5356
3312	रेलवे लाइनों पर सीमेण्ट के स्लीपर .	5357
3313	रेलवे में "गेट टुगेदर" समारोह	5357
3314	डीज़ल इंजन . .	5357
3315	औद्योगिक संस्थानों की डाइरेक्टरी	5358
3316	अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल	
3317	फल व्यापारियों के अभ्यावेदन	
3318	पंजाब में छोटे उद्योग .	5358
3319	कार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति	5358–59

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
3284	Nationalisation of Mines in Goa .	5344
3285	Import of Choradiazepoxide	5344
3286	Messrs. I.C.C. (Kyanite) Ltd.	5345
3287	Export of Spices . .	5345
3288	Decline in Trade with Pakistan	5345
3289	Seizure of Opium at Bhatni Station	5345–46
3290	Fire incident at Mirzapur Station	5346
3291	Delhi Main Railway Station	5346
3292	Locomotive Workshop, Amritsar .	5347
3293	Durgapur Alloy Steel Project . .	5347–48
3294	Furnaces of Durgapur Alloy Steel Factory . .	5348
3295	Setting up of Industries in Iran, Ceylon and Nepal	
3296	Accident at Rajhara mine . . .	5349
3297	Use of Hindi in N.E. Rly. Hqrs. Office .	5349–50
3298	Death of an Officer in Southern Express Train	5350
3299	Seizure of Gold and cash at Ratlam Station .	5350–51
3300	Ferry Service on N.E. Railway	5351
3301	Low Utilization of Engines .	5351
3302	Manufacture of Air Guns .	5351–52
3303	Manufacture of Tractors at Nangal .	5352
3304	Amenities to Railway Employees .	5352–53
3305	Industrial Estates in Madras	5353–54
3306	Paper Mills in North Bihar	5354
3307	U.S. Investment in Indian industrial Ventures	5354
3308	Exports to West European Countries	5355
3309	Cess on soft coke	5355–56
3310	Alumina Plant at Rajkot . .	5356
3311	Award of Medals and Crtificates to Railway Staff	5356
3312	Cement Sleepers on Railway Tracks	5357
3313	'Get together' Function in Railways	5357
3314	Diesel Locomotives . . .	5357
3315	Directory of Industrial Undertakings	5358
3316	International Chamber of Commerce	
3317	Representation from Fruit Merchants	
3318	Small Scale Industries in Punjab	5358
3319	Appointment of Personnel Officers	5358–59

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3320	सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का आवंटन	5359–60
3321	रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बचाव उपाय	5360–61
3322	चैकोस्लोवाकिया को कपड़े तथा जूतों का निर्यात	5361
3323	भद्रावती के निकट इस्पात ढलाई घर	5361–62
3324	उत्तर रेलवे के मुख्यालय के हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	5362
3325	रेलवे औषधालयों में औषधियां	5362
3326	महाराष्ट्र में औद्योगिक लाइसेंस	5363
3327	महाराष्ट्र को अलोह धातुओं का नियतन	5363–64
3328	डीज़ल से चलने वाले इंजन	5364
3329	मांड का उत्पादन	5364–65
3330	वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम	5365
3331	विजयनगरम् के आस-पास फासफेट के निक्षेप	5365
3332	दिल्ली में झुग्गी निवासी	5365–66
3333	दिल्ली-मद्रास एक्सप्रैस गाड़ी से अवैध शराब का बरामद होना	5366
3334	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	5367
3335	चीनी के कोटे की ढुलाई के लिये वैगन	5367–68
3335-क.	स्वर्गीय श्री नेहरू के चित्र वाले विज्ञापन	5368
3335-ख	मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के शेयर	5369
3335-ग	रामचन्द्रपुरम् में बिजली का भारी सामान बनाने की परियोजना	5369
3335-घ	इंडोनेशिया में वाणिज्यिक उद्यम	5369–70
	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के बारे में दिनांक 30 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2861 के उत्तर की शुद्धि	5370

विशेषाधिकार का प्रश्न 5370–71

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न) 5371–72

सभा-पटल पर रखा गया पत्र 5372

कच्छ सीमा की स्थिति के बारे में 5372–75

सदस्य द्वारा दी गई लेख याचिका के बारे में 5375

सभा का कार्य 5380

दक्षिणी रोडशिया से भारतीय राजनयिक मिशन हटायें जाने के बारे में वक्तव्य

श्री दिनेश सिंह 5385

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
3320	Allotment of Scooters to Government Employees .	5359–60
3321	Safety Measures for Controlling Railway Accidents	5360–61
3322	Export of Cloth and Shoes to Czechoslovakia	5361
3323	Steel Foundry near Bhadravathi .	5361–62
3324	Hindi knowing staff in N. Rly. Hqrs. Office .	5362
3325	Medicines in Railway Dispensaries	5362
3326	Industrial Licences in Maharashtra	5363
3327	Allotment of non-ferrous metal to Maharahstra	5363–64
3328	Diesel Engines .	5364
3329	Production of Starch	5364–65
3330	Public Address System in A.C. Express Trains	5365
3331	Phosphate Deposits around Vizianagram	5365
3332	Jhuggi Dwellers in Delhi	5365–66
3333	Recovery of Illicit Liquor from Delhi-Madras Express Train	5366
3334	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	5367
3335	Wagons to carry sugar quotas . . .	5367–68
3335-A	Late Shri Nehru's Picture on Advertisements	5368
3335-B	Shares of M/s. Jessop and Company Ltd.	5369
3335-C	Heavy Electricals Project, Ramchandrapuram	5369
3335-D	Commercial Enterprises in Indonesia .	5369–70
	Correction of answer to US Q No. 2861 dated 30-4-65, regarding Quarters for Railway Employees . .	5370
	Question of Privilege	5370–71
	Re : Motion for Adjournment (Query)	5371–72
	Paper laid on the Table	5372
	Re : Situation on Kutch border	5372–75
	Writ Petition by a Member	5375
	Business of the House	5380
	Statement re : withdrawal of Indian Diplomatic Mission from Southern Rhodesia —	
	Shri Dinesh Singh	5385

विषय	पृष्ठ
केरल के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में संकल्प	
तथा	
केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	5385
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री हाथी	5386
खण्ड 2 और 3 .	5390
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासठवां प्रतिवेदन .	5391
भारतीय सीमाओं की रक्षा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	
श्री कृष्णपाल सिंह .	5391–95
श्री अ० च० गुह	5395–96
श्री रंणजय सिंह .	5396
श्री गौरी शंकर कक्कड़	5397
श्री लीलाधर कटकी	5397–98
श्री बागड़ी .	5398
श्री प्रकाशबीर शास्त्री .	5398–99
श्री च० का० भट्टाचार्य .	5399
श्री यशपाल सिंह	5399–5400
डा० मा० श्री० अणे .	5400
श्री कन्डप्पन .	5401
श्री बसुमतारी .	5401
श्री हेडा .	5401
श्री अ० म० थामस . . .	5402
नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के बारे में संकल्प	
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : . . .	5405
खनिकों को जूते दिये जाने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा	
श्री किशन पटनायक . . .	5405
श्री संजीवय्या	5407
सदस्य द्वारा कही गई कुछ बातों को सभा के कार्यवाही-वृतांत से निकालना	5407–08

Subject	PAGES
Resolution re : Proclamation in relation to Kerala and Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill	5385
Motion to consider—	
Shri Hathi	5386
Clauses 2 and 3	5390
Committee on Private Members' Bills and Resolutions — Sixty-sixth Report	5391
Resolution re : Defence of Indian Borders—*Negatived*	
Shri Krishnapal Singh	5391–95
Shri A.C. Guha	5395–96
Shri Rananjay Singh	5396
Shri Gauri Shankar Kakkar	5397
Shri Liladhar Kotoki	5397–98
Shri Bagri	5398
Shri Prakash Vir Shastri	5398–99
Shri C. K. Bhattacharyya	5399
Shri Yashpal Singh	5399–5400
Dr. M. S. Aney	5400
Shri S. Kandappan	5401
Shri Basumatari	5401
Shri Heda	5401
Shri A. M. Thomas	5402
Resolution re: Ceiling on urban property —	
Shri P. R. Chakraverti	5405
Half-an-hour Discussion re : supply of shoes to Miners—	
Shri Kishen Pattnayak	5405
Shri D. Sanjivayya	5407
Expunction of certain remarks by a Member	5407–08

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 7 मई, 1965/17 वैशाख, 1887 (शक)

Friday, May 7, 1965 Vaisakha 17, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Heavy Electricals Project at Hardwar

+

*1224. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P.H. Bheel :
Shri Maheshwar Naik :
Shri Koya :
Shri M. Rampure :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 232 on the 21st February, 1964 and state :

(a) the progress since made in the construction of the Heavy Electricals Plant at Ranipur (Hardwar) ;

(b) when the construction work is likely to be completed ; and

(c) whether production has started in the portion of the factory so far completed ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) सोवियत सम्भरण कर्त्ताओं से 23.43 करोड़ रुपए के मूल्य की मशीनें और उपकरण, निर्माण सम्बन्धी सामान तथा खाके आदि का सम्भरण करने के लिये मई, 1964

में करार किया गया था। निर्माण सम्बन्धी कुछ सामान और उपकरण प्राप्त भी हो गये हैं। उत्पादन करने वाली प्रमुख इमारतों और सहायक शापों का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। कुछ इमारतों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिनमें सेंट्रल प्लांट स्टोर, तेल तथा रसायन स्टोर और चिकित्सा एकक शामिल हैं।

इस समय छः रूसी विशेषज्ञ निर्माण स्थल पर मौजूद हैं। अब तक 136 इंजीनियर उच्च प्रशिक्षण के लिए सोवियत रूस भेजे जा चुके हैं। 60 इंजीनियर प्रशिक्षण पूरा करके लौट आये हैं। 21 फोरमैन एवं कुशल कारीगरों के भी शीघ्र ही सोवियत रूस भेजे जाने की आशा है।

तत्काल निर्माण किये जाने के लिये स्वीकृत 1299 मकानों में से 830 मकान बन कर पूरे हो चुके हैं। शेष का काम भी हो रहा है।

(ख) निर्माण कार्य 1967 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) कारखाने का निर्माण करने के लिए ढांचा बनाने वाले जिस इस्पात की आवश्यकता होगी उसका निर्माण स्टील स्ट्रक्चरल ब्लाक में हो रहा है। मोटरों का निर्माण दिसम्बर, 1965 से आरम्भ किये जाने की आशा है।

Shri Prakash Vir Shastri : When this factory was about to be established, the Government has announced that the children of those farmers, whose lands had been acquired, would be given preference in the matter of employment in that factory. But now it has been found out that those poor persons are wandering idly and persons from outside have been employed. I want to know why Government is not fulfilling its commitments.

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh): So far as the question of giving employment in this factory is concerned, we shall definitely give preference to the residents of that place. But certain qualifications are essential in respect of persons to be taken for specialised training. Keeping this in view whatever is possible will be done. Apart from that we hope to give employment to more persons in the ancillary industries to be started in the neighbouring area. That factory is still under construction and therefore, recruitment is not being done at full scale. As the work progresses, there will be more scope for employment.

Shri Prakash Vir Shastri : Several lakhs of acres of land which Government acquired for the construction of this factory is lying useless for the last so many years—neither the factory has been established, nor anything can be produced there. The Government could acquire the land just before the construction of the factory. Why it has been left idle for such a long time.?

Shri T. N. Singh : There is no such thing. Lakhs of acres of land has not been acquired. Some land has, of course, been acquired, out of which about 200 acres has been set aside for ancillary industries so that the people of that place can get more employment.

Shri Onkar Lal Berwa : What would be the capacity of this factory after its construction is completed What is the foreign exchange component and the contribution to be given by the Government of India ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इसकी पूंजीगत लागत 68.02 करोड़ रुपये है जिसमें 20 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : What will be contribution of the Government of India and capacity of the factory ?

Mr. Speaker : Let the factory be first established.

Shri Onkar Lal Berwa : What would be its capacity ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : पूर्ण क्षमता पर उत्पादन का अनुमानित मूल्य प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये होगा ।

Shri Sheo Narain : The Minister said that for employment in that factory minimum qualifiation is required. I want to know the minimum qualifications prescribed for employment there.

Shri T. N. Singh : There are varying qualifications for varying items ot work.

Shri Bibhuti Mishra : How far the sight selected by Government for this factory is economical and had this factory been installed at some other place, like Chhota Nagpur, how far more economical it would have proved?

Shri T. N. Singh : This cite has been selected by the Committee after going round various places and this has been considered to be the best of them.

Shri D. N. Tiwary : The Public undertakings have developed a tendency of acquiring more and more of land and afterwards the land remains without putting any use for a long time. The hon. Minister denied lakhs of acres of land having been acquired for this factory. I want to know the exact area of land acquired and the date when acquired.

Shri T. N. Singh : How much land has been acquired, I require notice for answering this part of the question, but I want to assure that Government....

श्री कपूर सिंह : यह लोगों का लूटने का तरीका है ।

Shri T.N. Singh :....have no intentions to acquire more land than what is needed. Of course we have to make arrangements for the expansion of the factory beforehand, otherwise many complications can arise later on.

Car Components

*1225. +
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri R. S. Tiwary :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) the number of car manufacturing units in the county who were given foreign exchange for the import of car components during the last ten years ;

(b) the progress made so far by these manufacturing units for attaining self-sufficiency in the production of components and reducing imports thereof ;

(c) whether these units have demanded more foreign exchange for their expansion and increasing production ; if so, how much and the decision taken by Government thereon ; and

(d) the results of the steps taken by Government to check profiteering and to remove defects in the manufacture of cars ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (घ) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) तीन।

(ख) तीन निर्माताओं में से प्रत्येक ने जितने जितने देशी पुर्जे तैयार किये वे नीचे दिखाये गये हैं :—

निर्माता का नाम	कार का मेक	तैयार किये गये देशी पुर्जों का प्रतिशत
मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता	हिन्दुस्तान एम्बासेडर	83.05
मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०, बम्बई	फिएट	74.00
मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, मद्रास	स्टैन्डर्ड हेराल्ड	70.34

(ग) कारों का निर्माण करने के लिये निर्माताओं के विस्तार कार्यक्रमों के लिए, जिसमें उनकी विदेशी मुद्रा की आवश्कताएं भी शामिल हैं, अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण निर्माताओं ने जितनी मात्रा में पुर्जों। कच्चे माल का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन के लिये आवेदन किया है, उनकी वह आवश्यकता पूरी कर सकना सम्भव नहीं है।

(घ) मोटर कार (वितरण तथा बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1959 मुनाफाखोरी को रोकने की दृष्टि से प्रचलित कर दिया गया था। नई कार को उसके खरीदने की तारीख से दो वर्ष के अन्दर नियंत्रक। मोटर कारों के राज्य नियंत्रक की अनुमति प्राप्त किये बिना नई कार के रूप में नहीं बेचा जा सकता है। राज्य नियंत्रकों को ये निदेश दे दिये गये हैं कि वे पुनः बिक्री के लिये अनुमति देने से पहले इस बात से सन्तुष्ट हो जायें कि यह सौदा सद्भाव से किया गया है और इसमें मुनाफा कमाने की बात नहीं है।

किस्म में सुधार करने और कारों के निर्माण में खराबियों की दूर करने की आवश्यकता पर निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया गया है। जब कभी खराबियों के बारे में शिकायतें मिलती हैं तो दूर करने के लिये उन्हें निर्माताओं की जानकारी में लाया जाता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या ऐसा कोई एकक है जो किसी विदेशी फर्म के सहयोग से पुर्जे आयात कर रहा है और उन्हें यहां पर जोड़ रहा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मुख्य प्रश्न पुर्जों से सम्बन्धित है, न कि कार से । क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं ?

श्री स० चं० सामन्त : मैं पुर्जों के बारे में जानना चाहता हूं, क्या उन विदेशी फर्मों के द्वारा ये पुर्जे लाये जाते हैं जिनका हमारी फर्मों के साथ सहयोग है, और उन पुर्जों को यहां पर जोड़ा जा रहा है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : सामान्यतः विभिन्न औद्योगिक एककों को विभिन्न प्रकार के पुर्जों के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं, और उन पुर्जों के शीघ्र निर्माण के लिये कभी-कभी कुछ फालतू पुर्जे और मुख्य पुर्जों में लगने वाले छोटे पुर्जों का आयात करना पड़ता है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या ये तीनों एकक इन पुर्जों को अपनी ही फर्मों में बना रहे हैं अथवा उन्होंने इस प्रयोजन के लिये अनुषंगी अथवा अन्य फर्में खोली हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ये तीन एकक मुख्य उतपादक हैं। वे कार या गाड़ी के कुछ पुर्जे बनाते हैं। अन्य वस्तुएं सहायक उद्योगों द्वारा बनाई जाती हैं ; उनका उत्पादन अनेक सहायक उद्योगों में बंटा हुआ है ।

Shri R. S. Tiwary : May I know whether these three units, which have been issued licences for the manufacture of components, undertake the manufacture of components within the country or are simply assembling them after importing; if they are importing, the time by which self-sufficiency is likely to be achieved ?

Shri T. N. Singh : I said that these three units manufactured a very small number of components. They are mostly manufactured in the ancillary units.

श्री अल्वारेस : विवरण से पता लगता है कि कारों के निर्माण के सम्बन्ध में जो शिकायतें दी जाती हैं उनका कोई संतोषजनक हल नहीं है । यदि माडलों की किस्म में सुधार नहीं होता तो क्या सरकार निर्माण लाइसेंस को वापस लेने पर विचार करेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसे किसी मामले के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच की जायेगी ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि देशी कार-पुर्जे निम्न स्तर के होते हैं और उनकी कीमत भी अधिक होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे औद्योगिकरण को वांछनीय समझती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह: सहायक उद्योगों के विरुद्ध इस प्रकार का व्यापक आरोप लगाना उचित नहीं है । इनमें से अधिकांश छोटी इकाइयां हैं। अधिकाँश पुर्जों की सूक्ष्मता तथा जटिलता को ध्यान में रखते हुए, मैं यह कह सकता हूं कि हमारे सहायक उद्योग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सरकार ने ऐसी फर्मों द्वारा बनाये जाने वाले पुर्जों की निर्माण लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की है ? यदि हां, तो ऐसे पुर्जों की निर्माण लागत में कितने प्रतिशत लाभ जोड़ा जाता है ?

श्री विभुवेन्द्र मिश्र : जहां तक सहायक इकाइयों का सम्बन्ध है, लागत सम्बन्धी अध्ययन जारी है, और आशा है कि यह तीन या चार महीनों में पूरा हो जायेगा।

श्री जोकीम आल्वा : क्या इन निर्माताओं ने सरकार को कोई गारन्टी दी है कि वे अमुक तारीख तक देश में बढ़िया किस्म के शत प्रतिशत पुर्जे, बनाने लगेंगे, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पौलेंड तथा चैकोस्लोवाकिया जैसे छोटे देश भी उत्तम किस्म की कारें बना रहे हैं और बिक्री के लिये हमें देने की पेशकश कर रहे हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : कुछ देश शत प्रतिशत पुर्जे बना रहे हैं जबकि कुछ अन्य कुछ पुर्जों को बाहर से मंगाते हैं। मेरी राय में देशी पुर्जों की मात्रा बढ़ाने में हमारे यहां हुई प्रगति असंतोषजनक नहीं कही जा सकती। वास्तव में महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये पुर्जे किस कीमत पर बनाये जाते हैं।

Shri Raghunath Singh : In the Statement we find that the Standard Motors import 30 per cent of the spare parts—which is the maximum. May I know what main components are included in that?

Shri T. N. Singh : I cannot give this information off hand. But about two or three thousand such cars are being manufactured in this country. The Standard Motors manufactured this new model—Standard Herald–a few years ago.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि ये कम्पनियां इन्हें दी जाने वाली विदेशी मुद्रा का कैसे उपयोग करती हैं ? क्या उन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार है जिन्होंने अधिकतम मात्रा में देशी पुर्जे बनाने के अपने वचन को पूरा नहीं किया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : तकनीकी विकास विंग सभी आयात लाइसेंसों की जांच पड़ताल करता रहता है।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०, भोपाल

\+

*1226. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०, भोपाल में उत्पादन को उन्नत करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभघेन्द्र मिश्र): (क) से (ग). श्रम उत्पादिता को बढ़ाने के लिए 15 मार्च, 1965 से एक विभाग में उत्साहवद्धन बोनस योजना को लागू किया गया है तथा अन्य विभागों में भी इसका धीरे धीरे विस्तार किया जाना है । इसके अलावा कम्पनी प्लान्ट तथा उपकरणों का पूरा उपयोग कर के अधिकाधिक आमदनी वाली चीजों को उत्पादन के लिए छांट कर और उत्पादन तकनीकों में सुधार करके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ।

Shri Yashpal Singh : May I know why production is not increasing? Is it due to shortage of foreign exchange or some other thing has come to light?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : The shortage of foreign exchange is also one of the causes, though we get considerable credit from Britain, but there are other factors also. It takes time to acquire technical know how and the manufacture of electricals is a complicated job. We have our own difficulties also which are not unknown to this House.

Shri Yashpal Singh : 45 lakhs are being paid annually to the employees in the shape of salaries. May I know what is the gaps between the salary of an engineer and a low-paid worker there?

Shri T. N. Singh : I want notice for this.

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या यह सच है कि 1964 में यह कारखाना अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे पूरी क्षमता पर चलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : भोपाल कारखाने का उत्पादन कार्यक्रम कई वर्षों तक फैला हुआ है। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 1972 में अथवा इसके लगभग पूरी क्षमता पर उत्पादन शुरू हो जायेगा । इसलिये पहले से ही यह पता था कि कई वर्षों तक वास्तविक क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो सकेगा । चूंकि यह एक पेचीदा काम है, इसलिये पूरा उत्पादन आरम्भ होने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि इस कारखाने में कम उत्पादन होने का मुख्य कारण श्रमिक झगडे हैं, और इन झगड़ों का मुख्य कारण यह है कि प्रशिक्षण स्कूल द्वारा अधिक संख्या में प्रशिक्षणार्थी निकाले जा रहे हैं ? इन श्रमिक विवादों तथा फालतू प्रशिक्षणार्थियों की समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या विशेष कदम उठाने जा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच है कि श्रमिक सम्बन्ध वहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या बनी रही है । पिछले कुछ महीनों में श्रमिक सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ है ।

फालतू प्रशिक्षणार्थियों की समस्या से भी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं । हम अपनी आवश्यकता से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं और जब यह प्रशिक्षण कार्य शुरू किया गया था तब यह साफ तौर से बता दिया गया था कि सभी लोगों को इस

कारखाने में नहीं खपाया जा सकेगा। हम उन्हें काम दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय का विचार है कि समूचे राष्ट्र की भलाई के लिए तकनीकी प्रशिक्षण जारी रखा जाना चाहिये। इसलिये यह प्रशिक्षण जारी है, परन्तु फिर भी इस प्रश्न पर कि किस स्तर पर तथा कितना प्रशिक्षण दिया जाये विचार किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that the State Government and the Centre has its own ways of working? The State Government does not lend its cooperation to the machinery set up by the Centre and does not allow it to function? Is it also a fact that good relations do not exist between the worker and the management there, and they cannot settle their disputes by mutual negotiations? If so, may I know whether there is any proposal under Consideration of Government so that the representatives of workers and management can sit together and settle their disputes by mutual negotiations?

Shri T. N. Singh : The Central Government is receiving full cooperation from the State Government. The Centre has no complaint against the State Government in this connection. So far as the question of determination of the representative union is concerned, we have to go by the law and the rules framed in that behalf and a union can be declared a representative union only in accordance with that law, and talks can be held with such a union. If any union entertains any doubt in this connection, it can go to the Registrar, and whichever union would be in majority will be declared so.

Shri Kishen Pattnayak : In the name of foreign collaboration we are paying Rupees 40 to 45 lakhs to the 64 foreign engineers annually which is equivalent to the total salaries of 3 to 4 thousand of our own workers. Is this a fact?

Shri T. N. Singh : I can tell the correct position only after consulting the figures. It is a big project on which 40 to 50 crores of rupees have been spent and a several thousand workers are working there. I may, therefore, say that if 64 foreign engineers are employed to render us help in such a complicated venture, this certainly is not a big figure.

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस कारखाने में इस समय कितने जनरेटर तथा टर्बाइन बनाये जा रहे हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस समय वहां पर ट्रांसफार्मर, स्विचगीयर तथा मोटरें बनाई जा रही हैं। इस समय जनरेटर नहीं बनाये जा रहे हैं।

श्री मुहम्मद इलियास : गत वर्ष श्रमिकों के आंदोलन को दबाने के लिये काफी काफी प्रमुख श्रमिकों को निकाल दिया गया था। उससे श्रमिकों में काफी असंतोष फैला हुआ है। क्या सरकार श्रमिक सम्बन्धों में सुधार करने तथा साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए इन श्रमिकों की बहाली के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : बहुत समय पहले इस बारे में एक पृथक् प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर दे दिया गया था।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या सरकार इस बारे में पर्याप्त सावधानी से काम ले रही है कि भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कार्यकरण में पाये गये दोष तथा त्रुटियां हैदराबाद हैवी इलेक्ट्रिकल्स के मामले में पुनः न दोहरायी जा सकें ?

श्री त्रि० ना० सिंह : माननीय सदस्य किन दोषों की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

श्री म० रं० कृष्ण : मुझे बताया गया है कि भोपाल कारखाने के बारे में अभी तक सहायक उद्योगों की सूची तैयार नहीं की जा सकी है। हैदराबाद के बारे में भी यही स्थिति है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम केवल सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में ही सहायक उद्योग स्थापित करने के मामले में पूरी सावधानी से काम ले रहे हैं और अधिक से अधिक सहायक इकाइयां स्थापित करने की कोशिश की जाती है। यह ठीक है कि सहायक इकाइयों के विकास में कुछ समय लगता है । इसमें कारखाने का ही सारा दोष नहीं है क्योंकि अधिकांश छोटे उपक्रम इसके लिए तैयार नहीं होते ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय मंत्री को पता है कि वहां पर इंजीनियरों की संख्या काफी अधिक है और उनके पास कोई काम नहीं है और यही एक समस्या बन गई है क्योंकि उन्हें उत्पादन की बजाय अपने भविष्य की ही अधिक चिन्ता रहती है ? यदि हां, तो क्या कोई अध्ययन किया गया है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं समस्या के इस मानवीय पहलू से अवगत हूं। यह ठीक है इस समय कर्मचारियों के पास पर्याप्त काम नहीं है। कारण यह है कि पूरा उत्पादन आरम्भ होने में समय लगेगा। हमें आवश्यक प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को पहले ही नियुक्त करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ कर्मचारी फालतू रहेंगे ही । उत्पादन कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें पूरा काम उपलब्ध किया जा सके। काफी बार उनके लिए विशेष काम उपलब्ध करना भी संभव होता है और वैसा किया जा रहा है ।

श्री प्रिय गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रलोभन योजना लागू करके सरकार उत्पादन बढ़ाना चाहती है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्त में इस योजना का परिणाम यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का काम बढ़ जायेगा और इस प्रकार कारखाने में श्रमिकों की संख्या में कमी करनी पड़ेगी ? क्या सरकार ने इन बातों की जांच की है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यदि माननीय सदस्य प्रलोभन योजना के परिणामों की ओर निर्देश कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। अभी हमने इस दिशा में शुरुआत ही की है और इस योजना को कारखाने के सभी विभागों में भी लागू करना संभव नहीं है क्योंकि इसे उन्हीं विभागों में लागू किया जा सकता है जहां पर उत्पादन कुछ स्तर तक पहुंच गया है। इस प्रकार हमने इस दिशा में शुरुआत की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे ।

कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे

1227. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा 26 मार्च, 1965 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किये गये गैर-सरकारी संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें कलकत्ता के लिए एक वृत्ताकार रेलवे की अविलम्ब आवश्यकता पर बल दिया गया है ;

(ख) नगर की ट्रामों तथा बसों में वर्तमान आपदापन्न तथा असहनीय भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव के विशेष महत्व को समझ लिया है तथा इस मामले में नीति सम्बन्धी निर्णय कर लिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कलकत्ता व अन्य प्रमुखनगरों में यातायात सम्बन्धी समस्याओं के बारे में भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ही सजग हैं। इसके बारे में अभी तक कोई 'नीति' सम्बन्धी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न सुझावों पर विचार हो रहा है, जिनमें से एक यह भी है कि विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाय, जो एक मिली जली सामूहिक परिवहन प्रणाली शुरू करने के सम्बन्ध में अध्ययन करे और एक दीर्घकालीन हल निकालने के बारे में अपनी सिफारिश दे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने वृत्ताकार रेलवे अथवा उप रेलवे के निर्माण को प्राथमिकता देने का निश्चय कर लिया है ?

श्री शाम नाथ : विशेषज्ञों की एक समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है क्योंकि इसमें अन्य नगरों के अन्तर्नगरीय यातायात की समस्या भी सन्निहित है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस मामले पर योजना आयोग के साथ बातचीत की है, यदि हां, तो योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शाम नाथ : इस मामले पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया और उन्होंने यह राय प्रकट की कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिये।

डा० रानेन सेन : वर्ष 1952 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने कलकत्ता के चारों ओर एक ऐसे ही वृत्ताकार अथवा "रिंग" रेलवे के निर्माण के लिए सिफारिश की थी; और इसके पश्चात् पुनः हाल ही में, सी० एम० पी० ओ० ने भी अपने विशेज्ञ समिति के मार्फत इस सम्बन्ध में पूरी-पूरी छान-बीन करने के बाद एक वृत्ताकार रेलवे की सिफारिश की है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे की स्थापना का कार्य तुरन्त आरम्भ करेगी ?

श्री शाम नाथ : यह सच है कि इस मामले पर विभिन्न समितियों तथा दलों द्वारा विचार किया गया है किन्तु वास्तव में प्रश्न यह है कि क्या कलकत्ता में एक महानगरीय रेलवे की व्यवस्था का उत्तरदायित्व रेलवे विभाग पर है।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it is a fact that the Centre and the State Government have made the recommendations after going into the question of Calcutta's necessity for a Circular railway there, and should we take it that the need of the City has been realised in principle, but the question before Government is that of funds for the purpose ?

Shri Sham Nath : It is true that Calcutta stands in need of such a rapid transit system which may solve the traffic problem there, but it can not be the responsibility of the railways to provide rapid transit system in all the major Cities.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि हावड़ा पुल के आस-पास एक दूसरी सड़क-पुल का निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या रेलवे वहां एक रेल तथा सड़क-पुल के बारे में सोच रही है ताकि सामयिक भीड़-भाड़ कम हो सके ?

श्री शाम नाथ : यह सच है कि एक दूसरा पुल बनाया जाने वाला है किन्तु मैं समझता हूं कि यह मामला परिवहन मंत्रालय का है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मंत्री महोदय कह रहे थे कि यह एक अन्तर्नगरीय यातयात समस्या है । क्या मंत्री महोदय ने इस बात पर विचार किया है कि यह कलकत्ता शहर की आन्तरिक यातायात सम्बन्धी एक समस्या है जो आबादी के घनत्व विशेषकर आये हुय शरणार्थियों के कारण बिलकुल ही नाजुक होती जा रही है ?

श्री शाम नाथ : माननीय सदस्य का कथन ठीक है, किन्तु अन्य देशों की भांति, आन्तर्नगरीय (इन्टर-सिटी) परिवहन व्यवस्था आमतौर पर एक अलग संगठन की जिम्मेदारी होती है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने, कई स्तरों पर, कलकत्ता नगर में एक वृत्ताकार रेलवे की स्थापना की तुरन्त आवश्यकता को महसूस किया है किन्तु केवल कलकत्ता नगर के लिए नई धनराशि के खर्च के कारण सरकार अब भी उस पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं ले रही है ?

श्री शाम नाथ : यह सिर्फ कलकत्ता का ही प्रश्न नहीं है .....

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं विशेषरूप से कलकत्ता नगर के बारे में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । सदस्य महोदय ने प्रश्न पूछा है और मंत्री उसका उत्तर दे रहे हैं ।

श्री शाम नाथ : जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ कलकत्ता का ही प्रश्न नहीं है। यह भी सच है कि यदि इस परियोजना को रेलवे अपने हाथ में लेती है, तो इस पर 50 करोड़ रुपये का लागत खर्च आयेगा और क्योंकि रेलवे ने करीब 5.75 प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान करना है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कुल आय से आवर्ती लागत व्यय भी पूरा नहीं हो पायेगा ।

श्री जयपाल सिंह : कई साल से हम इस बारे में सुनते चले आ रहे हैं, कलकत्ता में अन्तर्भू-मार्ग तक नहीं बनाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि फोर्ड फाउण्डेशन ने इस वृत्ताकार रेलवे के निर्माण में किस सीमा तक भार वहन करने का वचन दिया है और क्या यह अन्तर्भू रेलवे होगी अथवा नहीं ?

श्री शामनाथ : मैं नहीं समझता कि फोर्ड फाउण्डेशन ने इस सम्बन्ध में कोई वचन दिया है, तथापि यह सच है कि सी० एम० पी० ओ० कार्यकारिणो समिति ने एक अध्ययन दल को नियुक्ति को थो और उस दल ने कुछ सिफारिशें की हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा विदित होता है कि इस योजना पर 50 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक व्यय होने के कारण सरकार के लिए इस मामले पर शीघ्र

निर्णय लेना सम्भवनहीं होगा। क्या यह सच नहीं है कि यह धनराशि आगामी वर्षों में कलकत्ता की रेल में यात्रा करने वाली घनी तथा बढ़ती हुई आबादी से वसूल हो जायेगी, यदि हां, तो क्या इस तथ्य पर भी विचार किया गया है और क्या इस परियोजना का कार्य चौथी योजना के दौरान पूरा किया जायेगा ?

श्री शाम नाथ : हमारे वित्तीय मूल्यांकन के अनुसार इस पर 50 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा और कुल आय 76 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि लाभांश, अवक्षयण व्यय तथा आवर्ती लागत खर्च आदि के रूप में प्रतिवर्ष 4.37 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि होगी।

रेलवे में आयोजन तथा गतिहीनता

*1228. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बजट वाद-विवाद के दौरान हुई चर्चा को ध्यान में रख कर अपने कर्मचारिवृंद सम्बन्धी आयोजन तथा उनकी गतिहीनता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किये गये हैं तथा स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). वास्तविक कार्यभार और पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर रेलों में विभिन्न विभागों के राजपत्रित अफसरों का संवर्ग निश्चित किया गया है। समय-समय पर विभिन्न ग्रेड में अतिरिक्त पदों की मंजूरी खास-खास निर्माण और दूसरे विकास कार्यों के लिए दी जाती है, न कि अफसरों को विशेष रूप से तरक्की देने के लिए। लेकिन संवर्गों की व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो लोग रेल-सेवा में आते हैं उनके लिये जहां तक सम्भव हो, समुचित वृत्तिक सम्भावनाओं की व्यवस्था हो।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पदोन्नति के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में जो समय लिया जाता है उस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है और क्या इस सम्बन्ध में गतिहीनता रही है अथवा नहीं, यदि हां, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए किस प्रकार की गतिहीनता रही है ?

डा० राम सभग सिंह : मैं इसे गतिहीनता की संज्ञा नहीं दूंगा क्योंकि लगभग 7 विभाग हैं, जिनमें, असैनिक इंजिनियरिंग विभाग के मामले में 1946 से पूर्व औसतन 21 वर्ष का समय लिया जाता था। अब यह घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया है। परिवहन में 19 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष तथा लेखा में 12 वर्ष से घटा कर 10 वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार भण्डार (स्टोर्स) में 18 वर्ष से घटा कर 15 वर्ष कर दिया गया है। इसलिये मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इसे गतिहीनता कह सकें। किन्तु यह सच है कि असैनिक इंजिनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग तथा परिवहन विभागों में शीघ्र पदोन्नति नहीं हुई है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय को यह विदित है कि समस्त देश में सरकारी उपक्रमों, लोक निर्माण-कार्य विभाग आदि की अपेक्षा रेलवे में पदोन्नति सम्बन्धी स्थिति कहीं अधिक खराब है ? क्या मंत्री महोदय ने स्थिति का कोई अध्ययन किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में इसका कारण दूसरा है, क्योंकि अधिकांशतः ये सरकारी उपक्रम हाल ही में बने हुए हैं और उनका विस्तार हो रहा है। अन्य विभागों का भी विस्तार हो रहा है। रेलवे में भी परिवहन, असैनिक इंजिनियरिंग तथा मेकेनिकल इंजिनियरिंग आदि विभागों के अतिरिक्त विस्तार हो रहा है। किन्तु रेलवे में भी दूर-संचार विभाग में (टेलीकम्यूनिकेशन्स) जल्दी-जल्दी पदोन्नति हुई है। लेकिन यदि अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण होता है तो, अन्य विभागों में स्वाभाविक तौर पर वेतन अधिक ऊंचे होते हैं ताकि वहां प्रलोभन अधिक हो। किन्तु यदि वे सरकारी उपक्रम अथवा निजी उद्योग अच्छी तरह सुदृढ़ हो जायें तो मैं नहीं समझता कि वे इतनी जल्दी-जल्दी पदोन्नति कर सकेंगे।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार को विदित है कि रेलवे के विभिन्न विभागों में विशेषतः मेकेनिकल इंजिनियरिंग विभाग, स्टोर्स विभाग तथा यातायात और परिवहन विभागों में पदोन्नति के अवसर रेलवे में असैनिक इंजिनियरिंग विभाग की अपेक्षा अधिक अच्छे नहीं हैं क्योंकि वहां लोगों को 18 से 20 वर्ष की नौकरी के बाद भी पदोन्नति नहीं की जा रही है और जब कि वे अन्य विभागों में काम करने वाले लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक वरिष्ठ हैं; यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति की जाँच कर रही है और विभिन्न विभागों में पदोन्नति प्रणाली को ठीक बनाये रखेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, प्रत्येक विभाग में गतिहीनता नहीं रही है। कुछ स्थानों पर कुछ गतिहीनता रही है। हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Raghu Nath Singh : May I know whether there is an identical channel of promotions in the various Zones of the Railways?

Dr. Ram Subhag Singh : It is almost identical, but special facilities are provided to the North-East Frontier Railway because they have to work in certain incongenial circumstances.

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government are aware that there is no arrangement of accommodation for the running attendnats of the first class compartments? They have to stay for a couple of days for which they are not entitled to any T.A. and D.A. Do Government propose to make any arrangement for their accommodation?

Dr. Ram Subhag Singh : If any attendant has a genuine difficulty, it will be looked into.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The gangmen numbering in lakhs are temporary and they get meagre salaries. Since they are temporary, they cannot work properly hence it causes much difficulty in the fast running of trains. May I know whether Government propose to declare them permanent and as also revise their grades?

Dr. Ram Subhag Singh : There is yet no new proposal in this connection.

श्री अल्वारेस : श्रीमान्, रेलवे में वर्ग 4 के कर्मचारियों की वर्ग 3 में पदोन्नति करने की थोड़ी-बहुत संविहित आधार पर एक व्यवस्था है। क्या रेलवे में उत्पादनशीलता में वृद्धि करने की दृष्टि से श्रम संगठनों के साथ किये गये सहयोग के कारण भारतीय रेलवे में वर्ग 4 से वर्ग 3 में पदोन्नति के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण गतिहीनता व्याप्त हो गई है ?

डा० राम सभग सिंह : वास्तव में रेलवे के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के ये सभी पदोन्नतियां वेतन आयोग की सिफारिशों, जिन पर रेलवे बोर्ड तथा श्रम संगठनों ने भी विचार किया था, के निर्देशन में की जाती हैं। यदि माननीय सदस्य गतिहीनता महसूस करते हैं, तो इस सम्बन्ध में उनके मजदूर संघ को भी परामर्श किया गया था और स्थायी-समझौता-मशीनरी के अधीन स्थायी समझौता चल रहा है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या सरकार का ध्यान सिकन्दराबाद क्षेत्रीय रेलवे के हाल ही की एक अधिसूचना की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि रेलवे के कुल कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत स्थान आन्ध्र प्रदेश के नागरिकों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे; यदि हां, तो क्या यह रेलवे की प्रतिकूल विचारधारा अपनाने का एक निश्चित संकेत है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं स्थिति के बारे में मालूम करूंगा।

श्री प्रिय गुप्त : क्या प्रोत्साहन बोनस प्रणाली को लागू करने तथा उसे कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप वर्कशापों में कर्मचारियों की संख्या कम करने की नीति अपनाने के कारण यह सच है कि कुशल तथा अर्ध-कुशल वर्गों के जैसे वर्ग 4 के शिल्पकारों (मिस्त्री आदि) की पदोन्नति बन्द की हुई है और रेलवे वर्कशॉपों में वर्ग 4 से वर्ग 3 में पदोन्नति के सम्बन्ध में तथा इसी प्रकार रेलवे के अन्य वर्गों के कर्मचारियों के मामले में भी गत 5 वर्ष से गतिहीनता चली आ रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सच नहीं है कि यदि कहीं किसी व्यक्ति को, प्रोत्साहन बोनस मंजूर किया जाता है तो उसका अवश्य ही इतना अधिक अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। रेलवे वर्कशॉपों में उनकी पदोन्नति पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मैं यह कह सकता हूं क्योंकि मैंने सभी वर्कशॉपों की तो नहीं किन्तु कुछ वर्कशॉपों की समस्या के बारे में अध्ययन किया है।

Shri Gulshan : Is it a fact that an indiscriminating policy is adopted towards class IV and class III employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the matter of promotions ?

Dr. Ram Subhag Singh : Actually all the benefits and facilities for which the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are entitled to are, no doubt, provided to them. However, if any difficulty has been experienced anywhere by the hon. Member, he may bring it to our notice and we will remedy the situation.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ वर्गों में गतिहीनता है और मजूरी बोर्ड की नियुक्ति ही इसका एकमात्र हल है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विषम स्थिति को दूर करने के लिए सरकार एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने और इस वर्ग के कर्मचारियों के पदोन्नति सम्बन्धी क्षेत्र को बढ़ाने का विचार करती है ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य दो प्रश्नों को मिला रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा, यह मामला सिर्फ आयव्ययक सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान मार्च के महीने में उठाया गया था और यह सारा मामला विचाराधीन है। जहां तक मजूरी बोर्ड की नियुक्ति का प्रश्न है, मेरे

वरिष्ठ सहयोगी ने उसका उत्तर सभा के समक्ष दे दिया है और मुझे उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Jaipal Singh : The hon. Minister has stated that the people belonging to Scheduled Tribes get all the facilities, and we have been hearing of it for a pretty long time. What I want to know is what has been done about the recommendations made by the Kunjru Committee?

Dr. Ram Subhag Singh : Today I have not gone through the details of the recommendations made by the Kunjru Committee. However, subject to correction, we are trying to see that about 95 per cent recommendations of that Committee are implemented.

भारतीय विज्ञापन एजेंसियां

1230. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञापन एजेन्सियों को विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो किन फर्मों को और किन शर्तों पर सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) देश में कुछ विज्ञापन-फर्मों को विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिये किन परिस्थितियों में अनुमति दी गई है अथवा दी जा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). मैसर्स क्लैरियन एडवर्टाइजिंग सर्विसिज (प्रा०) लि० तथा मैसर्स इन्टर पब्लिक इन्कारपोरेशन यू० एस० ए० के सहयोग पर सरकार ने हाल ही में स्वीकृति दी है (इस सम्मिलित प्रयास में विदेशी सहयोगी के 49 प्रतिशत शेयर रहेंगे) ।

2. कम्पनी को भी विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इंडिया से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी ।

3. मैसर्स ऐयर्स एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग बम्बई तथा मैसर्स लन्दन प्रेस एक्सचज इंटरनेशनल यू० के० के सहयोग को भी प्रारम्भिक स्वीकृति दे दी गई है तथा पार्टी ने सहयोग के समझौते की शर्तों का मसौदा भी दे दिया है जिस पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

4. सहयोग के लिए स्वीकृति देने के हेतु सरकार ने जिन मुख्य बातों पर विचार किया था वह निम्न प्रकार थीं :

(1) इस समय भारत में विज्ञापन व्यापार में कुछ पूर्णरूपेण विदेशी स्वामित्व वाली विज्ञापन एजेन्सियां अपने बेहतर संगठन के कारण प्रमुख स्थान बनाए हुए ह ।

प्रस्तावित सहयोग से दो भारतीय कम्पनियों की स्थिति को बल मिलेगा और विदेशी कम्पनियों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी ।

(2) सहयोग के परिणामस्वरूप सम्भवतः विज्ञापन पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में कुछ कमी करना सम्भव हो सकेगा।

श्री शिवचरण गुप्त : क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी सहयोगकर्ताओं को इस क्षेत्र में अनुमति न देने की नीति के संबंध में कोई निर्णय किया था और किन परिस्थितियों के अधीन इस निश्चय के प्रतिकूल कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी ? क्या यह परिवर्तन आम जनता के सूचनार्थ विधिवत् अधिसूचित किया गया था ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई निर्णय पहले किया गया था, और न ही उसके विरुद्ध कोई काम किया गया है ।

श्री शिवचरण गुप्त : क्या में जान सकता हूं कि सरकार के पास इस समय कितनेऐसे प्रार्थना-पत्र हैं जो निबटाये नहीं गये हैं और इस नीति के परिणामस्वरूप सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा की बचत का अनुमान लगाया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : बम्बई के एक फर्म से, जो विदेशी सहयोग से लन्दन में एक कार्यालय स्थापित करना चाहता था, एक प्रार्थनापत्र था । चूंकि यह सहयोगकर्ता दल विज्ञापन व्यवसाय में नहीं है, इसलिए वह प्रार्थनापत्र स्वीकृत नहीं किया गया । जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बंध है, इस समय उसका अनुमान लगाना कठिन है। किन्तु यह सच है कि आज भारत में अधिकांश विज्ञापन कार्य विदेशी व्यापार-संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। दो भारतीय कम्पनियों को विदेशी सहयोग से इस व्यवसाय में अनुमति देने पर ऐसी आशा की जाती है कि इससे बाजार और विस्तृत हो जायेगा और साथ ही साथ बचत भी होगी ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : क्या मेसर्स ऐयर्स विज्ञापन तथा विपणन अथवा क्लेरियन विज्ञापन कम्पनी, जिन्हें विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनमति दी गई है---में कोई ऐसे लोग थे जिनका सम्बन्ध पहले मेसर्स ति० त० कृष्णमाचारी एन्ड कम्पनी से रहा हो और जो मुदंडा कांड में उलझे हुए थे ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : सम्भवतः उनमें से एक में मैं समझता हूं कि 'ऐयर्स' में थे जिनकी प्रार्थनापत्र अभी तक अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं की गई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि करीब करीब सभी भारतीय विज्ञापन एजेन्सियों ने विभिन्न देशों में विज्ञापन प्रकाशित किये हैं और उन्होंने विदेशों में विज्ञापनों के लिए सहभागी व्यवस्था की हुई है अतः उन्हें विज्ञापन कार्य की जानकारी के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्या सरकार यह बतायेगी कि किन कारणों से इस क्षेत्र में इन कम्पनियों को विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ? क्या यह सच है कि इस निर्णय के विरोध में सरकार को 85 भारतीय एजेन्सियों की ओर से एक हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज प्राप्त हुआ है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के प्रति सहानुभूति है । मुझे अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है । किन्तु मैं इस वक्तव्य को पूर्ण तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमें विज्ञापन कार्य के सम्बन्ध में पूरी पूरी जानकारी है ।

श्री जोकीम आल्वा : सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में भूपतपूर्व मंत्री डा० केसकर के कार्यकाल में श्रीमती वाइलेट आल्वा के एक प्रस्ताव पर राज्य सभा में एक लम्बे वाद-विवाद के पश्चात् सरकार ने एक संकल्प स्वीकार किया था कि वे विदेशी फर्मों के साथ विज्ञापन कार्य नहीं करेंगे, फिर भी सरकार ने भारत में स्थित विदेशी फर्मों को विज्ञापन देकर अपने आश्वासन का परिपालन नहीं किया है । पहली बात तो यह है कि सरकार अपने आश्वासन से मुकर गई है--दूसरी बात--हमारे देश के सैकड़ों नवयुवक, जो विज्ञापन कार्य करने के लिए उद्यत हैं उनकी अपेक्षा हमारे विज्ञापन एजेन्सियों में सरकार को विदेशी लोगों की सेवाओं की आवश्यकता है । ऐसा क्यों किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल कठिनाई यह होगी कि श्रीमती आल्वा प्रत्युत्तर नहीं दे सकेंगी क्योंकि वे पीठासीन होंगी ।

श्री जोकीम आल्वा : वह तो एक आश्वासन दिया हुआ है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं समझता हूं कि संकल्प प्रस्तुत तो किया था । इसमें कहा गया था कि सरकार को अपने विज्ञापन देते समय देशी भारतीय कम्पनियों को प्राथमिकता देनी चाहिये । ऐसा किया जा रहा है ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा अनुमति दिये गये इस किस्म के समझौते से भारतीय विज्ञापन कम्पनियों और कर्मचारियों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ; यदि हां, तो क्या सरकार हमें बतायेगी कि वे यह देखेंगे कि वे ऐसा कुछ नहीं करते जिसमें भारतीय विज्ञापन एजेन्सियों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमें विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करने की शक्तियां प्राप्त हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप उन शक्तियों का कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं ।

Shri Raghunath Singh : I want to know whether payment to these foreign agencies will be made in rupees or in foreign currency ? If payment is to be made in foreign currency, what would be the value of foreign exchange involved ?

Shri T. N. Singh : This will be an Indian company.

Shri Raghunath Singh : I am referring to the paymmnt to foreign collaborators ?

Shri T. N. Singh : That will be in rupees.

श्री रंगा : हमारी इस सामान्य मांग के अतिरिक्त कि विदेशी सहयोग के लिये लाइसेंस देने आदि के मामले मंत्री द्वारा नहीं निपटाये जाने चाहिये बल्कि यह काम एक स्वतंत्र आयोग को करना चाहिये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे सभी मामलों को, जिनमें मंत्रियों के सम्बन्धी अथवा निकट सम्बन्धी, जैसे टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड सन्स, किसी विदेशी सहयोग, लाइसेंस, विदेशी मुद्रा आदि की अनुमति मांगते हैं, एक स्वतंत्र आयोग को भेजेगी ताकि उस पर यह आरोप न लगाया जा सके कि वह जनता के हितों की अपेक्षा मंत्रियों के हितों को अधिक महत्व देती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं समझता हूं कि जिस मामले का उल्लेख किया गया है वह आगे भी विचाराधीन है । अतएव मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार ऐसी स्थिति आ गई कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाये ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it is not a fact that the Indian advertising agencies have withstood successfully even the toughest of all tests laid down in this behalf and proved their worth ? In spite of this fact why Government is bent upon inviting foreign collaborators and thus want to liquidate the Indian advertising agencies ?

Shri T. N. Singh : I may tell you that there are as many as 100 per cent foreign agencies, which have been functioning since the British period. At present it is our endeavour that there may be an increase in the number of shares of Indians in them.

Shri Bhagwat Jha Azad : My question has not been answered. I say the number of foreign companies should be reduced.

Shri T. N. Singh : We are trying to increase the number of shares of Indians in the new agencies being started and some are 100 per cent Indian. Both the things are there.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संयुक्त उपक्रमों की लाभांश आय लौटाने के बारे में कोई शर्तें रखी हैं और क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि एक ऐसे क्षेत्र में, जहां वास्तव में किसी एक प्रकार के विशिष्ट ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, विदेशियों को बुलाये बिना यहां भारत में हमारे अपने संगठनों में अधिक अच्छे तरीके चलाये जा सकते हैं ? क्या वास्तव में यह एक असंगत निर्णय नहीं है जिसमें नीति पर ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जैसा मैंने कहा, वास्तव में दूसरी बात अभी भी विचाराधीन है । दूसरी बात के संबंध में हम विदेशी मुद्रा तथा अन्य मामलों के बारे में बहुत कड़ा नियन्त्रण रखने जा रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह अत्यन्त असन्तोषप्रद उत्तर है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी है । वे स्वयं कहते हैं कि अनेक विदेशी कम्पनियां हैं और वे उनमें भारतीयों के शयर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुय कि और आगे विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है । फिर यह विदेशी सहयोग क्यों ? जहां तक विज्ञापन का संबंध है एयर इंडिया को विश्व में प्रथम पुरस्कार मिलता है । क्या इस प्रकार विदेशी सहयोग को आमंत्रित करके आप हमारी अपनी प्रतिभा का अपमान नहीं कर रहे हैं, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरा तो यह दृढ़ विचार है कि हम भारत में इस प्रकार के व्यवसाय को अच्छी तरह संभाल सकते हैं ।

श्री रंगा : बहुत अच्छी बात है । फिर यह विदेशी सहयोग क्यों ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सच है कि कुछ समय पहले एक लाइसेंस दिया गया था । मैं कह चुका हूं कि दूसरा एक विचाराधीन है पहले पर हम कड़ा नियंत्रण रखने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

हिरी खानें

\+

*1231. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्रभात कार :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती विमला देवी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने के जनरल मैनेजर ने 20 वर्ष के लिये दो निजी ठेकेदारों, अर्थात् मैसर्स सतरिस एंड कम्पनी तथा मैसर्स के० एन० पोद्दार एंड कम्पनी को हिरी खानों का खनन क्षेत्र पट्टे पर देने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने के जनरल मैनेजर ने मध्य प्रदेश सरकार के कहने पर हिरी खानों के अधिसूचित क्षेत्र में ये पट्टे देने के लिय अनापत्ति पत्र पर हस्ताक्षर किय थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं। अनापत्ति पत्र केवल ऐसे क्षेत्रों के लिये दिये गय हैं जो भिलाई इस्पात कारखाने के लिये आरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने कहा है कि 'प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने यह भी कहा है कि आरक्षित क्षेत्र से बाहर पट्टों के लिये 'आपत्ति नहीं' पत्र दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में किन शर्तों पर ये पट्टे दिये गए हैं ?

श्री प्र० चं० सठी : इसके लिये एक आरक्षित क्षेत्र है, जो लगभग 480 एकड़ है लेकिन उसके बाहर पट्टा 'आपत्ति नहीं' पत्र दिया जाने के बाद दिया गया है; इसकी जांच करके तथा यह पता लगने के पश्चात् कि क्षत्र कार्य के योग्य नहीं है, पट्टा गैर-सरकारी व्यक्ति को दिया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार गैर-सरकारी व्यक्ति को पट्टा देने से उस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की खानों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी नहीं, जैसा मैंने मुख्य उत्तर में बताया, यह पट्टा आरक्षित क्षेत्र से बाहर दिया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि इस क्षेत्र में किस श्रेणी का अयस्क है तथा क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि रूरकेला में बरसुआ खानों में असफलता ही मिली है, इस हिरी खान क्षेत्र का सरकारी क्षेत्र के लिये पूर्ण उपयोग करने की बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का निर्णय उचित है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह लौह अयस्क के लिये डोलोमाइट के सम्बन्ध में पट्टा देने का प्रश्न है। जहां तक डोलोमाइट का संबंध है, हमारे पास एक आरक्षित क्षेत्र है जो 50 वर्षों के लिये पर्याप्त होगा ।

श्री बासप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि भिलाई के लिये आरक्षित क्षेत्र में अयस्क कितने वर्षों के लिये पर्याप्त होगा तथा क्या इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने अभी कहा है कि वर्तमान पट्टा, जो सरकारी क्षेत्र के लिये है, 50 वर्षों के लिये पर्याप्त होगा ।

मोटरगाड़ियों के पुर्जे

*1232. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर गाड़ियों के पुर्जों के निर्माता जो मूल्य लेते हैं क्या उनकी जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच निकाय की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय उत्पादिता परिषद् के द्वारा इस देश में मोटरगाड़ियों के पुर्जों की समस्याओं संबंधी एक जांच समिति नियुक्त की गई थी, और यदि हां, तो उस समिति के जांच परिणाम व निष्कर्ष क्या हैं तथा सरकार ने उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : हमने भारतीय उत्पादिता परिषद् के अधीन पुर्जों के लिये एक समिति नियुक्त की है और मैं समझता हूं कि प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं पहली समिति के बारे में कह रहा हूं। मैंने पूछा था कि क्या उसकी सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं अथवा नहीं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी ; इसके लिये मुझे सूचना चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई प्रमाण है कि इस देश में पुर्जों के मूल्य बहुत अधिक निर्धारित किये जाते हैं तथा इसके कारण अन्त में तैयार होने वाली वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होती है। क्या प्रस्तावित नई समिति के विचारार्थ विषयों में यह भी है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुख्य उत्पादक तथा पुर्जों बनाने वाले कारखाने परस्पर ऊंचे मूल्यों के बारे में एक दूसरे पर यह आरोप लगाते रहे हैं। यही कारण है कि हम इन वस्तुओं के लागत के ढांचे के बारे में जांच कर रहे हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : मैं जानना चाहती हूं कि समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं तथा वह कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह एक समिति नहीं है। हमने पुर्जों के प्रत्येक मामले की जांच करने के लिय कुछ लागत लेखाकार (कास्ट एकाउन्टेंट) नियुक्त किये हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख: मैं जानना चाहता हूं कि मोटरगाड़ी के लिये मूल्यों के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का आधार क्या है तथा क्या यह आयात के देशों में पुर्जों के मूल्य पर आधारित है अथवा क्या यह भारत में खुले बाजार के भावों पर आधारित है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुख्य प्रश्न केवल मोटरगाड़ियों के लिये तैयार किये गये पुर्जों के बारे में है।

विदेशी सहयोग

\+

*1233. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1964 से अब तक उन विदेशी व्यापारियों को कोई आशय पत्र भेजे गए हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ सहयोग करार करना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो संबंधित विदेशी पार्टियों का विवरण क्या है ; और

(ग) वे किन क्षेत्रों में सहयोग देना चाहते हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) दिसम्बर, 1964 से अब तक एक विदेशी कम्पनी को केवल दो मामलों में प्रारम्भिक स्वीकृति पत्र सीधा भेज दिया गया है।

सम्बन्धित विदेशी पार्टियां ये हैं :—

(1) मैसर्स आर्गेनान लेबोरेटरीज लिमिटेड, लन्दन के श्री जे० बी० जायसी और (2) मेसर्स स्टीन एटकिन्सन स्टोर्डी लिमिटेड, ब्रिटन। पहली योजना मध्यवर्ती पदार्थों और नान-स्टेराइडों का निर्माण करने के लिये भारत में एक नया उपक्रम स्थापित करने जबकि दूसरी योजना कलकत्ता में विभिन्न किस्मों की औद्योगिक भट्टियां बनाने के लिये एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के बारे में है। दूसरी योजना में चल आस्तियों में विनियोजन 25 लाख रु० से कम है।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the names of the countries from whom such reports have been received and the basis of selection of these two parties ?

The Ministry of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : It has already been stated in this House as well as outside that the letters of intent could be issued to foreigners also but the licence would be granted only to the Indian company. While replying to the debate on my Ministry I had said that it was being done previously also and there were many cases whereas this year there had been only two cases.

Shri Onkar Lal Berwa : What are the conditions for this letter of intent according to which they are prepared to collaborate with Indian businessmen ?

Shri T. N. Singh : The condition for letter of intent is that the industry should be beneficial to us and have our approval. Detailed terms of the foreign firm are settled later on with the Indian company. At that time broadly speaking intent is made known.

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या सरकार सरकारी उपक्रमों में भी विदेशियों से सहयोग करना चाहेगी ? यदि हां, तो किन शर्तों पर, और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमने इसके विरुद्ध कोई नियम नहीं बना रखा है। वास्तव में हम गैर-सरकारी पार्टियों से सहयोग कर रहे हैं। आयल इंडिया, आसाम उनमें से एक है। इसी प्रकार मुमिया कारखाना है। ऐसे मामले हुये हैं। इन सभी मामलों में उनके गुणों को ध्यान में रख कर निर्णय किया जाता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने कोई मानक निर्धारित किये हैं जिनके अनुसार करार किये जाने हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री विभुधन्द्र मिश्र : उन्होंने कहा है कि पक्का प्रस्ताव छः महीने में आना चाहिये। उनको यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मशीनों के आयात के लिये प्रबन्ध तथा पूंजी-निर्गम सरकार की इच्छानुसार तय करना होगा ; प्रस्तावित उपक्रम को देश में, जड़ों की वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी चाहिये जिससे मध्यवर्ती पदार्थों (इन्टरमीडियरीज़) तैयार करेंगे; उत्पादन उपलब्ध स्थानीय जड़ों से ही आरम्भ होना चाहिये। ये कुछ शर्तें हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय व्यापारियों के साथ सहयोग के कोई विदेशी प्रस्ताव भारत सरकार के जरिये हो रहे हैं तथा केवल उनकी स्वीकृति के पश्चात् ही समझौते किये जाते हैं अथवा वे स्वतन्त्र रूप से कर सकते हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मंत्रालय द्वारा सहयोग संबंधी सभी समझौतों की जांच करानी होती है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या ये आशय पत्र भारतीय 'पब्लिक हाउसेज' से यह पूछने से पहले ही इन विदेशी सहयोगियों को दिये जाते हैं ; कि क्या वे वह सारा काम स्वयं कर सकेंगे अथवा उनसे पहले पूछ लिया जाता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : आशय पत्र प्रणाली इसलिये चलायी गई क्योंकि यह अनुभव किया गया कि कुछ व्यक्ति सभी लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। यह सोचा गया कि यह बाद में निर्णय हो जाये कि वास्तविक लाइसेंस किस भारतीय पार्टी को मिलेगा ताकि भारतीय पार्टियों को लाइसेंस मिल सके तथा अधिक अच्छा चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

श्री भागवत झा आजाद : यह भारत में होगा या विदेशों में ?

श्री त्रि० ना० सिंह : भारत में ।

आस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग

+

*1234. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अपनी हाल की आस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान आस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच अधिक व्यापार तथा आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिये आस्ट्रेलिया की सरकार से बात चीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या बातचीत हुई; और

(ग) क्या उस के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां ।

(ख) बहुत से विषयों पर बातचीत की गई जिन में से इंजीनियरिंग तथा रसायनिक उत्पादों के व्यापारों में वृद्धि की संभावनाएं, उद्योग में संयुक्त प्रयत्नों की संभावनाएं, पटसन का सामान तथा आस्ट्रेलियन टैरिफों तथा टैरिफ प्रणाली का भारत से होने वाले आयातों पर निरोधक प्रभाव भी शामिल हैं। विकासोन्मुखी देशों के व्यापार को सहायता देने के लिए किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक उपायों के बारे में दोनों देशों के रुख पर भी बातचीत की गई ।

(ग) किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे परन्तु बातचीत के अन्त में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी। हमारी बातचीत के अन्त में आस्ट्रेलिया का उपप्रधान मंत्री द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति (अंग्रेजी में) की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--4369/65]**

श्रीमती मैमूना सुल्तान : आस्ट्रेलिया और इस देश के बीच आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं की दृष्टि से क्या इस देश से एक प्रतिनिधि मंडल को यहां देखने के लिये बुलाया जा रहा है कि क्या यहां पर संयुक्त प्रयत्नों की कोई सम्भावना है ?

श्री मनुभाई शाह : आस्ट्रेलिया से शीघ्र ही एक उच्च शक्ति प्राप्त व्यापार प्रतिनिधि मण्डल आने वाला है । आशा है कि ऊन उद्योग, मांस उद्योग, दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ और और अन्य विभिन्न मध्यम वर्ग के इंजीनियरी उद्योगों में लगे सार्थ इस में अपनी अभिरुचि रखते हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

न्यूयार्क विश्व मेला

+

अ०सू०प्र०14. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क विश्व मेले के पहले सत्र में भारतीय मण्डप की अपेक्षा उसके दूसरे सत्र में भारतीय मण्डप का विस्तार और सुधार कर दिया गया है और उसकी अधिक सजावट कर दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा उस में क्या आकर्षण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). न्यूयार्क विश्व मेले के दोनों सत्रों, 1964 और 1965 में होने वाले प्रदर्शन आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए, भारत मण्डप दुमंजिला बनाया गया है । अतएव 1965 के सत्र में मण्डप का आकार बढ़ाना सम्भव नहीं था। फिर भी, मेले के प्रथम सत्र में हुए अनुभवों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए, दोनों ही मंजिलों पर किये जाने वाले प्रदर्शनों में काफी सुधार किया गया है जिस से कि दर्शकों तथा क्रेताओं पर और अधिक प्रभाव पड़े ।

दूसरे सत्र में मण्डप में प्रमुख नये आकर्षण इस प्रकार हैं :—

(1) तीन अतिरिक्त कांस्य कलाकृतियां—अवीणाधर दक्षिण मूर्ति और सुन्दरा मूर्ति नयनार, तंजोर आर्ट गैलरी से, और नटराज मदरास संग्रहालय से;

(2) रंगीन ट्रांसपेरेंसी जिन में मौसम तथा हैण्डलूम डिजाइन इंस्टी० तथा मद्रास हैण्डकरचीप्स द्वारा तैयार किये गये कपड़ों के नये नमूने दिये गये हैं,

(3) भारत की भूमि तथा लोगों पर आधारित लघु चित्रों का लगातार प्रदर्शन,

(4) मिल के बने वस्त्रों, खादी और रेशम वस्त्रों तथा रत्नाभूषणों के प्रदर्शन स्थल का विस्तार करना,

(5) प्रस्ताव किया गया है कि मण्डप में कलात्मक हथकरघा रेशम की बुनाई का प्रदर्शन करने हेतु एक बुनकर रखा जाये,

(6) अणु-शक्ति विभाग में ट्राम्बे संस्थानों द्वारा बनाये गये प्रेसीशन इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रदर्शन,

(7) ऊपरी मंजिल के निर्मित विभाग में विभिन्न प्रकार के हल्के इंजीनियरी सामान, औज़ार, यन्त्र और छोटी मशीनें आदि रखे गये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : जैसा कि मैं ने पिछले वर्ष स्वयं देखा था कि भारतीय मण्डप अमरीका के बहुत बड़े विशाल मण्डप के बिल्कुल निकट होने के कारण उसकी तुलना में बहुत छोटा सा लगता था, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत मण्डप के स्थान को बदलने के बारे में विचार क्यों नहीं किया ? दूसरे मण्डपों में आये दर्शकों की तुलना में भारत मण्डप में पिछले वर्ष कितने दर्शक आये थे ?

श्री मनुभाई शाह: पिछले वर्ष न्यूयार्क के अपने दौरे के दौरान भारतीय मण्डप को देखने तथा वहां से आने के पश्चात् उसकी सराहना में उन्होंने जो अपने भाव प्रकट किये उनके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं ।

भारतीय मण्डप एक बहुत ही विशाल मण्डप के समीप है, और ऐसा होने के कारण इस से लाभ भी है तथा अलाभ भी ।

इस समय इसको किसी अन्य स्थान पर लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि केवल इसके निर्माण पर ही लगभग एक करोड़ रुपये का खर्च आयेगा और दूसरा अन्य कोई खाली स्थान भी नहीं है । इस से लाभ यह है कि कहां बड़ी कलात्मक तथा सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि में सजा हुआ यह छोटा सा मण्डप और कहां वह बहुत ही विशाल मण्डप जिस में केवल कुछ मशीनें ही हैं । मैं उन दोनों मण्डपों की तुलना तो नहीं करना चाहता, परन्तु लोगों ने दोनों मण्डपों में से विशाल मण्डप की तुलना में इस मण्डप की कहीं अधिक प्रशंसा की है ।

पिछले वर्ष दर्शकों की संख्या 27 लाख थी परन्तु इस वर्ष 50 लाख दर्शकों के आने की सम्भावना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि हमारे मण्डप के साथ साथ पाकिस्तानी मण्डप में प्रदर्शित चीजों में से एक अप्राकृतिक चीज़ यह थी , कि उस में मोहंजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई को 5000 वर्ष पुरानी पाकिस्तानी सभ्यता बताया गया था; यदि हां, तो क्या सरकार ने इतिहास का संशोधन करने के लिये प्रदर्श प्रदर्शित करने तथा अपने राजनीतिक इतिहास विशेषतया हमारे स्वतंत्रा संघर्ष तथा अनुवर्ती भारत के विरुद्ध चीनी आक्रमण से सम्बन्धित इतिहास के बारे में विदेशी दर्शकों को जानकारी देने के लिये कोई प्रयत्न किया है ?

श्री मनुभाई शाह : हमारे मण्डप में उन अधिकांश ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया है जिनका अभी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । वास्तविकता तो यह है कि वहां पर भारतीय पुराणों, वेदों, विभिन्न मूर्तिकलाओं तथा मन्दिरों के सारे इतिहास का चित्रण किया गया है । यह सच है कि पाकिस्तानी मण्डप में, जिसको मैंने भी देखा था, एक प्रदर्श से पाकिस्तानी सभ्यता के 5,000 वर्षों का निर्देश मिलता है । पाकिस्तान भारत का भाग था । जब मैंने वहां प्रदर्शनी के निदेशक से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें यह कहने का अधिकार है कि वे भारतीय महाद्वीप का एक भाग थे। मोंहंजोदड़ो, हड़प्पा तथा टैक्सिला पूर्ण रूप से भारतीय हैं। इस बात का कोई व्यक्ति न ही विरोध कर सकता है और न ही कोई आपत्ति ।

श्री हरि विष्णु कामत : विरोध नहीं , परन्तु शोधन ।

श्री मनुभाई शाह : हमें तो गर्व है कि उन्होंने भी इसको प्रदर्शित किया है ।

Shri Bagri: Who has paid for that ?

Shri J. B. Singh: It should not so happen that they start claiming expenditure afterwards.

Shri Manubhai Shah: No body would claim it. So far there is the House, who can claim it.

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें प्रश्न का पूर्णतया उत्तर देने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं ने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में यह पूछा था कि क्या सरकार ने इतिहास का शोधन करने तथा हमारे स्वतंत्रता संघर्ष और भारत के विरुद्ध अनुवर्ती चीनी आक्रमण के बारे में विदेशी दर्षकों को अवगत कराने के लिये कोई प्रदर्श प्रदर्शित करने का कोई प्रयत्न किया है ?

श्री मनुभाई शाह : राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये हमारे संघर्ष का, भारत ने स्वतंत्रता संघर्ष को कैसी जीता, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् इन 17 वर्षों में इस देश को औद्योगिक, आर्थिक तथा, सामाजिक क्रांति द्वारा कैसे बदल दिया है, उस में स्पष्टरूप से चित्रण किया गया है । जहां तक चीनी आक्रमण का सम्बन्ध है, हमारे विचार में मण्डप एक ऐसा स्थान नहीं था जहां पर ऐसी चीज़ें रखी जातीं ।

श्री जो० भ० कृपालानी : क्या आपने इस बात का भी चित्रण किया है कि किस प्रकार चीन और पाकिस्तानियों ने हमारे राज्य क्षेत्र पर कब्ज़ा किया ?

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि न्यूयार्क विश्व मेले में कलात्मक रूप से उच्च श्रेणी की तथा विख्यात आसाम सिल्क को न ही पिछले वर्ष और न ही इस वर्ष प्रदर्शित किया गया है? मंत्री जी ने प्रदर्शित की गई वस्तुओं की जो सूची दी है उसमें भी आसाम सिल्क नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि इसके क्या कारण हैं और क्या इसको भविष्य में ऐसे मेलों में प्रदर्शित किया जायेगा?

श्री मनुभाई शाह : हमारे पास केवल 36,000 वर्ग फुट स्थान था और उसपर भारत की सभी वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था । कलाकारों ने देश में सर्वोत्तम कलात्मक वस्तुओं पर विचार किया और मद्रास से नटराज और दो देवताओं की मूर्त्तियों को देश में बहुत ही कलात्मक वस्तुओं में से समझा गया । इन चीजों को रखने के लिए उपलब्ध स्थान के अनुसार ही हम इनका प्रदर्शन कर सकते हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरा प्रश्न यह है कि आसाम सिल्क को वहां पर प्रदर्शित क्यों नहीं किया गया ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक आसाम हथकरघा उद्योग का सम्बन्ध है, आसाम की एक लड़की वहां पर थी जो आसाम सिल्क बुन रही थी ।

Shri Onkar Lal Berwa : Will Indian girls be taken there for dancing as they were taken last year ?

Shri Manubhai Shah : No one was taken.

Shri Bhagwat Jha Azad : After having visited the India Pavilion in New York last year, I can definitely say that there has been some improvement in our pavition—But is it not a fact inspite of the fact that the exhibits this time were better than those exhibited last time, the pavilions of the other countries were far ahead of us ? Do the Government not accept that the designs of the American Pavilion or of the General Motors which have been designed by Wall Dizani, were far better and whether India can also prepare such designs ?

Shri Manubhai Shah : Of course, there can be two opinions in this matter. But the people who have visited all the pavilions, however, consider our

pavilion to be second of all the 800 pavilions leaving aside the spansih Pavilion. Even then there can be divergence of opinions in this regard. In so far as the question of Wall Dizani General Motors is concerned, they have incurred an expenditure of Rs. 80 crores and Rs. 60 crores. We have only 1½ crores of rupees. We were not in a position to an expenditure of that amount. We have, however, done our best which could be done with 1½ crores of rupees.

श्री हेम बरुआ : इस मण्डप में पुराणों से लेकर इतिहास तक सभी चीजों को प्रदर्शित करने में अजस्वी मंत्री ने जो प्रयत्न किये हैं उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्या सरकार का विचार वहां पर यह भी प्रदर्शित करने का था कि चीन ने और अब पाकिस्तान ने हमारे राज्य क्षेत्र पर कैसे कब्ज़ा किया है ?

श्री रंगा : मुझे भी इस मण्डप को देखने का अवसर मिला था और यह काफी अच्छा था। मुझे इसे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस बारे में मैं जो कहना चाहता हूं और जो वास्तव में वहां पर हमारे लोगों ने कहा था वह यह है कि क्या हमारे कुछ लोगों को वहां पर दो अथवा तीन दुकानों के खोलने तथा भारतीय सामान को प्रदर्शित करने तथा बेचने की इजाज़त देने के लिए प्रयत्न नहीं किये जा सकते जिससे अपनी वस्तुओं को लोक-प्रिय बनाने के लिए इस प्रदर्शनी का लाभ उठाया जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : कार्यवाही करने के लिए यह एक अच्छा सुझाव है। अन्तर्राष्ट्रीय प्लाज़ा में हमने 8 खोखे पहले ही ले लिए हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान को वास्तव में बेचना चाहता है और जिसका सामान विशेषरूप से उच्च कोटि का है तो हम निश्चितरूप से उसकी सहायता करेंगे।

Shri Bagri : Did Shrimati India Gandhi go there on her personal expenditure or the expenditure was borne by the Government ?

Shri Manubhai Shah : This matter was raised before also. She had been there as a guest of the Government of America. But it does not mean that they should also bear the expenditure. Even we would have not agreed to that. Shre was the chairman of the Advisory Committee. We are very grateful to her for the good work she did there for getting the pavilion built.

Shri Bagri : It has not been answered, as to who bcre the expenditure?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Please tell us who bose the expenditure.

Shri Ram Manohar Lohia : The question was : by whom the expenditure was borne.

श्री मनुभाई शाह : यद्यपि मैं ने इस बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है तथापि मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। चूंकि वह वहां कुछ व्याख्यान देने के सम्बन्ध में भी गई थी अतः उन्होंने सरकार से सारी राशि न ले कर कुछ सीमित राशि ली है, हालांकि हमने उन्हें भारत सरकार का प्रतिनिधान करने के लिए कहा था।

Shri Ram Manohar Lohia : I have not been able to follow what he is speaking. She was invited by the Government of America. The Minister should tell us : by whom the expenditure was borne.

Shri Manubhai Shah : A statement has already been laid on the Table. If this hon. Members desire, we would again lay a statement.

An hon. Member : Who bore the expenditure ?

Shri Manubhai Shah : The entire expenditure is given in the statement.

Mr. Speaker : The hon. Minister says that he has already laid a statement on the Table.

Shri Manubhai Shah : If the House requires, we will give this information.

Shortage of coal in Patna

SNQ NO. 15. **Shri D. N. Tiwary:**
Shri Rameshwar Prasad Singh:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of coal in Patna as disclosed by the District Magistrate of Patna in his statement published in the 'Indian Nation' dated the 3rd May, 1965;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the efforts made to improve the situation?

इस्पात तथा खान मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मया) : (क), (ख) और (ग) : पटना में या कहीं और कोयले की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि पिछले कुछ दिनों में पटना में सोफ्ट कोक की कुछ कमी होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका कारण चार पहिये वाले वैगनों की अपर्याप्त प्राप्ति और लोक परिवहन यानों का सुरक्षा कार्य में लगाना है। बिहार राज्य सरकार की प्रार्थना पर 3और 6 मई को सोफ्ट कोक के 15 वैगनों के दो रेक पटना भेजने के विशेष कदम उठाए गए हैं। इससे उसकी लगभग एक माह की आवश्यकता पूरी हो जायगी।

Shri D. N. Tiwary : Are Government aware that the residents of Patna had to remain without burning their fire-places on one or two evenings for want of coal and the price of coal had gone so up that everybody could not afford to purchase it.

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi) : Of course, they might have to face this difficulty but the thing is this that all the trucks engaged for the transport of coal were requisitioned for defence purposes. The coal could not be brought for non-availability of Railway wagons but they have now been arranged.

Shri D. N. Tiwary : Is it not a fact that the Railway Ministry has all along been saying that there is no shortage of Railway wagons for coal and you now say that there is shortage of Railway wagons, how these two things be reconciled ?

Shri P. C. Sethi : As a matter of fact most of the wagons could not be sent for this purpose and there was restricted supply of four wheeler wagons. This difficultry arose out of this. But arrangements have now been made to send two rakes of 35 wagons each.

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Minister said that the shortage occurred because of diversion of vehicles for defence purposes I want to know whether the coal is taken there daily or it is lying there. Is there any Government store ? How it is arranged ?

श्री प्र० चं० सेठी : पटना में ऐसा कोई स्टोर नहीं है। कोयले का परिवहन या रेलवे द्वारा किया जाता है अथवा ट्रकों द्वारा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि न केवल पटना में परन्तु मुगल सराय से परे सभी स्थानों पर प्रतिरक्षात्मक प्रयोजनों के लिए पक्के कोयले का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ? क्या इस स्थायी अथवा पुरानी कठिनाई को अनुभव किया गया है, और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री तिम्मया: चूंकि हमने पक्के कोयले से नियंत्रण हटा दिया है इसलिए कोयला नियंत्रक को उस यथार्थ स्थान का पता नहीं लग सकता जहां पर पक्का कोयला उपलब्ध है। अतः उपभोक्ता रेलवे अधिकारियों से सीधे कोयला मंगवाते हैं। यह केवल राज्य सरकार को पता हो सकता है कि कौनसी जगह पर पक्का कोयला उपलब्ध नहीं है अथवा इसकी कमी है। राज्यों में पक्के कोयले की साम्य उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमने राज्य सरकारों से अपने विभिन्न अभिकर्त्ताओं द्वारा बिहार को पक्का कोयला भेजने के लिए कहा है और इससे स्थिति सुधर जायेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि झरिया क्षेत्र के उद्योगपति कोयला व्यापार में मन्दा आ जाने की शिकायत करते रहे हैं। क्योंकि खानों के मुहानों पर कोयले का काफी स्टाक इकट्ठा हो गया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने पटना को नियमित रूप से कोयला देने के मामले में इनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ?

श्री तिम्मया : इस सभा में हम कोयले की कमी का कारण कई बार बता चुके हैं। मैं आपको विस्तारपूर्वक तो नहीं बता सकता हूं, परन्तु स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाये गये हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister have stated that the wagons could not be sent because of their diversion to the defence purposes. Were the Government not aware in advance that there would be uproar for want of coal ? Do the Government propose to keep coal in stock there in future always so that the people are not to face this difficulty ?

Shri P. C. Sethi I said that wagons were diverted for defence purposes but the public trucks were, however, not diverted for defence purposes.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चावल निकालने का यंत्र

1229. **श्री नारायण दास** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल निकालने के यन्त्र बनाने की संभावना तथा कार्यक्रम के बारे में विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). देश में चावल बनाने की मशीनों के उपकरणों के उत्पादन की क्षमता पहले ही स्थापित हो चुकी है तथा और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के तरीकों को जानकारी करने के विचार से सरकार ने आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का मूल्यांकन करने के लिए प्रारम्भिक अध्ययन शुरू किया है। इस अध्ययन के नतीजों का अभी इन्तजार किया जा रहा है।

Heavy Engineering Corporation, Ranchi

*1235. **Shri Siddheshwar Prasad** : Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to refer to the reply given to the Starred Question No. 820 on the 9th April, 1965 and state :

(a) whether the enquiry into the fire accident in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi has been completed ;

(b) if so, the findings thereof ; and

(c) the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a)Investigations are being made by the Police who have registered a case of arson.

(b) and (c). Do not arise.

कोयले से गैसोलिन का उत्पादन

*1236. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी जर्मनी, अमरीका, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका में फालतू कोयले से गैसोलिन के उत्पादन के सम्बन्ध में किये गये सफल प्रयोगों की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घटिया किस्म के कोयले की मांग में भारी कमी दूर करने के लिए कोयले से गैसोलिन बनाने की योजनायें आरम्भ करने का है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अन्वेषण परिषद् तथा उसकी विभिन्न प्रयोगशालायें जोकि परीक्षा और अनुसन्धान करने से सम्बन्धित हैं, उन्हें पश्चिम जर्मनी, अमरीका, रूस और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में कोयले से संशलिष्ट तेल (सिनथैटिक आयल) प्राप्त करने के विषय में हो रहे वर्तमान विकासों का पता है।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अन्वेषण परिषद का विचार है कि इस देश में निम्न श्रेणी के कोयले से गैसोलीन का उत्पादन अमितव्ययी और अवास्तविक होगा जब तक कि नैपथा के बड़े अतिरेक को प्रयोग करने के साधन उपलब्ध न हों। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय धातुकर्मा प्रयोगशाला द्वारा परीक्षायें की जा रही हैं।

Setting up of Steel Plants by States

*1237. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Rameshwaranand :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any new policy regarding the setting up of Steel Plants by the States in their respective areas was announced by him at Madras;

(b) whether it was stated by him that a State which seeks permission to set up such a plant would have to make its own arrangements for foreign exchange worth Rs. 100 crores first ; and

(c) if so, whether it would mean that now every State would be required to arrange for its foreign exchange requirements by negotiating with foreign countries ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (c) No new policy statement other than made on the floor of the House was announced at Madras.

आसाम में सूक्ष्म-तरंग बेतार संचार व्यवस्था

*1238. **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने आपात काल को ध्यान में रख कर आसाम की सीमाओं तक जाने वाली पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर विद्यमान त्रुटिपूर्ण दूर-संचार व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह अत्यावश्यक समझा है कि वहां सूक्ष्म-तरंग संचार व्यवस्था की जाये और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अविलम्बित प्रमाण-पत्र दे दिया है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए टेंडर मांगे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो कार्य आरम्भ होने की क्या स्थिति है ; और

(घ) कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) टेंडरों पर विचार हो रहा है । इन टेंडरों पर अन्तिम निर्णय हो जाने और ठका दिये जाने के पश्चात् लगभग तीन महीनों के अन्दर काम शुरू हो जायेगा ।

(घ) जून, 1967 तक ।

कागज विपणन निगम

*1239. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कनकसबै :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखबारी कागज तथा अन्य किस्म का कागज बनाने के लिए एक कागज विपणन निगम स्थापित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में लुग्दी/कागज/अखबारी कागज की एक या दो मिलामिलें तथा इसके लिये एक कागज निगम की स्थापना करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

कच्चे पटसन का आयात

*1240. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल एसोसियेशन ने स्वदेशी रेशे के बढ़ते हुए मूल्य को रोकने तथा आगामी महीनों में जूट की वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन बनाये रखने के लिये कच्चे जूट का अतिरिक्त आयात करने के अविलम्ब लाइसेंस देने के लिये केन्द्रीय सरकार को "डिस्ट्रेस काल" भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी. हां ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

धातु-कर्मिक कोयला

*1241. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार छः महीने बाद ऊष्मसह (रिफ्रेक्टरी) उद्योग में धातु-कर्मिक कोयले का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने औद्योगिक उपभोग के लिए कोकिंग कौल के स्थान पर नान-कोकिंग कोल का प्रयोग किये जाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) कोकिंग कोयले की आवश्यकता धातुकर्मा उद्योगों, कोक ओवन प्लांटों तथा साफ्ट कोक निर्माण में होती है । ईंधन क्षमता समिति के अनुसार ऊष्म सह (रिफ्रेक्टरी) उद्योग की आवश्यकता केवल नान-कोकिंग कोयले की है । फिर भी अतिरेक कोकिंग कोलया जो कभी कभी धातुकर्मा उद्योगों में प्रयोग होने के बाद बचा रहता है, उसे ऊष्मसहों तथा दूसरे उपभोक्ताओं को प्रयोग में लाने दिया जाता है । कोकिंग कोयले के सीमित संचयों तथा धातुकर्मा उद्योगों की प्रत्याशित बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, अनावश्यक उपभोक्ताओं को तकनीकी सुधारों से फायदा उठाना होगा और कोकिंग कोयले के बिना काम चलाना पड़ेगा ।

Looting of Sindri Special Train

*1242. **Shri Naval Prabhakar** :
Shri H. C. Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Vishram Prasad :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that about fifty persons stopped Sindri Special train near Lucknow between Alamnagar and Kakori stations on the 16th April, 1965 and looted it ;

(*b*) if so, the particulars of the loot ;

(*c*) the extent of loss sustained in this loot ; and

(*d*) the action taken to arrest the culprits ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(*a*) Yes Sir, but only seven and not fifty criminals were involved in the incident.

(*b*) and (*c*). 11 brass bearings valued at Rs. 517/- were removed from the axles of the train.

(*d*) As a result of the combined efforts of Railway Protection Force and Government Railway Police, 4 brass bearings valued at Rs. 188/- were recovered and 4 accused persons were arrested. The case is under police investigation and every effort is being made to arrest the remaining three accused persons.

New York World Fair

*1243. **Shri Bagri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) the names of States which were permitted by Government to put up their stalls at the New York World Fair :

(*b*) the terms and conditions on which they were permitted to put up the stalls ;

(*c*) whether it is a fact that the Central Government allowed a particular party to put up a stall there in the name of 'Rajasthan' ; and

(*d*) if so, the terms and conditions on which that party was allowed to put up a stall ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (*a*) *to* (*d*) : Government did not give permission to any State Government as such, to set up stalls in the New York Worlds Fair nor has Government allowed a particular party to put up a stall there in the name of 'Rajasthan'. However, from among the five stalls in the International Plaza in the World's Fair which Government have rented for the purpose of display and sale of Indian merchandise, one stall has been taken by the Punjab Export Corporation Ltd., a Punjab State enterprise and another by M/s. Beharilal Benipershad Exports and Imports (P) Ltd., Delhi, which firm handles primarily merchandise on behalf of the Rajasthan State.

A copy of the standard form of agreement containing the term and conditions applicable to parties allotted stalls in the International Plaza by Government is placed on the Table of the House [*Placed in the library*. See *No. L.T* 4370/65]

केनिया को कपड़े का निर्यात

*1244. श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी प्रतिस्पर्धा के कारण केनिया में भारतीय कपड़े की मांग कम होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई प्रयास किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) से (ग) भारत से केनिया को होने वाले सूती कपड़े के सम्पूर्ण निर्यात में 1964 में थोड़ी सी कमी हो गई है । इसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1962	261.30 लाख रु०
1963	261.90 लाख रु०
1964	215.75 लाख रु०

हमारे निर्यात में कमी होने का मुख्य कारण पाकिस्तान के साथ होने वाली प्रतिस्पर्धा है जिसने सहायता देने की एक विशाल बोनस वाउचर योजना चलाई ह । कमी का दूसरा कारण यह भी है कि केनिया में वहां के कपड़ा निर्माताओं के उत्पादन में वृद्धि हो गई है । स्थानीय उद्योग का संरक्षण करने के उद्देश्य से केनिया सरकार ने सूती कपड़े के थानों, कम्बलों और कमीज़ों पर तटकर लगा दिया है । उसने सूती कम्बलों के आयात पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ।

छोटी कार परियोजना

*1245. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री पें० वैंकटा सुब्बया :
श्री रवीन्द्र शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सस्ती छोटी कार के निर्माण के लिए बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस स्थिति में है ;

(ग) क्या हाल में उन्होंने कहा था कि इस परियोजना में उनकी कोई रुचि नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने उन विदेशी सहयोगकर्ताओं को अपना विचार बता दिया है जिनके साथ सहयोग के लिए बातचीत चल रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). इस विषय में चाव रखने वाली कुछ पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। यह बातचीत अभी प्रारम्भिक अवस्था में है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

*1246. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने 1965–66 में अपना उत्पादन-लक्ष्य बढ़ाकर 1 करोड़ 10 लाख टन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय खपत में पूर्वानुमानित वृद्धि पर भी आधारित है ; और

(ग) बढ़ा हुआ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी नई खानों तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां । संभवत: प्रश्न का सम्बन्ध राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से है न कि परिषद से ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निगम को किसी नई खान अथवा अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होगी ।

संभरण विभाग द्वारा खरीदा गया सामान

3254. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभरण विभाग ने 1964–65 में किन किन देशों से सामान खरीदा था ;

(ख) कौन सी वस्तुएं खरीदी गयीं तथा उनका मूल्य क्या था ; और

(ग) 1965–66 में कितना सामान खरीदने का कार्यक्रम है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) उन देशों के नामों को प्रदर्शित करने वाला विवरण, जिनसे सम्भरण विभाग ने 1964–65 (दिसम्बर, 1964 तक) में सामान खरीदा है, अनुबन्ध 1 के रूप में सभा पटल पर रखा है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4371/65]**

(ख) एक विवरण जिसमें 1964–65 (दिसम्बर, 1964 तक) में विभिन्न देशों से खरीदी गई वस्तुएं और उनके मूल्य दिये गये हैं, अनुबन्ध 2 के रूप में सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4370/65]**

(ग) देशों के नाम और जो वस्तुएं उनसे 1965–66 में खरीदी जायेंगी बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह इन्डैंट-कर्ताओं से प्राप्त की हुई मांग खरीद किये जाने वाले गोदामों के स्वभाव, तथा संभरणकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तुतियों पर निर्भर करेगा ।

उड़ीसा में रेशम उद्योग

3255. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रेशम उद्योग के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को 1964–65 में कोई वित्तीय सहायता दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1965–66 में कितनी राशि देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख)

अनुदान	1.33 लाख रु०
ऋण	1.55 लाख रु०
योग	2.88 लाख रु०

(ग) 3.20 लाख रु० (2.20 लाख रु० अनुदान और 12 लाख रु० ऋण रूप में) ।

कंटाबांज स्टेशन के निकट हनुमान मंदिर

3256. **डा० कोहोर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारी उड़ीसा के बोलनगीर जिले में कंटाबांज रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे के निकट स्थित उस हनुमान मन्दिर को बलपूर्वक गिराने का विचार कर रहे हैं जो वहां रेलवे लाइन के निर्माण से बहुत पहले बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे प्राधिकारियों को उसे गिराने के अनुदेश दे दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं। कंटाबांजी में रेलव की जमीन में स्थित किसी पुराने मन्दिर को गिराने का विचार नहीं है। लेकिन कि० मि० 170/3 के समपार के पास रेलवे की जमीन हाल में बनायी गयी एक अनधिकृत इमारत को वहां से हटाने के लिए कार्यवाही की गयी है। ऐसा पता चला है कि इस इमारत का निर्माण मन्दिर के लिए किया गया था, लेकिन अभी तक इसमें किसी देवी-देवता की स्थापना नहीं की गयी है।

ओखला केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्तियां

3257. **श्री राम हरणख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार ने ओखला उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली के सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थियों को जर्मनी (संघ गणराज्य) में दो छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा तथा अवधि क्या है ; और

(ग) अध्ययय के किन पाठ्यक्रमों के लिये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) वजीफों में नीचे लिखे खर्चे शामिल होंगे :

(1) जर्मनी जाने के लिए जहाज पर चढ़ने वाली बन्दरगाह से जाने और भारत लौटने का परिवहन का खर्चा तथा जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए यात्रा सम्बन्धी खर्च।

(2) भाषा कोर्स के दौरान भोजन तथा आवास का खर्च और 100 डी० एम० का मासिक जेब खर्च तथा भाषा कोर्स की समाप्ति पर 100 डी० एम० का अतिरिक्त खर्च।

(3) व्यवहारिक प्रशिक्षण के काल में 400 डी० एम० का मासिक भत्ता जिसमें से भोजन तथा आवास और वस्त्रों का खर्च भी पूरा किया जाएगा।

(4) प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पुस्तकों और उपकरणों का खर्चा और

(5) जर्मनी में ठहरने के दौरान दुर्घटनाओं और बीमारी के लिए बीमा ।

चार महीने के भाषा कोर्स समेत प्रशिक्षण का काल 16 मास है ।

(ग) यह कोर्स कारीगरों के लिए उच्च व्यावहारिक प्रशिक्षण के वास्ते होते हैं । दो प्रकार के प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार हैं :

(1) मशीन फिटिंग तथा उससे सम्बन्धित तकनीकें, और

(2) मशीन चालन जिसमें मशीन करना, मिलाना, तथा करना आता है ।

नारियल जटा उद्योग समिति

3258. श्री अ० क० गोपालन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल जटा उद्योग समिति का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग की उन्नति के लिये उसमें क्या उपाय सुझाये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी): (क) यहां आशय शायद जटा उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी वर्ग के प्रतिवेदन से है जो हाल में ही सरकार को प्राप्त हुआ है ।

(ख) जटा उद्योग के विकास के लिए कार्यकारी वर्ग ने जो बड़ी सिफारिशें की हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) तीसरी योजना की अवधि के लिए निर्यात लक्ष्य 13 करोड़ रु० और चौथी योजना अवधि के अन्त समय 16 करोड़ रु० निश्चित किया जाय ।

(2) जटा से बनी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए नारियल की जटा का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए और इस कार्य के लिए जटा उतारने तथा छिलाई करने के संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए ।

(3) रबरीकृत जटा के रेशे बनाने के लिए दो और कारखाने खोले जाने चाहिए ।

(4) चौथी योजना में गवेषणा कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(5) नये और ऐसे महत्वपूर्ण बाजारों का सावधानी के साथ और नियमपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए जहां खपत बढ़ सकती है ।

(6) तैयार तथा निर्यात किए जाने वाले माल की किस्म नियंत्रण होनी चाहिए और जिन वस्तुओं के लिए मानक निर्धारित हो चुके हैं उन का लदान से पूर्व अनिवार्य रूप से निरीक्षण होना चाहिए ।

(7) जटा से बनी वस्तुओं के विभिन्न निर्माण क्षेत्रों को प्रशिक्षण देने के लिये एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण और डिजाइन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए ।

(8) मशीनों से चटाइयां बनाने के तीन या उससे अधिक वैसे ही कारखाने खोलने चाहिएं जैसा कि कायर बोर्ड ने एक खोल रखा है ।

(9) उद्योग द्वारा उत्पादन की नवीनतम प्रविधियां अपना लेने पर उस की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक आधुनिक रंगाई घर की स्थापना हो ।

(10) उपयुक्त स्थानों पर रस्सी बनाने के दो कारखाने खोले जाने चाहिए ।

(11) जटा उद्योग के कताई क्षेत्र में धीरे धीरे मशीनों का प्रयोग चालू करना होगा।

(12) जटा के रद्दी हिस्से और नारियल के गूदड़ से रेशे के बोर्ड और ईंटें बनाने की सम्भावनाओं की खोज होनी चाहिए ।

(13) निर्यात प्रोत्साहन की जो योजनाएं चाल् की जा चुकी हैं उन्हें चौथी योजना की अवधि में जारी रखना चाहिए और यथा सम्भव अधिक से अधिक लचीला कर देना चाहिए।

(ग) प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है और सिफारिशें जहां तक व्यवहारिक है अमल में लायी जा रही हैं ।

तेल्लिच्चेरी-कुर्ग रेल सम्पर्क

3259. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर में प्रस्तावित तेल्लिच्चेरी-कुर्ग रेल सम्पर्क स्थापित करने का विचार त्याग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर इतना अधिक व्यय करने के बाद उसे छोड़ने के क्या कारण हैं , और

(ग) उसके लिये किये गये सर्वेक्षणों पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). इस लाइन के सम्बन्ध में 1956–58 में जो अभिदर्शन इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे उनसे पता चला कि वित्तीय दृष्टि से इस लाइन को बनाने का औचित्य नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने वाले प्रस्तावों के बारे में अभी अन्तिम रूप से फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इस काम के लिए जो सीमित रकम उपलब्ध है उसे देखते हुए प्रस्तावित लाइन को, जोकि अलाभप्रद है, चौथी योजना में शामिल करने की सम्भावना नहीं दिखायी देती ।

(ग) सर्वेक्षण के कामों पर 1,88,366 रुपये खर्च हुए ।

मूंगफली के तेल के निर्यात को बन्द करना

3260. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के तेल तथा अन्य वनस्पति तेलों का निर्यात बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). देश में होने वाली कमी के कारण खाद्य तेलों का निर्यात बन्द कर दिया गया है। इन तेलों में मूंगफली का तेल भी है।

मूंगफली के तेल का निर्यात

3261. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 तथा 1964–65 में कितना मूंगफली का तेल तथा कितनी मात्रा में अन्य वनस्पति तेलों का निर्यात किया गया था ; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). भारत द्वारा 1963-64 और 1964-65 (अप्रैल-जनवरी) में मूंगफली और अन्य वनस्पति तेलों का निर्यात इस प्रकार रहा है :—

	1963-64		1964-65 (अप्रैल-जन०)	
	मात्रा मी० टनों में	मूल्य लाख रु० में	मात्रा मी० टनों में	मूल्य लाख रु० में
मूंगफली का तेल . .	97106	1345	8597	116
वनस्पति तेल, मूंगफली का तेल छोड़ कर	50961	695	35609	566

दक्षिण रेलवे पर यात्री सुविधायें

3262. श्री धर्मलिंगम : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर काटपाडी से विष्णुपुरम (विल्लुपुरम) के बीच के स्टेशनों पर यात्री सुविधायें प्रदान करने के लिये 1963-64 तथा 1964–65 में कितनी राशि दी गई थी ;

(ख) स्टेशन-वार किस प्रकार की यात्री सुविधायें प्रदान की गई हैं ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) काटपाडी और विल्लुपुरम के स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए जितनी राशि की व्यवस्था निर्माण-कार्यक्रम में की गयी, उसका ब्यौरा :

1963-64 में	1,40,054 रुपये
1964-65 में	64,215 रुपये

(ख) जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गयी : —

(1) पोलूर—तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की सुरक्षा और उसका विस्तार ।

(2) वेंकटेशपुरम—6 फुट व्यास वाला कुंआ ।

(3) वेलुर टाउन—तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में विस्तार ।

(4) विल्लुपुरम—यात्री शौचालयों में जलवाहित व्यवस्था, विश्रामालाय और ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय ।

(5) तिरुवण्णमलै—100 फीट लम्बा यात्री सायबान ।

(6) नीचे लिखे 9 रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना :—

वेंकटेशपुरम
अगरम् शिब्बंदी
मादिमंगलम

माम्बलपट्टु
सोदरामपट्टु
तुरिजापुरम
कलसपाक्कम
ओण्णपुरम
अदिच्चनूर

(7) काटपाडी—बड़ी लाइन के यात्री प्लेटफार्म पर 250 फीट लम्बी छत ।

(8) काटपाडी—प्लेटफार्म पर 16 अतिरिक्त बेंचों की व्यवस्था ।

(ग) उन पर किया गया कुल खर्च—

(1) 1963-64 में . . 85,090 रुपये
(2) 1964-65 में . . 38,963 रुपये 75 पैसे

कमी का कारण यह है कि भण्डार के नाम खाते समय पर प्राप्त नहीं हुए । काम की प्रगति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा ।

पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना

3263. **श्री हेम राज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 12 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1084 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में हिमालय के ब्यास क्षेत्र में भारतीय समवाय द्वारा कनाडा की फर्म के सहयोग से अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के हेतु संयुक्त उद्यम आरम्भ करने के लिये सहयोग की शर्तें अन्तिम रूप में निश्चित हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). उससे आगे कोई भी प्रगति नहीं हुई है । विदेशी पार्टी के सहयोग की शर्तों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

जोधपुर डिवीजन में पानी की कमी

3264. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन में पानी की भारी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां सामान्य रूप से अनाज की भी बहुत कमी है तथा वहां पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को अनाज प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). जोधपुर डिवीज़न में अनाज की सप्लाई में कमी की ओर रेल मंत्रालय का ध्यान दिलाये जाने पर रेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य सरकार को तत्काल उपचारी उपाय करने के लिये लिखा जा चुका है। रेल कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार आयातित गेहूं के कोटे को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

लघु उद्योग सेवा संस्थायें

3265. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय कितनी लघु उद्योग सेवा संस्थाएं काम कर रही हैं और वे कहां-कहां हैं ; और

(ख) 1965-66 में ऐसी कितनी संस्थाएं खोली जायेंगी और वे कहां-कहां खोली जायेंगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) इस समय पंजाब में एक लघु उद्योग सेवा संस्था है जो लुधियाना में स्थित है। इसके अतिरिक्त पंजाब में सात विस्तार केन्द्र हैं जो निम्नलिखित स्थानों में स्थित हैं :—

1. बटाला
2. कैथल
3. जालन्धर
4. रिवाड़ी
5. अम्बाला
6. फरीदाबाद
7. जगाधरी।

(ख) 1965-66 में पंजाब में ऐसी कोई संस्था/विस्तार केन्द्र खोलने का विचार नहीं है।

भारत-ब्रिटेन व्यापार सम्बन्ध

3266. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के प्रधान भारत आए हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) भविष्य में भारत-ब्रिटेन व्यापार सम्बन्धों की संभावनाएं क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। महामान्य श्री डगलस जे०, अध्यक्ष ब्रिटिश व्यापार बोर्ड ने 23 अप्रैस से 27 अप्रैल तक भारत की यात्रा की।

(ख) ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष की यात्रा, वाणिज्य मंत्री द्वारा फरवरी, 1965 में अपनी लन्दन यात्रा के समय उन्हें दिये गये निमंत्रण के फलस्वरूप हुई है।

(ग) वाणिज्य मंत्री तथा ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के मध्य हुई वार्ता के पश्चात् 25 अप्रैल, 1965 को जारी की गयी एक संयुक्त विज्ञप्ति सभा पटल पर रखी जाती है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 4372/65]।

रेलवे वर्दी

3267. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर, पूर्व तथा पूर्वोत्तर रेलों के वाणिज्यिक कर्मचारियों को, परिवहन कर्मचारियों की भांति पूरी वर्दी मिलती है परन्तु मध्य तथा पश्चिम रेलों के इसी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी नहीं मिलती ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां। बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क और गुड्स क्लर्क जैसे कुछ वाणिज्यिक कर्मचारियों के बारे में यह बात सही है।

(ख) ऊपर भाग (क) में जिन कोटियों का उल्लेख किया गया है उन्हें फरवरी, 1963 में किये गये मानकीकरण के अनुसार वर्दियां नहीं दी जानी हैं। लेकिन इन कोटियों के जिन कर्मचारियों को पहले वर्दियां दी जाती थीं, उन्हें अभी भी दी जा रही हैं।

B. G. Line from Samastipur to Narkatiaganj

†3268. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Shree Narayan Das :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(*a*) whether Government are planning to construct a Broad Gauge Railway line from Samastipur to Narkatiaganj *via* Muzaffarpur Junction ; and

(*b*) if so, when the construction of the line is expected to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

रेलवे गार्ड

3269. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे गार्डों की ओर से, उन्हें अन्य परिचालक वर्ग के समान भत्ते देने के लिये, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गार्डों की मुख्य शिकायत यह है कि मील-भत्ते की जो दरें उन पर लागू हैं वे कम हैं और उन पर भी वही दरें लागू की जायें जो ड्राइवरों पर लागू हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि (1) ड्राइवरों और गार्डों की ड्यूटी तथा जिम्मेदारियों के आधार पर उनके मील-भत्ते की दरें हमेशा से भिन्न भिन्न रही हैं और (2) दूसरे वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह राय जाहिर की थी कि यह सुझाव मानने को तैयार नहीं है कि भत्तों की दरें एक जैसी रखी जायं, चाहे सम्बन्धित कर्मचारियों की ड्यूटी और जिम्मेदारियां, जो कि उनके अपने-अपने वेतन मान में परिलक्षित होती हैं किसी तरह की हों, सरकार के पास इसके लिए कोई औचित्य नहीं है कि वह गार्डों को उन्हीं दरों पर मील-भत्ता दे जिन दरों पर ड्राइवरों को दिया जाता है।

जूट की वस्तुओं का निर्यात

3270. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जूट की वस्तुओं का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) विभिन्न देशों को जूट वस्तुओं के निर्यात का वर्तमान स्तर क्या है ; और

(ग) जूट वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें०वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) केवल इतना ही नहीं कि जूट की वस्तुओं के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है, परन्तु 1964 में जूट की वस्तुओं के निर्यात का उच्चतम रिकार्ड कायम हुआ और यह तीसरी योजना के लक्ष्य को एक वर्ष पहले ही पार कर गया। 1963 और 1964 में हुआ निर्यात इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1963	8.9 लाख मी० टन	156.8 करोड़ रु०
1964	10.9 लाख मी० टन	176.2 करोड़ रु०

(ग) जूट की वस्तुओं के भारत से होने वाले निर्यात में वृद्धि करने के लिये नीचे लिखे कदम उठाये गये हैं :

(1) भारत से निर्यात होने वाली जूट की वस्तुओं के लिये, 1 जनवरी, 1965 से किस्म नियंत्रण और लदान पूर्व जांच अनिवार्य कर दी गयी है।

(2) भारतीय जूट मिल संघ ने लन्दन और न्यूयार्क में अपने कार्यालय खोलने के अतिरिक्त एक कार्यालय ब्रुसेल्स में भी खोला है जो कि योरूपीय साझा बाजार में, सम्मिलित देशों के बाजारों की देख-रेख करेगा।

(3) सरकार ने भारतीय जूट मिल संघ को उन प्रायोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने को अपनी स्वीकृति दे दी है जो जूट उत्पादों के लिये प्रविधिक गवेषणा और औद्योगिक उपयोग का सम्वर्द्धन करने के लिये बनायी गयी हैं। 45 लाख रु० के अनुमानित व्यय से चालू होने वाले रेशा परिवर्तन कारखाना

और उत्पाद विकास प्रायोजनाएं कलकत्ता में शुरू की जायेंगी । गवेषणा और प्रचार कार्य सं० रा० अमरीका में भी फैब्रिक रिसर्च लेबोरेट्रीज, सं० रा० अ० और कारपेट बैंकिंग काउंसिल के माध्यम से किया जा रहा है ।

(4) बाजार सर्वेक्षण और अध्ययन भी समय समय पर किये जाते हैं, जिससे कि हमारे जूट उत्पादों के लिये नये बाजार खोजे जा सकें तथा वर्तमान बाजारों में हमारी स्थिति सुधरे । यह कार्य इस विषय के विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करके तथा विभिन्न देशों को प्रतिनिधिमण्डल भेज कर किया जाता है ।

(5) भारत में होने वाले कच्चे जूट के आयात पर, अभी हाल में लागू हुए विनियम करने वाले सीमा शुल्क माफ कर दिये गये हैं ।

घड़ी के पुर्जों का निर्माण

3271. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने एकक पृथक-पृथक घड़ी के पुर्जों के निर्माण में तथा घड़ियां बनाने के काम में लगे हुए हैं ;

(ख) 1964–65 में कुल कितनी घड़ियों का आयात हुआ ; और

(ग) उन पर कुल कितनी मुद्रा खर्च हुई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) सम्पूर्ण घड़ियां बनाने का एक कारखाना है । बड़े पमाने के क्षत्र में कोई भी ऐसा कारखाना नहीं है जो घड़ियों के केवल पुर्जों का ही निर्माण करता हो, किन्तु छोटे क्षेत्र में कुछ ऐसे कारखाने हैं जो घड़ियों के केवल केस तैयार करते हैं ।

(ख) और (ग) 1964–65 (दिसम्बर, 1964 तक) 3.7 लाख रु० मूल्य की 9,785 घड़ियां आयात की गई थीं ।

कपड़े का निर्यात

3272. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में पिछले वर्ष की तुलना में विदेशों को कपड़े का निर्यात बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1963 में हुए 63.29 करोड़ रु० से यह 1964 में 72.68 करोड़ रु० हो गया ।

कपड़े का उत्पादन

3273. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में देश में मिलों तथा हथकरघों द्वारा तयार किये गये कपड़े का पृथक-पृथक उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी ;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष की अपेक्षा उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी) : (क) 1964–65 में हुआ उत्पादन (अनुमानित):

मिल में बने वस्त्र . . .	46950 लाख मीटर
विकेन्द्रीय क्षेत्र (हथकरघा और शक्तिचालित करघे)	30690 लाख मीटर

हथकरघा उत्पादन के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं । 1964–65 में हुए प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े भी अलग से उपलब्ध नहीं है । 1964 में सूती वस्त्रों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 15.15 मीटर रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रूरकेला उर्वरक कारखाना

3274. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला उर्वरक कारखाने में उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) यद्यपि 1965 में राउरकेला के उर्वरक कारखाने के उत्पादन में 1963 और 1964 के उत्पादन की तुलना में कोई कमी नहीं हुई है, यह सच है कि यह कारखाना राउरकेला इस्पात कारखाने की कोक भट्टियों से अपर्याप्त मात्रा में गैस मिलने के कारण निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है । पूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु गैस की प्रदाय स्थिति को अच्छी बनाने के लिए उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है और इसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

Shifting of Industries outside Delhi City

3275. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state ;

(*a*) whether it is a fact that an amount of Rs. 1 ½ crore earmarked for shifting factories outside Delhi city during the Third Five Year Plan has not been utilised ; and

(*b*) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) (a) and (b). Against the total provision of Rs. 141·00 lakhs approved for the scheme of shifting factries to places outside Delhi City during the 3rd Five Year Plan, Rs. 9·00 lakhs and Rs. 30·00 lakhs were provided in the Delhi Administration's Budget for 1963-64 and 1964-65, respectively. These provisions could not, however, be utilized due to the delay in the allotment of land, for the purpose, in the approved industrial zones by the Delhi Development Authority.

लघु आविष्कार विकास बोर्ड

3276. **श्री राम चन्द्र मलिक :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु आविष्कार विकास बोर्ड द्वारा 1963–64 तथा 1964–65 में कोई पुरस्कार दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) आविष्कार सम्बर्द्धन बोर्ड ने 1963–64 के वर्ष में निम्नलिखित व्यक्तियों को पुरस्कार दिये :—

क्रम	आवेदक का नाम	आविष्कार	पुरस्कार की राशि
			रु०
1	श्री के० टी० माइकेल, त्रिचूर (केरल)	"डायमण्ड पालिशर"	1,000
2	श्री सी० पी० मल्होत्रा, बम्बई	"फिलिंग सेस्टम"	1,000
3	श्री एस० आई० श्रीनिवासन, बीरभूम (प० बंगाल)	"इम्प्रूव्ड हैंडलूम्स एण्ड अदर वीविंग एप्लाएन्सेज़"	500
4	श्री मनरंजन दास (आसाम)	"ग्राम उद्योग प्रिंटिंग मशीन"	300

क्रम	आवेदक का नाम	आविष्कार	पुरस्कार की राशि
5	श्री ए० सी० दस्तगीरी, साहिब, हुबली (मैसूर)	"ए फ्राइंग मशीन फार फ्राइंग ग्रेन्स एण्ड लाइक मटीरियल्स"	200
6	डा० के० एस० माधवन पिल्ले, (त्रिवेन्द्रम)	"डिटेक्शन एण्ड प्रोडक्शन आफ टैनिंग मटीरियल फ्राम कैश्यू स्किन"	1,000
7	डायरेक्टर, इण्डियन ऐग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली (पूसा इन्स्टीट्यूट)	"आई० ए० आर० आई० हैंड हो"	डायरेक्टर तथा कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र
8	श्री सुधीर चन्द्र मजूमदार जलपाईगुड़ी (प० बंगाल)	"हिस्टारिकल चार्ट"	स्वर्ण पदक रु०
9	श्री टी० एन० पलनियान्डी, तिरुचिरापल्ली	"मिलेट डी–हास्किंक मशीन"	1,000
10	श्री सी० के० सुब्रह्मण्यम, (मद्रास)	"कम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल टेस्टर एण्ड बाल प्वाइंट पेन"	200
11	श्री एस० पी० जोशी, (मद्रास)	"इम्प्रूवमेंट्स इन आर रिलेटिंग टु कम्बाइन्ड क्लोज़र्स कम ड्रामर फार बाटल्स एण्ड दिलाइक।"	50
12	श्री एस० पी० जोशी (मद्रास)	"सीलिंग डिवाइस फार कन्टेनर्स अगेन्स्ट इल्लिसिट ओपेनिंग अर्थात् पिल्फर प्रूफ सीलिंग डिवाइस।"	100
13	श्री एस० पी० जोशी (मद्रास)	"हुक्स आर फासेनर फार सिक्योरिंग की रिंग लूज लीव्ज़ एण्ड पेपर्स टु फाइल्स।"	50
14	श्री ओ० पी० अग्रवाल (कानपुर)	"कन्वर्टिंग एक्जिसटिंग स्टाप वाल्वज इन टु कम्बाइन्ड स्टाप एण्ड आटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्वज।"	2,000
15	श्री जीवन राम गुप्त, लखनऊ (उ० प्र०)	"आटोमेटिक डाइगनोसिस एण्ड ट्रीटमेंट बाक्स।"	1,000

1964–65 के लिये पुरस्कारों के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

चाय के उत्पादन की लागत

3277. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय चाय परिषद् तथा अन्य चाय कम्पनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें रिजर्व बैंक तथा अनुसूचित बैंकों द्वारा व्याज की दर में वृद्धि करने से चाय के उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने की शिकायत की गई है तथा यह मांग की गई है कि व्याज की दर में हाल ही में जो वृद्धि की गई है उसे चाय कम्पनियों को दिये गये ऋणों पर से हटा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी): (क) और (ख). बैंक के व्याज दर की वृद्धि समग्र ऋण नीति का मामला है और वह देश की अर्थ-व्यवस्था के समस्त अनुभागों पर लागू होती है ।

पिंजोर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी

3278. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री युद्ध वीरसिंह :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे सामान-जैसे मिश्रित इस्पात तथा बिजली के पुर्जों की कमी के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी में उत्पादन में बाधा उपस्थित हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो कमी कितनी है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति के कारण पिंजौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने द्वारा कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की मांग को पूर्णरूपेण पूरा करना सम्भव नहीं हो सका। कारखाने के अनुसार 1964-65 में यह कमी लगभग 50 प्रतिशत थी ।

(ग) विभिन्न आन्तरिक मांगों की प्राथमिकता तथा विदेशी मुद्रा की पूर्ण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विदेशी विनिमय के नियतन को यथासम्भव बढ़ाने के लिए हरेक कोशिश की जा रही है ।

चाय का निर्यात

3279. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में उत्तरी भारत की चाय दक्षिण भारत की चाय की तुलना में अच्छे दामों पर नहीं बिक रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में विदेशी बाजार में इस के कारणों का पता लगाने के लिये क्या कोई प्रयत्न किया गया है और इसके परिणामस्वरूप कौन से सुधार करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते ।

रबड़ की खपत

3280. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में प्राकृतिक रबड़ की खपत में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय देश में प्राकृतिक रबड़ की कितनी मांग है और क्या कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण प्राकृतिक रबड़ का आयात बन्द किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी): (क) और (ख): 1964 में प्राकृतिक रबड़ की खपत (जोकि 61,000 मी० टन थी) लगभग उतनी ही रही जितनी कि 1963 में हुई थी ।

(ग) 1965-66 में होने वाली प्राकृतिक रबड़ की मांग के विषय में लगभग 70,000 मी० टन का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 50,000 मी० टन के लगभग की पूर्ति देशी उत्पादन द्वारा होगी, और शेष आवश्यकता के लिए आयात करना होगा । नकली रबड़ का 1965-66 में होने वाला अनुमानित उत्पादन जोकि 20,000 मी० टन है लगभग उतना ही है जितनी मांग इसके लिये रहेगी ।

Goods Stolen from Railway Wagons

3281. **Shri J. P. Jyotishi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) the number of persons arrested during 1964-65 for stealing goods from railway wagons (zone-wise) ;

(b) whether some railway employees were also party to these thefts and if so, the number thereof ; and

(c) the amount of compensation Government had to pay on account of these thefts ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Singh) Subhag : (a), (b) and (c). The required information is as follows :—

Railway	No. of persons arrested	No. of Railway employees party to such thefts	Amount of compensation paid by Government
			Rs.
1. Central	216	51	30,122
2. Eastern	131	..	2,27,605*
3. Northern	95	10	60,550
4. North Eastern	65	14	62,770
5. Northeast Frontier	77	15	31,798
6. Southern	129	10	17,952
7. South Eastern	126	29	48,530
8. Western	204	62	1,50,669

*Upto February, 1965.

शेरगढ़ स्टेशन पर प्रहार की घटनायें

3282. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि भटिंडा के निकट शेरगढ़ स्टेशन पर यात्रियों पर प्रहार की अनेक घटनायें हुई हैं ;

(ख) क्या रात को गाड़ियों का मेल शेरगढ़ से हटा कर राभां स्टेशन पर करने के लिये उन्हें यात्रियों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) शेरगढ़ स्टेशन पर किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की गयी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Sinking Village in J. & K.

3283. **Shri Raghunath Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a village, Yad, 60 miles away from Jammu is gradually sinking in the earth ; and

(b) if so, whether any arrangements have been made to find out the geological causes thereof?

The Minister of Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy): (a) and (b). There was a news item in the press on 21st March, 1965 that village Mada, about 60 miles from Jammu is reported to be sinking. The matter is under investigation by the Geological Survey of India.

गोवा में खानों का राष्ट्रीयकरण

3284. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मार्च, 1965 को बिचोलेम में हुई बैठक में गोआ के खान श्रमिकों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी कि गोआ में जिन खानों के मालिक विदेशी हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) 26 मार्च 1965 को बिचोलेम में खनन श्रमिकों की बैठक ने, जो गोआ खनन श्रम कल्याण संघ के आधीन हुई थी, संकल्प पारित किया था जिसमें उन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि गोआ की सब खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और पहला कदम यह उठाया जाए कि जिन खानों के मालिक विदेशी हैं उनका तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाए ।

(ख) इस समय गोआ की खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है । इसलिए गोवा खनन श्रम कल्याण संघ द्वारा पारित संकल्प पर कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है ।

Import of 'Chloradiazepoxide'

3285. **Shri Kishan Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 666 on the 24th December, 1964 and state :

(a) whether any directions or instructions regarding the import price of 'Chloradiazepoxide' have been issued to Roche Co.;

(b) whether the amount of foreign exchange incurred on the import of this drug during the last year has been less than that in the previous year and if so, the reasons therefor; and

(c) whether it is a fact that with a view to bring pressure on Government, the Roche Co. has issued a circular to all its selling agents to stop or minimise the sale of 'Librium' ?

The Minister of Commerce (Shri Manu Bhai Shah): (a) Yes, Sir. A copy of the Public Notice No. 6-ITC/PN/65, dated 11th February, 1965 issued on the subject for the information of the trade is laid on the Table. [Placed in the Library. *See* No.LT-4373/65]. Attention of M/s. Roche Products was specifically drawn to this Public Notice and they were advised to act accordingly.

(b) The item Chloradiazepoxide is not separately classified in the Trade Classification of the country, as such it is not possible to say as to how much foreign exchange was incurred on the import of this item during a particular year.

(c) The Government have no information regarding a circular issued by M/s. Roche Co. to its selling agents, relating to the sale of 'Librium'.

मैसर्स आई० सी० सी० (कायनाइट) लिमिटेड

3286. **श्री ह० च० सोय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स आई० सी० सी० (कायनाइट) लिमिटेड, गालूडीही अपने कार्यवहन व्यय में बाकायदा हेर-फेर कर रही है तथा निर्यात के लिये मूल्य के बीजक बनाकर कायनाइट ब्रिटेन व अन्य देशों को बेच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सामने रखी जाएगी ।

मसालों का निर्यात

3287. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1087 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसालों के निर्यात सम्बन्धी सेमिनार का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तथा सरकार ने इस पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सेमिनार का अन्तिम प्रतिवेदन 3 मई, 1965 को प्राप्त हुआ है और उस पर इस समय विचार हो रहा है ।

Decline in Trade with Pakistan

3288. **Shri Yudhvir Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that volume of our trade with Pakistan has declined to a great extent during the last six months;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the commodities in which the trade has been comparatively less ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No, Sir; Our total trade with Pakistan increased from Rs. 796 lakhs for the period September '63—February '64 to Rs. 1509 lakhs for the period September '64—February' 65.

(b) & (c). Do not arise.

Seizure of opium at Bhatni Station

3289. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a box containing opium booked from Bilthara Road Station on the N.E. Railway on 28th March, 1965 for Assam was seized in the parcel office of Bhatni, N.E. Railway Station as a result of the vigilance of the railway employees;

(b) if so, the quantity of opium the box contained; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, by the Excise staff who had been trailing the parcel from Bilthara Road Station.

(b) 27 Kilograms.

(c) A case has been registered u/s 9 of the Opium Act, U.P. and is under investigation of the Excise Department.

Fire Incident at Mirzapur Station

3290. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that aThird Class compartment of the passenger train running between Varanasi and Prayag was burnt to ashes on the morning of the 8th March, 1965 at Mirzapur Railway Station, Northern Railway.

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the loss caused to Railway property due to this accident ?

The Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes, but on 4-3-1965.

(b) The enquiry revealed the cause of the fire to be an electric spark.

(c) Rs. 25,000/-.

दिल्ली का बड़ा रेलवे स्टेशन

3291. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन के एक संस्पर्शी ब्लाक का कुल क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) क्या इस रेलवे स्टेशन में आम रास्ते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और क्या जनसाधारण की असुविधा दूर करने के लिये स्टेशन को राजधानी के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से किसी अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में क्या कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यार्ड सहित दिल्ली जंक्शन स्टेशन का क्षेत्रफल एक साथ मिला कर लगभग 70 एकड़ है ।

(ख) इस क्षेत्र में एक ओर से दूसरी ओर आने-जाने के लिए आम रास्तों के रूप में डफरिन रोड ऊपरी पुल, लोथियन निचला पुल और कौड़िया ऊपरी पैदल पुल हैं ।

(ग) दिल्ली मेन स्टेशन को उसकी मौजूदा जगह से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

लोकोमोटिव वर्कशाप, अमृतसर

3292. श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री बन्ने :
श्री हुकमचन्द्र कछवाय :
श्री जगदेवसिंह सिद्धांती :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे लोकोमोटिव वर्कशाप, अमृतसर के वर्क्स मैनेजर (जनरल) ने 1-4-65 से 31-3-66 को अवधि के लिये वर्कशापों से कूड़ा-करकट, लोहा ढलाईघर व पीतल ढलाईघर की अवशिष्ट राख तथा जले कोयले की बाकी बची हुई राख को खरीदने तथा हटाने के लिये टेंडर मांगे थे ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त टेंडरों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि जिस पक्ष ने सब से अधिक राशि पेश की थी उस को ठेका नहीं दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चार टेंडर मिले थे । इन चारों में से प्रत्येक ने निम्नलिखित रकम का टेंडर दिया था :—

(1) 21,050.50 रु०

(2) 20,100.00 रु०

(3) 17,777.77 रु०

(4) 15,550.00 रु०

(ग) जी हां ।

(घ) टेंडरों पर विचार करते समय सभी बातों को ध्यान में रखा गया जिसमें एक बात यह भी शामिल थी कि सबसे ऊंची बोली वाले को जब पिछली बार ठेका दिया गया था तो उसने कैसा काम किया, और रेल-प्रशासन द्वारा यह निश्चय किया गया कि चालू वर्ष का ठेका द्वितीय सबसे ऊंची बोली वाले को दिया जाये ।

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाना

3293. श्री अल्वारेस : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्रित इस्पात परियोजना को चालू करने के कार्यक्रम में समय-समय पर विलम्ब किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम कितनी बार बदला गया;

(ग) क्या यह सच है कि परियोजना के लिए संयंत्र तथा उपकरण देने वालों ने कारखाने के पूरा होने में विलम्ब होने के कारण अतिरिक्त राशि मांगी है;

(घ) यदि हां, तो उन्होंने कितनी अतिरिक्त राशि मांगी है; और

(ङ) क्या विलम्ब के कारणों का कोई विश्लेषण किया गया है, और अन्ततोगत्वा इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा इस से रुपये तथा विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी हानि होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील और जापानी कन्सार्टियम के बीच 16 सितम्बर, 1963 को हुए करार में दिये गये निर्माण कार्यक्रमों में एक बार संशोधन किया गया है और इस सम्बन्ध में करार के औपचारिक संशोधन को हिन्दुस्तान स्टील ने 16 फरवरी, 1965 को स्वीकार किया था ।

(ग) और (घ). जी, हां । जापानी कन्सार्टियम ने भारत में अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय के लिए 976,560 रुपये की मांग की है । कैनेडा के मैसर्स एम्को फर्नेस कन्ट्रक्टर्स लिमिटेड ने भी 3.17 लाख रुपये और विलम्ब के लिए 16,300 रुपये प्रति मास की मांग की है । ये मांगें प्रायोजना अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं ।

(ङ) निर्माण-कार्यक्रम में विलम्ब का मुख्य कारण इस्पात ढांचों के बनाने में देरी और मजदूरों के झगड़ों के कारण ढांचों को खड़ा करने में हुई देरी है । कन्सार्टियम ने जापान से उपकरण संभरण कर्त्ताओं के तकनीकी डेटा सप्लाई करने में भी कुछ देरी की । इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण भी प्रायोजना के कुछ जरूरी अनुभागों में सिविल इंजीनियरी के काम की गति धीमी रही । इसके अतिरिक्त कि अब उत्पादन कुछ बाद में आरम्भ होगा, इस समय उत्पादन में और कोई प्रत्यक्ष हानि होने की संभावना नहीं है ।

अभी तक वित्तीय उलझनों का विश्लेषण नहीं किया गया है । फिर भी यह आशा की जाती है कि इस विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय अधिक नहीं होगा ।

दुर्गापुर के धातु मिश्रित इस्पात कारखाने की भट्टियां

3294. श्री अल्वारेस : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर धातुमिश्रित इस्पात परियोजना फैक्टरी की बिजली से चलने वाली तीन भट्टियां 1964 के अन्त से पहले चालू कर दी गई थीं जैसा कि मुख्य प्रबन्धक ने 19 अगस्त, 1964 के कलकत्ता "स्टेट्समैन" में प्रकाशित अपने वक्तव्य में कहा था ;

(ख) क्या एक भट्टी का उद्घाटन इस्पात मंत्री ने किया था;

(ग) क्या ऐसा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया था और इस भट्टी की क्षमता क्या है; और

(घ) इन तीनों भट्टियों की कुल क्षमता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). जी हां । तीन विद्युत् भट्टियों का, जिनमें आरम्भ में दिसम्बर, 1964 में विद्युत् का संचार किया गया था, औपचारिक उद्घाटन 23 जनवरी, 1965 को इस्पात और खान मंत्री ने किया था ।

(ग) और (घ). जी, हां । ये भट्टियां संशोधित अनुसूची के अनुसार चालू की गई थीं । तीन भट्टियों में एक आर्क (चाप) भट्टी है जिसकी क्षमता 10 टन है और दूसरी दोनों इंडक्शन (Induction) भट्टियां हैं जिनकी क्षमता 2 टन और $\frac{1}{2}$ टन प्रति भट्टी है ।

राजहारा खान में दुर्घटना

3296. श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :
श्रीमती विमला देवी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में राजहारा खान में एक इंजन बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था;

(ख) इस इंजन ने कितने फेरे लगाये;

(ग) एक इंजन के लिये अधिक से अधिक कितने फेरे लगाने का नियम है; और

(घ) दुर्घटना के कारण कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 10 जून, 1964 को राजहारा की कच्चे लोहे की खानों के कैच साइडिंग पर दो इंजन और चार डिब्बे पटरी से उतर गये थे जिससे दोनों इंजनों और दो डिब्बों को क्षति पहुंची थी ।

(ख) और (ग). राजहारा के सात इंजनों में से चार या पांच इंजन खान खोदने वालों को सौंपे हुए हैं । साधारणतः खदान ग्रुप में इन इंजनों को एक दिन में 30–36 चक्कर लगाने होते हैं इन्हें खदानों से निकाले गये माल और दलन-संयंत्र तथा छानने वाले संयंत्र के काम के अनुसार चक्कर लगाने पड़ते हैं । प्रत्येक इंजन के लिए अधिकतम चक्कर निर्धारित नहीं किये गये हैं । प्रत्येक इंजन को 6–7,000 घंटे काम करना पड़ता है । इसके पश्चात् इसे अच्छी तरह साफ किया जाता है । दुर्घटनाग्रस्त दोनों इंजनों ने दुर्घटना के समय तक इस समय से बहुत कम काम किया था ।

(घ) दुर्घटना से खान के उत्पादन में 2–3 दिन तक बाधा पड़ी परन्तु इससे वार्षिक उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा ।

Use of Hindi in N.E. Railway Headquarters office

3297. **Shri Ranajai Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Sections in the Headquarters office of the North Eastern Railway in which sixty per cent or more employees have got the working knowledge of Hindi;

(b) the number of Sections among them in which day-to-day noting on files is done in Hindi; and

(c) if noting in Hindi is not done in any Section, the reasons therefor ?

The Minister of State in the ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 175.

(b) 166.

(c) The work transacted in the these Sections is of a technical nature and the staff find it difficult at present to express themselves precisely and correctly in Hindi.

दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ी में एक अधिकारी की मृत्यु

3298. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहबाद, के प्रधानाचार्य, जब वे मद्रास जा रहे थे, दक्षिण एक्सप्रैस गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में मृत पाये गये और इस बात का पता 9 अप्रैल, 1965 को दोपहर बाद गाड़ी के मद्रास पहुंचने पर लगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी हां। 8-4-65 को जब सदर्न एक्सप्रेस गाड़ी दिन में 11 बज कर 45 मिनट पर मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची तो मुख्य गाड़ी परीक्षक ने देखा कि गाड़ी के पहले दर्जे के 'सी' कूपे में एक यात्री मृत अवस्था में पड़ा है। इस डिब्बे के सभी दरवाजे और शटर अन्दर से बन्द थे। इस मामले की सूचना तुरन्त पुलिस को दी गयी। पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया। डिब्बे का दरवाजा जबर्दस्ती खोला गया और शव की सावधानीपूर्वक जांच की गयी। शव पर घाव के कोई निशान नहीं दिखायी दिये। शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेज दिया गया। शव की आंत को रासायनिक परीक्षण के लिए रख लिया गया है। बाद में शव को दाह-संस्कार के लिए दे दिया गया। मृतक की पहिचान कर ली गयी है। वे इलाहबाद सिविल उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल के प्रिंसिपल श्री पी० एच० भनौत थे। अब तक जो प्रमाण मिले हैं उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक कारण से हुई। लेकिन मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में निश्चित राय रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट मिलने और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही कायम की जा सकेगी।

रतलाम स्टेशन पर सोने तथा नगदी का पगड़ा जाना

3299. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस ने 8 अप्रैल, 1965 को रतलाम स्टेशन पर दिल्ली–बम्बई जनता एक्सप्रेस से बम्बई जाने वाले एक यात्री के पास 17,000 रुपये के मूल्य का सोना तथा 14,000 रुपये नकद पकड़े; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। 7-4-1965 को रतलाम की सरकारी रेलवे पुलिस ने तीसरे दर्जे के एक यात्री के पास 16,500 रुपये के मूल्य का सोना और 14,402 रुपये नकद पकड़े। यह यात्री दिल्ली जा रहा था।

(ख) रतलाम की सरकारी रेलवे पुलिस ने उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 और 550 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। सरकारी रेलवे पुलिस ने बाद में यह मामला रतलाम के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के सुपुर्द कर दिया, जो मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है।

पूर्वोत्तर रेलवे पर पार उतराई व्यवस्था

3300. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर पार उतराई व्यवस्था घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो 1960 से अब तक प्रति वर्ष कितना घाटा हुआ है; और

(ग) क्या इस मामले की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) अलग-अलग वर्षों के शुद्ध घाटे के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

1960–61	61.92 लाख रुपये
1961–62	54.05 लाख रुपये
1962–63	46.90 लाख रुपये
1963–64	53.93 लाख रुपये

(ग) घाटे की जांच करने और उसे किस प्रकार कम किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिए रेल-प्रशासन द्वारा एक विभागीय समिति नियुक्त कर दी गयी है।

इंजनों का कम उपयोग

3301. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे की उन कुछ अन्तर्निहित परिसीमाओं को हटाने पर विचार कर रही है जो यातायात के अवधि रूप में चलने में रुकावट पैदा करती हैं तथा आंशिक रूप से इंजनों के अल्प उपयोग एवम् मालगाड़ियों की धीमी चाल के लिये उत्तरदायी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) बड़ी लाइन से मीटर लाइन पर यातायात निर्बाध रूप से होता रहे इसके लिए अन्य उपायों के अलावा गड़हरा, मडुआडीह और बाराबंकी के यानान्तरण शेड में माल चढ़ाने-उतारने की क्षमता बढ़ायी जा रही है।

एयर गनों का निर्माण

3302. **श्री दलजीत सिंह** :
श्री चुनी लाल :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की बचत करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार को एयर गनों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि नंगल कारखाने में एयर गन तथा अन्य प्रकार की गन बनाई जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये इसकी क्षमता का उपयोग करने का कोई विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) और (ख) एयर राइफलों और छर्रों के निर्माण के लिये, जिसके लिये शस्त्र नियमों के अन्तर्गत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, मई, 1963 में पंजाब राज्य सरकार को एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह अब इस परियोजना को नहीं चलाना चाहती और इस प्रयोजन के लिये बनाई गई कम्पनी को समाप्त कर देने का निश्चय किया गया है।

(ग) और (घ). नंगल वर्कशाप में 12 बोर की एकनाली बन्दूकों के काफी अच्छे नमूने तैयार किये गये थे किन्तु ·303 राइफलों के बनाने में कठिनाई बताई गई थी। अतः पंजाब सरकार ने नंगल वर्कशाप में ·303 राइफलों के निर्माण और उनकी मरम्मत करने की सुविधाएं देने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी। उक्त सरकार ने पंजाब में .22 राइफलें बनाना शुरू करने के लिये लाइसेंस मंजूर करने के बारे में भी निवेदन किया है। इस पोषित नीति को ध्यान में रखते हुए कि शस्त्रों और गोला बारूद तथा रक्षा सम्बन्धी सम्बद्ध उपकरणों के निर्माण पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार होगा, ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गये।

नंगल में ट्रैक्टरों का निर्माण

3303. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री चुनीलाल :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने नंगल वर्कशाप में जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं छोटे ट्रैक्टर बनाने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र): (क) से (ग). पंजाब के उद्योग निदेशक ने कृषि ट्रैक्टरों, शक्ति द्वारा चालित हलों और ट्रैक्टरों के उपकरणों का उत्पादन करने के लिए पानीपत में एक नया कारखाना स्थापित करने के वास्ते उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1951 के आधीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन उत्पादन के इस क्षेत्र में आवश्यकता के अनुरूप क्षमता के लिए लाइसेंस दे दिये जाने, आयोजन कर लिए जाने के कारण और अतिरिक्त क्षमता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अतः पंजाब के उद्योग निदेशक को लाइसेंस नहीं दिया गया।

रेलवे कर्मचारियों को सुविधायें

3304. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री चुनी लाल :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के रूपड़-नंगल बांध सैक्शन पर रेलवे कर्मचारियों को यात्री सुविधाएं देने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1965–66 में यात्रियों और कर्मचारियों की सुविधाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित कामों को करने का विचार है ।

यात्री सुविधा सम्बन्धी काम

(एक) नंगल डैम स्टेशन पर तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था ।

(दो) स्टेशन की इमारत के बाहर पोर्च, अमानती सामान घर, सामान घर, किताबों की दुकानें नंगल डैम स्टेशन के प्लेटफार्म पर अधिक बैंचें आदि अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था ।

(तीन) नंगल डैम स्टेशन पर रेकों की धुलाई के लिए तल बम्बों की व्यवस्था ।

(चार) नंगल डैम स्टेशन पर सफाई व्यवस्था वाले पेशाब घर, टट्टी और गुसलखानों की व्यवस्था ।

(पांच) नंगल डैम स्टेशन पर पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में फ्लश-टट्टियों की व्यवस्था ।

(छः) नंगल डैम स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म की व्यवस्था ।

(सात) नंगल डैम स्टेशन पर यात्री प्लेटफार्म के ऊपर सायबान की व्यवस्था ।

(आठ) आनन्दपुर साहिब स्टेशन के यात्री प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था ।

(नौ) नंगल डैम स्टेशन पर माल और पार्सल सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार ।

(दस) कीरतपुर साहिब स्टेशन के प्रतीक्षालय का विस्तार ।

कर्मचारी-सुविधा सम्बन्धी काम

(ग्यारह) आनन्दपुर साहिब स्टेशन पर 4 इंच व्यास वाला नल-कूप लगाने के लिए 6 इंच व्यास की बोरिंग करना ।

(बारह) भनुपली स्टेशन पर 4 इंच व्यास वाला नल-कूप लगाने के लिए 6 इंच व्यास की बोरिंग करना ।

(ग) रेलवे ने इन कामों के खर्च का अनुमान तैयार कर लिया है और ये काम जल्द ही शुरू कर दिये जायेंगे ।

मद्रास में औद्योगिक बस्तियां

3305. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में मद्रास राज्य में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गईं; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिए उस राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

उत्तर बिहार में कागज मिलें

3306. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि में उत्तर बिहार में तीन कागज मिलें खोलने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि कागज उद्योग सम्बन्धी राज्य समिति ने ऐसा विधान लागू करने की सिफारिश की है जिससे कि चीनी मिलों के लिए प्रस्तावित कागज मिलों को कच्चे माल के रूप में गन्ने की खोई देना अनिवार्य कर दिया जाये ;

(ग) इससे कागज मिलों को कितनी मात्रा में खोई प्राप्त होने की आशा है ; और

(घ) खोई के ईंधन के रूप में प्रयोग की बजाय वाणिज्यिक ईंधन का प्रयोग किस प्रकार लोकप्रिय बनाया जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) मामले की अभी जांच की जा रही है ।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

भारतीय औद्योगिक कम्पनियों में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पूंजी लगाना

3307. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी औद्योगिक कम्पनियां विदेशों में कम पूंजी लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किन परिस्थितियों के कारण ऐसी कमी करने पर विचार कर रही हैं ; और

(ग) इससे भारतीय औद्योगिक कम्पनियों पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का संकेत स्पष्टतः अमरीकी संस्थाओं के विदेशी विनियोग की आमदनी पर हाल ही में लगाए गए 15 प्रतिशत "समानीकरण कर" की ओर है । यह भी समझा गया है कि अमरीकी वित्तीय संस्थाओं के विदेशों में उतारे जाने वाले माल पर भी कुछ परिमाण सम्बन्धी अनुबन्ध लगाए गए हैं । इन कार्यों की आवश्यकता अमरीकी भुगतान सन्तुलन पर दबाव के कारण बढ़ी है ।

(ग) भारत में अमरीकी औद्योगिक प्रयत्नों पर इनके द्वारा पड़ने वाले असर के बारे में इतने थोड़े समय में कुछ भी कहना कठिन है लेकिन फिर भी विचार है कि जहां तक पहली कार्यवाही का सम्बन्ध है भारत समेत विकासोन्मुख देशों को "समानीकरण कर" से मुक्त ही रखना होगा ।

पश्चिमी यूरोप के देशों को निर्यात

3308. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम यूरोप के देशों को निर्यात बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिये एक समिति नियुक्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). वित्त और वाणिज्य मन्त्रालय के कर्मचारियों की एक स्थायी समिति बना दी गई है जो ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप को होने वाले निर्यात में वृद्धि करने के उपाय सुझायेगी। यह समिति इस क्षेत्र को होने वाले निर्यात की निरन्तर समीक्षा किया करती है।

सोफ्ट कोक पर उपकर

3309. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री म० ल० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोफ्ट कोक पर लगाये गये उपकर की दर क्या है ;

(ख) गत पांच वर्षों में, वर्षवार, कितना उपकर वसूल किया गया ;

(ग) गत पांच वर्षों में उक्त उपकर में से कितनी राशि किस रूप में बांटी गई; और

(घ) क्या उपकर से प्राप्त राशि का सोफ्ट कोक को लोकप्रिय बनाने के लिए उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम के अधीन सोफ्ट कोक पर वर्तमान उच्छुल्क शुल्क की दर 1-65.3 रु० प्रति मीटरी टन है।

(ख) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम के अधीन कोयला, सोफ्ट कोक तथा हार्ड कोक पर उच्छुल्क शुल्क की पिछले पांच वर्षों की शुद्ध आय नीचे दी हुई है।

1960–61	424 लाख रु०
1961–62	758 लाख रु०
1962–63	958 लाख रु (अस्थाई)
1963–64	1027 लाख रु० (अस्थाई)
1964–65	अन्तिम आंकड़े प्राप्त नहीं

सोफ्ट कोक के अलग अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

(ग) 1—कोयला बोर्ड को क्षेप्य भरण सहायता, विपरीत कारकों से बाधित कोयला खानों की सहायता तथा सुरक्षा कार्य आदि पर व्यय की पूर्ति के लिए शोधन :—

1960–61	210 लाख रु०
1961–62	380 लाख रु०
1962–63	395 लाख रु०
1963–64	450 लाख रु०
1964–65	560 लाख रु०

2—कोयला उपभोक्ताओं को रेल एवं समुद्र मार्ग द्वारा कोयला वहन पर सहाय्य की योजना के अन्तर्गत सीधा शोधन :—

1961–62	. 213 लाख रु०
1962–63	. 356 लाख रु०
1963–64	. 472 लाख रु०
1964–65	. 375 लाख रु० (अस्थायी)

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजकोट में एलूमीना कारखाना

3310. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजकोट में एलूमीना कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या इसके लिए विदेशी सहयोग मांगा गया है ;

(घ) यदि हां, तो किस देश से मिलने की आशा है; और

(ङ) क्या कारखाना सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Awards of Medals and Certificates to Railway staff

3311. **Shri Brij Basi Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board awarded medals and certificates this year to the Railway Staff in recognition of their meritorious services;

(b) if so, the number of employees who were awarded; and

(c) the expenditure incurred in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh). : (a) Yes,

(b) Seventeen,

(c) About Rs. 10,500/-. This includes cash awards of Rs. 500/- in the shape of National Savings Certificates, to each of the 15 out of the seventeen employees.

Cement Sleepers on Railway Tracks

3312. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are reconsidering a proposal to use cement sleepers on railway tracks;

(b) whether it is a fact that a factory is being set up in Bihar for this purpose; and

(c) if so, whether it is being set up in the private or public sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes Sir. At no time had it been decided not to use concrete sleepers.

(b) Yes, Sir.

(c) In the private sector. Proposals for setting up factories in the public sector are also under consideration.

रेलवे में "गैट टुगेदर" समारोह

3313. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मन्त्री श्री जगजीवन राम के समय में चालू किया गया "गैट टुगेदर" समारोह रेलवे में अब भी प्रचलित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस समारोह को मनाने के लिये अब उत्तर रेलवे के श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों से स्वैच्छिक आधार पर चन्दा लिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों से चन्दा लेना बन्द करने तथा इस समारोह पर होने वाले व्यय को अपने राजस्व से पूरा करने, जैसा कि आरम्भ में किया गया था, का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

डीज़ल इंजन

3314. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मन्त्रालय द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में आयात किये गये डीज़ल तेल, डीज़ल इंजनों तथा अन्य वस्तुओं तथा उनके मन्त्रालय को उपलब्ध की गई सेवाओं पर क्या व्यय हुआ और 1965–66 तथा 1966–67 में अनुमानित आयात क्या होगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : अपेक्षित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । रेल प्रशासनों और अन्य सम्बन्धित विभागों से मंगायी जा रही है और यथासमय प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Directory of Industrial Undertakings

3315. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state ?

(a) whether it is a fact that a Directory of all industrial undertakings in Delhi is being prepared; and

(b) if, so, the broad outlines of this publication ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). A Census Survey of all the industrial undertakings in the urban area of Delhi was conducted by the Delhi Administration from the 19th to 30th April, 1965. The rural area of the Union Territory will be covered shortly. The main purpose of this rapid census is to obtain a "frame" for conducting a detailed Survey of the industrial undertakings in Delhi.

With the data so collected, the Delhi Administration propose preparing a Dir ctory of all the industrial undertakings, indicating the names of the unit factory and office addresses and names of two main products manufactured by the unit.

Small Scale Industries in Punjab

3318. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the demand of the Punjab Government for an increased quota of iron and coal for the small-scale industries at Ludhiana;

(b) if, so, the amount of the proposed quota ; and

(c) from which date they will start getting it ?

The Minister of Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy) : (a) , (b) & (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति

3319. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों पर कार्मिक अधिकारियों अर्थात् खण्ड कार्मिक अधिकारी, प्रमुख व उपप्रमुख कार्मिक अधिकारियों तथा रेलवे बोर्ड के कार्यालय में निदेशक व संयुक्त निदेशकों (सिबंदी) तथा मेम्बर (स्टाफ) को नियुक्त करने के लिये कोई प्रक्रिया अथवा नियम निर्धारित कियेगये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन कार्मिक अधिकारियों को भारतीय रेलों में लागू कार्मिक सम्पर्क-प्रबन्ध तथा सिब्बंदी नियमों को पाठ्यक्रम में कोई प्रशिक्षण दिया जाता है तथा क्या उनको इसके लिये कोई परीक्षा पास करनी होती है ;

(घ) यदि हां, तो इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या व अवधि क्या है ; और

(ङ) भारतीय रेलों पर आजकल काम करने वाले कितने कार्मिक अधिकारियों ने (रेलवेवार) यह पाठ्यक्रम पास कर लिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). कार्मिक पदों को सामान्य पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । ये पद विभिन्न विभागों के बीच बांट दिये जाते हैं और उन विभागों के उपयुक्त अफसरों द्वारा भरे जाते हैं । इन पदों पर केवल उन्हीं अफसरों को नहीं रखा जाता जो संघ लोक सेवा आयोग के जरिये सीधे भरती किये जाते हैं बल्कि नीचे के ओहदों के उन अफसरों को तरक्की देकर भी इन्हें भरा जाता है जिन्होंने सिब्बन्दी शाखाओं में राजपत्रित या अराजपत्रित की हैसियत से कई वर्षों तक काम किया है । प्रशासकीय ग्रेड के पद चुनाव के आधार पर भरे जाते हैं । यह चुनाव तकनीकी या गैर-तकनीकी सभी विभागों के अफ़सरों में से किया जाता है । सदस्य (कर्मचारी वर्ग) का पद, दूसरे सदस्यों के पदों की तरह जनरल मैनेजरों के बीच, जिन्हें कार्मिक पदों सहित, सामान्य पदों पर, प्रशासकीय काम का अनुभव होता है, चुनाव द्वारा भरा जाता है ।

(ग) संघीय लोक सेवा आयोग से सीधे चुन कर आये अफसरों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में सिब्बंदी के मामलों में प्रशिक्षण लेना और एक परीक्षा पास करना शामिल है ।

(घ) निर्धारित पाठ्यक्रम सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-4374/65]**

(ङ) सूचना अभी उपलब्ध नहीं है; वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी कर्मचारियों को स्कूटरों का आवंटन

3320. **श्री य० ना० सिंह :**
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बूटा सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये नियमों के अन्तर्गत 30 अप्रैल, 1965 तक 500 रुपये तथा इससे अधिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से विभिन्न प्रकार के स्कूटरों मोटर साईकलों के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) नए नियमों के अन्तर्गत 30 अप्रैल, 1965 तक निजी सचिवों/निजी सहायकों आदि से विभिन्न प्रकार के स्कूटरों / मोटर साईकलों के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कोटे के अन्तर्गत प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक प्रकार के कुल कितने स्कूटर/मोटर साईकिलें उपलब्ध होती हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)

(क)	लैम्ब्रैटा स्कूटर्स	1967
	वैस्पा स्कूटर्स	1268
	फैंटाबुलस स्कूटर्स . .	19
	रायल एन्फील्ड मोटर साइकिल्स	14
	राजदूत मोटर साइकिल्स	7
	आइडियल जावा .	5
		3280
(ख)	लैम्ब्रेटा स्कूटर	214
	वैस्पा	120
		334
(ग)	लैम्ब्रैटा स्कूटर	500
	वैस्पा . .	500
	फैन्टाबुलस स्कूटर . .	60
	रायल एन्फील्ड मोटर साइकिल	100
	राजदूत मोटर साइकिल .	250
	आइडियल जावा मोटर साइकिल	250

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बचाव उपाय

3321. श्री राम हरख यादव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों को रेल दुर्घटनाओं को, जिनमें जान-माल की हानि होती है, रोकने के, बचाव उपाय अपनाने के हेतु दिये गये प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की क्या सफलतायें हैं ; और

(ग) क्या ऐसी दुर्घटनाओं में काफी कमी हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलों पर अलग-अलग कोटि के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण स्कूलों में नियमित रूप से प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिये जाने के अलावा गाड़ियों के चालन से सम्बन्धित परिचालन कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए जो अन्य उपाय बरते जाते हैं वे इस प्रकार हैं :—संरक्षा शिविरों का आयोजन, संरक्षा अफसरों और

संरक्षा काउन्सलरों के जरिये व्यक्तिगत सम्पर्क और इश्तहारों, पुस्तिकाओं, नारों, पर्चों और संरक्षा फिल्मों आदि के जरिये श्रव्य एवं दृश्य संरक्षा का प्रचार ।

(ख) रेल प्रशासनों द्वारा इन उपायों के बरते जाने का नतीजा यह हुआ है कि कर्मचारीगण संरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते जा रहे हैं और उन दुर्घटनाओं में कमी होती जा रही है जो मानवीय भूल-चूक की वजह से होती हैं।

(ग) जी हां । 1964–65 में परिणामी दुर्घटनाओं अर्थात् वे दुर्घटनाएं, जिनमें जीवन अंग अथवा सम्पत्ति की हानि हुई, की संख्या केवल 1366 थी जबकि 1963–64 में इनकी संख्या 1818 थी । इससे पता चलता है कि ऐसी दुर्घटनाओं में लगभग 25 प्रतिशत की कमी हुई है ।

Export of Cloth and Shoes to Czechoslovakia

3322. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ragunath Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Czechoslovakia has agreed to purchase cloth and shoes from India; and

(b) if so, the quantity of purchases to be made by them and the terms an conditions thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manu Bhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Trading Corporation have negotiated contracts for the export of the undermentioned quantities of cloth and footwear to Czechoslovakia :—

(i) Woollen textiles	1,50,000 metres
(ii) Cotton textiles	1,00,000 metres
(iii) Ladies sandals	70,000 pairs

It is not in the business interest of the Corporation to disclose the terms and conditions of contracts.

Apart from S.T.C. there are other parties also supplying footwear to Czechoslovakia.

भद्रावती के निकट इस्पात ढलाई घर

3323. **श्री कनकसवै** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैण्ड के सहयोग से भद्रावती के निकट एक इस्पात ढलाई घर स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ढलाई घर की अनमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) उसकी क्षमता क्या होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) इस्पात की ढली हुई वस्तुएं तैयार करने के लिये तारीकेरे में एक नये उपक्रम की स्थापना करने के बारे में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन एक लाइसेंस

जारी कर दिया गया है ।

(ख) लगभग 50 लाख रु० ।

(ग) 3,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष ।

उत्तर रेलवे के मुख्यालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

3324. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे, दिल्ली के मुख्यालय में काम करने वाले कितने प्रतिशत कर्मचारी हिन्दी जानते हैं ; और

(ख) 26 जनवरी, 1965 के बाद हिन्दी में कितने पत्र भेजे गये हैं और यह कुल भेजे गये पत्रों का कितना प्रतिशत है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) लगभग 60 प्रतिशत ।

(ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे औषधालयों में औषधियां

3325. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964 और 1965 में पृथक-पथक, विभिन्न रेलवे औषधालयों में, क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार अधिकारियों, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई औषधि की प्रति-व्यक्ति लागत क्या थी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : रेलों में दवाओं की कीमत का रेकार्ड कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों और कलेण्डर वर्ष के अनुसार नहीं रखा जाता । फिर भी, एक विवरण नीचे दिया जाता है जिसमें यह बताया गया है कि 1963–64 और 1964–65 के वित्तीय वर्ष में प्रत्येक रेलवे पर प्रति व्यक्ति दवाओं पर कितना खर्च हुआ :—

विवरण

रेलवे	1963–64	1964–65
	रु०	रु०
मध्य	12.8	13.52
पूर्व	17.1	*
उत्तर	23.41	26.67
पूर्वोत्तर .	12.74	14.72
पूर्वोत्तर सीमा	13.5	*
दक्षिण .	10.30	11.02
दक्षिण–पूर्व	10.81	*
पश्चिम	14.73	15.00

*लेखे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हैं ।

महाराष्ट्र में औद्योगिक लाइसेंस

3 326. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में महाराष्ट्र से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) इनमें से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से कितने थे ; और

(ग) इनमें से कितने मंजूर किये गये तथा कितने नामंजूर किये गए ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र को अलौह धातुओं का नियतन

3327. **श्री वारियर :**
श्री दाजी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में महाराष्ट्र के लिए अलोह धातुओं की कितनी मात्रा नियत की गई थी ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 1965–66 में उसका कोटा बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णयकिया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) महाराष्ट्र को 1964–65 के लिये अलौह धातुओं का आवंटन निम्न प्रकार किया गया था :—

वस्तु	आवंटन (मीट्रिक टनों में)	टिप्पणी
तांबा	1822	
जस्ता	1120.5	
सीसा	292.2	
टीन	87	
एंटीमोनी	18.772	
बिजली चढ़े अल्युमिनियम के तार की छड़ें	196*	*केवल अप्रैल-सितम्बर, 64 के लिये। अक्तूबर, 64 मार्च, 65 के लिये आवंटन अभी नहीं किया गया है।
निकल	41.458**	**अक्तूबर 63 मार्च 65 की अवधि के लिये।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चूंकि देश में लघु उद्योगों को अलौह धातुओं का संभरण करने के लिये विदेशी मुद्रा सम्पूर्ण रूप सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है और वह सभी राज्यों में बांट दी जाती है, इसलिये महाराष्ट्र को किये गये आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

डीजल से चलने वाले इंजन

3328. **श्री दी० चं० शर्मा**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मुख्य मार्गों पर नये डीजल इंजन चालू कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों पर ; और

(ग) इसके पणिामस्वरूप गाड़ियों की गति तथा क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) जी हां । 1958 में कुछ मार्गों पर डीजल रेल इंजनों से मालगाड़ियां चलाना शुरू किया गया था और अब उत्तरोत्तर अधिक सेक्शनों पर डीजल रेल इंजनों से माल गड़ियां चलायी जा रही हैं । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह दिखाया गया है कि अब तक किन-किन मुख्य मार्गों पर डीजल रेल इंजनों से माल गड़ियां चलाने की व्यवस्था शुरू हो गई है ।

(ग) डीज़ल रेल इंजनों द्वारा खींची जाने वाली माल गाड़ियों की औसत रफ्तार और वहन क्षमता में आम तौर से वृद्धि हुई है । परिचालन सम्बन्धी जिन कई कारणों का माल गाड़ियों की रफ्तार और वहन क्षमता पर असर पड़ता है उनमें एक कारण यह है कि किस कर्षण प्रणाली को अपनाया गया है। इसलिए केवल डीज़ल रेल इंजन से मालगाड़ियां चलाने के कारण रफ्तार और भार वहन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि भाप कर्षण की तुलना में माल गाड़ियों की औसत वहन क्षमता/रफ्तार में आम तौर से लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4375/65] :

मांड का उत्पादन

3329. **श्री अ० के० गोपालन** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केले के ठूंठ से मांड बनाने के लिए केरल में कोई केन्द्र खोला है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए केरल में कितने केन्द्र खोले जायेंगे ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम

3330. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प० ह० भील :

क्या **रेलवे** मंत्री 2 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उक्त डिब्बे में लगे हुए उपकरण की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप टेप रिकार्ड किये हुए संगीत का स्वर खराब हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो खराब हुए टेपों को बदलने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। उपस्कर को अच्छी चालू हालत में रखा जाता है ।

(ख) आवश्यकतानसार खराब टेप बदल दिये जाते हैं।

विजयनगरम् के आस-पास फासफेट के निक्षेप

3331. **श्री कोल्ला वेंकय्या** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फासफेट निक्षेपों का पता लगाने के लिये आन्ध्र प्रदेश में विजयनगरम् के आस-पास के क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसका क्या परिणाम रहा ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) 1922 में तथा फिर 1958–59 में भारतीय भौमिकी विभाग ने फासफेट निक्षेपों के अन्वेषण सीतारामपुरम–केसीपत्तनम क्षेत्र में (जो विजयानगरम् से लगभग 350 किलोमीटर पश्चिम में है) किये थे। फास्फेट (एपाटाइट) के निक्षेप 173,000 मीटरी टन के स्तर के हैं। एपाटाइट में 83 प्रतिशत ट्राइकैलशियम फास्फेट है जो सुपरफास्फेट के निर्माण के लिये उपयुक्त है ।

Jhuggi Dwellers in Delhi

3332. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Railways** be pleased o refer to the reply given to Starred Question No. 825 on the 9th April, 1965 and state :

(a) the number of Jhuggi dwellers who have settled along the reilway lines in Delhi, and the amount of monthly rent collected from them;

(b) whether any difficulty is experienced in railway operations due to their habitation along the railway lines;

(c) if so, the nature thereof;

(d) whether were allowed to settle there by the Railway administration and if so, whether some conditions were imposed on them, and

(e) the number of Railway employees among them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Subhag Singh) : (a) Approximately 4400 Jhuggi dwellers reside on Railway land near Railway lines in Delhi area. No rent is being collected from them.

(b) Such a large extent of trespass by Jhuggi dwellers results in insanitation in the yards and along the track.

(c) Occasionally the drains get choked and this results in flooding of tracks, which causes dislocation of traffic. In addition thefts occur frequently. Inconuenience is also caused to the Railway employees residing in nearby Railway quarters in the area, which indirectly affects operation.

(d) They were not given permission to settle there by the Railway Administration.

(e) The number of Railway emplcyees amongest them is approximately 1200.

Recovery of Illicit Liquor from Delhi—Madras Express Train

3333. **Shri H.C. Kachhavaiya :**
Shri Vishram Prasad
Shri Yudhvir Singh
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bade :
Shri Daji :
Shri Narendra Singh Mahida :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Wardha Railway Police recovered 18 Kg and 16 Litres of illicit liquor from the engine of Delhi-Madras Express train on the 6th April, 1965;

(b) whether it is also a fact that the engine driver had been dealing in illicit liquor for long; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) No.

(c) The Government Railway Police Wardha registered a case U/S 65A and 65 B of the Prohibition Act and arrested the driver, fireman and one oilman.

हैवी इल्लैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल

3334. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एसोसियेटिड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ ओवरसीज के निदेशक ने हाल ही में भोपाल की हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन को कुछ मामलों के बारे में लिखा है जिनपर तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां तो संक्षेप में उनके सुझाव क्या हैं; और

(ग) भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). आवधिक रिपोर्ट के अलावा, जो अभी मिली है, एसोशियेटेड इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज़, लि० ब्रिटेन के पास से कोई भी पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

चीनी के कोटे के लिए ढुलाई के लिए वैगन

3335. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलें दिसम्बर, 1964 से, गौहाटी संभरण कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को दी गयी चीनी का कोटा नहीं पहुंचा सकी हैं जिसके परिणामस्वरूप मार्च, 1965 के अन्त तक न पहुंचाई गयी चीनी इतनी जमा हो गयी कि उसे पहुंचाने के लिये कम से कम 103 वैगनों की जरूरत थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिसम्बर, 1964 से मार्च, 1965 तक की अवधि में आसाम को माल पहुंचाने के लिये कुल कितने वैगनों की आवश्यकता थी और यह आवश्यकता कहां तक पूरी की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). नीचे दिये गये विवरण से यह पता चलेगा कि दिसम्बर, 1964 से गोहाटी सप्लाई कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए चीनी का जो कोटा नियत किया गया था वह करीबन सारा का सारा रेलवे द्वारा ढोया गया।

महीना	नियतन	लदान	कमी
दिसम्बर, 1964	75	75	—
जनवरी, 1965	80	63	17
फरवरी, 1965	75	69	6
मार्च, 1965	72	71	1

ऊपर दिये गये आंकड़ों का मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसी एक महीने के लिए कोटे के नियतन में पिछले महीने का बकाया कोटा, यदि

कुछ रह गया हो तो, वह स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाता है। इस प्रकार 31-3-1965 को गोहाटी सप्लाई कार्यालय के लिए चीनी के परिवहन के नियत कोटे में केवल एक मालडिब्बे की कमी रही। यदि सभी महीनों में मालडिब्बों की कमी को भी जोड़ लिया जाये तो भी दिसम्बर, 1964 से मार्च, 1965 तक के चार महीनों में सिर्फ 24 मालडिब्बों की ही कमी रही।

(ग) नीचे जो विवरण दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि दिसम्बर, 1964 से मार्च, 1965 तक की अवधि में प्रत्येक महीने में कितने मालडिब्बे नियत किये गये और चीनी का लदान कितना हुआ।

महीना	नियतन	लदान (मी० टनों में)
दिसम्बर, 1964	6300	2784
जनवरी, 1965	6300	10048.5
फरवरी, 1965	6750	3552.5
मार्च, 1965	5256	9816.5
	24606	26201.5

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि इन चार महीनों में वास्तविक लदान वास्तविक नियतन से अधिक हुआ, यद्यपि कुछ महीनों में लदान नियतन के अनुरूप नहीं हुआ। हर महीने में जो इस तरह की कमी-बेशी पायी जाती है, उसकी वजह है परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां, अधिक अग्रता वाले यातायात को कायम रखने की आवश्यकता आदि।

स्वर्गीय श्री नेहरू के चित्र वाले विज्ञापन

3335-क. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बहुत से लोग स्वर्गीय श्री नेहरू के चित्र का कैलेण्डरों में, दुकानों पर तथा विज्ञापनों में बहुत भद्दे ढंग से प्रयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). ऐसे मामलों में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम अथवा चित्र का चिह्न तथा नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के खिलाफ प्रयोग किया गया है तथा जिन्हें सरकार के नोटिस में लाया गया उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

राज्य सरकारों से ऐसे मामलों की सूचना देने के लिए कहा गया है जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम अथवा चित्र का अनुचित प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड के शेयर

3335-ख. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, डमडम के सभी अंश ले लेने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार के अतिरिक्त वर्तमान अंशधारियों के नाम क्या हैं तथा उनके कितने कितने शेयर हैं; और

(ग) अंशों के अर्जन के लिए उनका मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जैसप एण्ड कम्पनी, लिमिटेड के "नियंत्रण हित" खरीदने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) एक विरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4376/65]**

(ग) यह विषय अभी विचाराधीन है । कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

रामचन्द्रपुरम में बिजली का भारी सामान बनाने की परियोजना

3335ग. **श्री रघुनाथ सिंह:**
श्री कन्डप्पन :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामचन्द्रपुरम में बिजली का भारी सामान बनाने की परियोजना में मजदूर कालोनी के लिए बनाई गई पानी की टंकी 24 अप्रैल, 1965 को गिर गई, जिससे तीन बच्चे घायल हुए और अन्य चार को चोटें आई; और

(ख) क्या यह भी सच है कि टंकी इस घातक दुर्घटना से केवल दो दिन पहले ही चालू हुई थी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट की श्रमिक बस्ती रामचन्द्रपुरम में 24 अप्रैल, 1965 को एक पानी की टंकी गिर गई । इसका निर्माण 17 अप्रैल, 1965 को हुआ था । इसके कारण एक स्त्री तथा तीन बच्चों का देहान्त हो गया और चार बच्चे जख्मी हो गये । इस मामले की विभागीय जांच विस्तार से की जा रही है ।

इन्डोनेशिया में वाणिज्यिक उद्यम

3335-घ. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया ने सभी विदेशी वाणिज्यिक उद्यम अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत अथवा भारतीय फर्मों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री(श्री मनुभाई शाह) : (क) इण्डोनेशियायी सरकार ने सभी अघरेलू विदेशी उद्यमों को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया है।

(ख) वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, भारतीय फर्मों पर इस का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस समय इनका वर्गीकरण घरेलू विदेशी उद्यमों में किया जाता है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के बारे में दिनांक 30 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2861 के उत्तर की शुद्धि

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : मैं रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के बारे में श्री रं० ना० रेड्डी के दिनांक 30 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2861 के उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4377/65]**

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : I am raising a question of privilege under rule 222 in connection with a news item published in the "Times of India" dated the 5th May, 1965 commenting on the allegations made against the Finance Minister by Shri Bishan Chander Seth and Dr. Ram Manohar Lohia. The Finance Minister in his reply on the 4th May had stated in regard to Shri Bishan Chander Seth as follows :

"He seems to be an innocuous person. I think a very tame and innocuous person. Somebody must have put him to do it." The "Times of India" dated the 5th May, 1965 commented on it as follows :—

"The fact that neither Dr. Lohia nor Mr. Bishan Chander Seth, both of whom had made personal references to the Finance Minister was present in the House to hear his reply would mean that somebody must have put them to do it."

This certainly amounts to a breach of privileges of the Members of this House. So, there does arise a question of privilege against the "Times of India" for giving such comments.

The Finance Minister in his reply was explaining his position in a round about way without mentioning any particular names. The press might have been under the impression that he was directing his remarks about both the hon. Members referred to above. If the Finance Minister explains his position in a straight forward manner, such a confusion can be avoided. It is also open to objection that the Finance Minister is not present when this question of privilege is being raised here.

In the above circumstances I beg to move that this issue should be entrusted to the Privileges Committee. I also submit that you should give Dr. Lohia and Shri Bishan Chander Seth an opportunity to explain their position.

Mr. Speaker : No explanations are required in this case. Your privilege motion was against the "Times of India" and not against the Finance Minister. I had written to the "Times of India" to explain their position. I have received a reply from them and they have offered their sincere regret in the matter in question. Therefore, the matter need not be pursued further and the matter should be allowed to end here.

Dr. Ram Manohar Lohia (Furrukhabad) **:** I want to make a submission. I am not saying that some action should be taken against the "Times of India". But I want to say something about the office of the Speaker.

Mr. Speaker : The hon. Member cannot raise any issue which is not relevant to the subject now before the House. He can have any other opportunity to raise that issue.

Dr. Ram Manohar Lohia : In this very connection. . .

Mr. Speaker : The matter now before the House is over. Something appeared in a newspaper to which objection was taken and the newspaper concerned has tendered an apology.

Dr. Ram Manohar Lohia : There is yet another question. . .

Mr. Speaker : There may be so many issues, but they cannot be raised now.

Dr. Ram Manohar Lohia : It does not concern you. It is in connection with the office of the speaker.

Mr. Speaker : He can raise it on some other occasion.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--(प्रश्न)

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT—(Question)

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) **:** I want to raise a very important issue which is connected with the security of our nation. I also tabled an adjournment motion in this connection. Day before yesterday the Prime Minister had called some opposition members to have a talk with them. When the question of mediation was raised there I said that that had been accepted by the Government and this meeting was merely an eye wash. Shri Nanda who was also present there refuted it and the Prime Minister also spoke in the same language. But in today's newspapers we find that they have accepted the offer of mediation. We also find in the papers that a reply is being formulated for Britain and if the Commanders of both the sides agree in regard to point 84, the British General may also come for mediation. The Government is doing the country a great harm by indulging in such overtures. If they are not in a position to defend the borders of the country in the present circumstances, they should quit office and pave way for the formation of a national Government in the country. They cannot be allowed to play with the fate of this country like this for long.

Mr. Speaker : Has there been any change in the position stated by the Government or not ? Has the Government something to say in this connection ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : I had made it clear and the position remains unchanged. I had said that unless *status quo ante* is restored, we are not prepared to negotiate further. There has been no change in our previous stand.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, on a point of order. . .

Mr. Speaker : There is no point of order. He cannot go on like that.

Shri Madhu Limaye : I seek your permission.

Mr. Speaker : On the request of hon. Member I enquired the position from the Government. The Prime Minister has categorically stated that there has been no shift in the previous stand of the Government.

(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Lal Bahadur Shastri: I have repeatedly said that we insist on the establishment of *status quo ante* as a first step for further negotiations whether on theministerial level or on some other level to settle the boundary line. We are even prepared to proceed on the basis of the 1960 Agreement to settle this demarcation issue. But our first essential condition is the establishment of *status quo ante* first.

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE.

सालारजंग संग्रहालय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं श्री हजरनवीस की ओर से सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद, के वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4367/65] ।

कछ सीमा की स्थिति के बारे में

RE: SITUATION ON KUTCH BORDER

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : एक दो दिन पहले प्रधान मंत्री ने कहा था कि वे ब्रिटेन के युद्धविराम सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं । परन्तु ये सब प्रस्ताव समाचारपत्रों में दिये हुए हैं । उन्होंने संसद् को यह सूचना क्यों नहीं दी ? वे यह कह सकते थे कि प्रस्ताव इस प्रकार है परन्तु सरकार ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है । किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं किया गया । कहीं न कहीं से समाचारपत्रों ने यह सुराग निकाल लिया है । इसलिए सदस्यों को इस बात पर रोष है कि ऐसी बातें पहले संसद् के सामने क्यों नहीं रखी जाती हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Government say that they stick to their previous stand that only after the restoration of *status quo ante*, further negotiations can be held. But I maintain that the statement made by the British Prime Minister in the House of Commons goes against this. There has been a virtual ceasefire as is evident from Mr. Wilson's statement. Biar Bet is under Pakistani occupation and will remain under their occupation. And there is no question of their leaving Kanjarkot. All these areas are under Pakistani occupation. Still our Prime Minister says that it is only a question of demarcation. But it is not so. It is clear from the Agreement of 1960 also that it is not a question of demarcation but a boundary dispute. We should consider this boundary dispute with a cool mind. The legislators have the right to get agitated but the person who has to decide the issues should have a cool brain. We must take a clear cut decision. If we want to settle the issue through, we must declare it and if we want to settle it through peaceful means, we must declare it in clear terms. Although our intentions are not lead, yet we are generally misunderstood and suppressed. We had demanded that Pakistan should not be allowed to use Indian Land and air-space to transport military equipment and troops. The newspapers have published that we had said that the sea route should be closed. We never said it. This matter should be discussed.

Mr. Speaker : Should it be discussed ?

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : It is better of it is discussed, may be after one or two days.

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधान मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Let us say something before he says anything.

अध्यक्ष महोदय : यहां लोक सभा के अध्यक्ष, सभा के नेता तथा राष्ट्रपति को कोई सम्मान नहीं दिखाया जाता है । एक दूसरे के प्रति साधारण शिष्टाचार भी नहीं बरता जाता है । जो कुछ भी कमियां अध्यक्ष में हों, यदि उसका आदर नहीं किया जायेगा तो हम इस देश में लोकतंत्र को किस प्रकार चला सकेंगे । माननीय सदस्यों को स्वयं अपने पर नियंत्रण रखना चाहिये । जब कभी मैं उनसे प्रार्थना करता हूं तो मेरा मज़ाक उड़ाया जाता है । यदि मैं इस पद के योग्य नहीं हूं, तो कोई और इस पद पर आसीन हो सकता है, परन्तु उसका आदर होना चाहिये । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे, बोले, तो मैं कुछ नहीं कर सकता और श्री रंगा के कथनानुसार असहाय हो जाता हूं । और जो लोग सभा की कार्यवाही देखने आते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा कि हम सभा के कार्य का संचालन कर रहे हैं अथवा कोई सौदा कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : हम सभी चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही ढंग से चलनी चाहिये । मुझे आशा है कि विरोधी दलों के नेता भी सभा के कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिये अध्यक्ष महोदय को सहयोग देंगे । मेरी आपसे केवल यह प्रार्थना है कि आप इसके विरुद्ध कोई बात न होने दें और हम सदा आपका समर्थन करेंगे ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं अपनी स्थिति भी स्पष्ट करना चाहता हूं । इसी प्रकार की घटना के कारण मुझे सभा से सात दिन के लिये निकाल दिया गया था । मेरे विचार में यहां दो प्रकार के सदस्यों के लिये दो प्रकार के सिद्धान्त हैं । कुछ दिन हुए मैंने एक उचित प्रश्न पूछा था और इसके उचित होने का प्रमाण यह है कि प्रधान मंत्री ने उसका उत्तर दिया था । हम सभा की प्रतिष्ठा को

[श्री हेम बरुआ]

बनाए रखना चाहते हैं और आपकी प्रार्थना ने हम पर काफी प्रभाव डाला है। लेकिन हमारी धारणा यह है कि कुछ व्यक्तियों को एक विषय पर अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दी जाती है, जबकि उसी विषय पर कुछ, अन्य व्यक्तियों को आज्ञा नहीं दी जाती। हो सकता है मेरी धारणा गलत हो, परन्तु मेरे यही विचार हैं। यदि आप मेरी इस गलतफहमी को दूर कर दें तो यह मेरे लिये प्रसन्नता का विषय होगा।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I feel that your feelings have been hurt. But there are questions which affect the whole country and the Members are agitated about them. You should not, therefore, think that they are trying to challenge your authority. Your orders would always be obliyed.

Shri Bagri (Hissar) : Respect for you, the Leader of the House and Rashtrapati ji is foremost in our hearts. But where there are questions of national importance before us, then small pin-pricks should not hurt anybody because the national honour is supreme.

Shri J. B. Singh (Ghosi) : Two methods are being followed in this House. The first one that we should stand and try to catch your eye; in which we have jailed. The second one is that we should shout and then catch your eye. This is the reason why all these complications are there. If a single rule is followed and applied firmly, then there will not be any confusion.

Dr. Ram Manohar Lohia : We also say something.

Mr. Speaker : I have found myself guilty of three things. The first one is that the person who shouts the most gets the chance to speak and the person who does not shout, does not get any chance. Secondly, there are certain privileged persons who are able to speak whenever they stand.

Shri Madhu Limaye : This is as yet.

Mr. Speaker : This complaint is about you.

Shri Madhu Limaye : No body is complaining about me. You have allowed everyone to speak, except me.

Mr. Speaker : The third thing is that there are certain issues about which the Members are very much excited and want to give vent to their feelings and have do not heed my orders.

Dr. Ram Manohar Lohia : I have not been heard in the matter.

Mr. Speaker : You have already taken a good deal of time. I cannot give you more time.

Dr. Ram Manohar Lohia : Then the issue will remain undivided.

Mr. Speaker : I would try to overcome my short-comings. Any body who stands and speaks without any permission will not catch my eye. I do not want to give this impress that I am favouring certain Members. I want to meet out the same treatment to every Member.

If the Members are excited about certain issues, then there are methods in the Parliamentary Procedure to raise them. It would be difficult to conduct the business of the House, if the Members get excited and lose their balance; it is better if the Members would adopt those methods.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I assure you on behalf of the House that we have complete sympathy with you and would always co-operate with you.

Shri S. M. Banerjee : I want some further clarification from the Prime Minister. The Parliament has not been taken into confidence about the British proposals. Perhaps they have not been revealed in the public interest. I want to know whether the British proposals, which have been published in to-day's *Times of India*, are correct, if so, what are the proposals ?

I also want to draw your attention to a news item in today's *Statesman*, given by Shri Indra Malhotra.

> "अमरीका ने बिना स्थल की जांच किये हुए, हमारी सरकार को यह सूचना दी है कि पाकिस्तान ने कच्छ से पट्टम टैंक हटा लिये हैं और अमरीका की सरकार इससे अधिक कुछ नहीं कह सकती ।
>
> दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तानी हमलावर बियारबेट, प्वाइंट 84 को अमरीकी पट्टम टैंकों से रौंद रहे थे, तो अमरीकी प्रतिनिधियों ने यह 'चेतावनी' दी कि यदि भारत ने कच्छ के अलावा कहीं और हमला किया तो अमरीका इसे बहुत गंभीरतापूर्वक लेगा । और यह बात तब कही गई थी जब अमरीका उत्तर वियतनाम पर बमवर्षा कर रहा था ।"

क्या यह सच है ? यदि यह सच नहीं तो श्री इन्द्र मलहोत्रा के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : श्री इन्द्र मलहोत्रा के विरुद्ध क्यों कार्यवाही की जाय ? अमरीकी दूतावास के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

Shri Lal Bahadur Shastri : I cannot, officially reveal the proposals, so long as the negotiations are going on. We want *status-quo-ante* as on January, 1965 and the cease-fire. I had already mentioned that these conditions have been stressed in the British Proposals. There is a mention of some of these proposals in the to-day's news papers. Some of them are correct and some incorrect.

I do not know the full details of this allegation against U.S.A. If any representative of America tells us that America will not tolerate some action by India, then I may say that we would also not tolerate any such interference.

सदस्य द्वारा दी गई लेख याचिका के बारे में

RE : WRIT PETITION BY A MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि विधि मंत्री ने मुझे निजी तौर से यह बताया है कि मेरे, सभा तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध एक लेख याचिका फाइल की गई है । इस सम्बन्ध में मुझे उच्च न्यायालय से नियमित समन प्राप्त नहीं हुए । मुझे वहां पर सफाई पेश करने के लिये सभा की अनुज्ञा प्राप्त करनी है । मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : किस मामले में ?

एक माननीय सदस्य : याचिका किसने फाइल की है ?

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : और किस लिये ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच (क्षेत्रग न्यायाधीश गण) के समक्ष यह लेख याचिका रखी है कि उन्हें कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का संविधान के अन्तर्गत अधिकार हैं . . . . . .

एक माननीय सदस्य : न्यायालय इस मामले तर विचार नहीं कर सकता . . **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Madhu Limaye (**Monghyr**) : You are are committing contempt of the court.

अध्यक्ष महोदय : कि उन्हों ने कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना और कि अध्यक्ष ने उनको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी, और कि अध्यक्ष ने विद्वेषपूर्वक उन्हें कुछ ऐसी सुविधाओं से वंचित किया था जिनके लिये उन्हें संविधान के अन्तर्गत अधिकार है। मुझे आशा है कि सभा मुझे विधि मंत्री से यह कहने की अनुज्ञा देगी कि न्यायालय में उचित प्रतिनिधान किया जाये।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : प्रश्न यह है कि क्या आप भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं ? क्या न्यायालय इस मामले में अध्यक्ष से जवाब तलब कर सकता है ? मैं सविनय निवेदन करता हूं कि आप का वहां जाना तथा अपने पक्ष को प्रस्तुत करना ठीक नहीं होगा।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : प्रश्न केवल आपके वहां जाने तथा इस मामले में अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का ही नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि इस सभा का एक सदस्य न्यायालय में अध्यक्ष के विरुद्ध विद्वेष की याचिका फाइल करता है और अनुतोष (रिलीफ) चाहता है जिसके लिये उसे इस सभा से मांगनी चाहिये थी। मेरा निवेदन यह है कि जो सदस्य ऐसा करता है वह विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है। अतः हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न मामला है। हम बाद में इस पर भी विचार करेंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Furrukhabad) : Mr. Speaker, you had given your permission for this.

Mr. Speaker ! Let me hear hon Members one by one.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या लेख याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और दूसरा यह कि क्या आपको अथवा सभा को अथवा दोनों को कोई नोटिस जारी कर दिया गया हैं और तीसरा यह कि उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है ?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : दूसरी बात जो सभा कर सकती है वह यह है कि यह सभा सदस्य को फाइल कीं गई याचिका वापिस लेने का आदेश दे और यदि वह ऐसा करने से इन्कार करता है तो उसको सभा से उतनी अवधि के लिये मुअत्तिल कर दिया जाये जितनी के लिये सभा निर्णय करे।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल ही भिन्न चीज है। इस समय हमारे समक्ष यह प्रश्न है कि क्या हमें वहां पर अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिये और क्या सभा मुझे ऐसा करने की अनुज्ञा देती हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय और कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये क्योंकि न्यायालय को इस पर विचार करना है । अन्य प्रश्नों पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं । मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या सभा इस बात की अनुज्ञा देती है कि मैं विधि मंत्री से वहां पर उपस्थित रहने के लिये विधि सलाहकारों का प्रबन्ध करने के लिये कहूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विधि मंत्री अभी सभा में नहीं हैं । हालांकि उनके पास बहुत थोड़ा कार्य है, फिर भी वह सभा में कभी भी उपस्थित नहीं रहते हैं ।

श्री खाडिलकर (खेड) : आपने बम्बई में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विधान मण्डल तथा न्यायपालिका के बारे में संवैधानिक स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया था । यह एक सुस्थापित चीज़ है कि यह सभा प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में सर्वोपरि अथवा सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न है । यदि किसी को प्रक्रिया सम्बन्धी मामले में कोई शिकायत है, तो क्या इस देश में उच्च न्यायालय अथवा कोई अन्य प्रभुताधारी निकाय ऐसे निवेदन-पत्र पर विचार कर सकता है ? यदि आप न्यायालय में जाते हैं तो इस का अर्थ यह होगा कि हम एक ऐसे प्रभुताधारी निकाय के समक्ष झुक रहे हैं जिसको हम ने चुनौती दी हैं । यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं । अत: मैं निवेदन करूंगा कि पहले हम इस बारे में कोई निर्णय करें, इस मामले को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं कर रहे हैं । अभी इस बात का पता नहीं है कि क्या उच्च न्यायालय इस याचिका को स्वीकार करेगा अथवा नहीं । अत: हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये और इस मामले पर अभी हमें कोई मत व्यक्त नहीं करना चाहिये । यह मामला अभी याचिका को स्वीकार करने तथा सुनवाई करने के बीच में है, क्योंकि उन्होंने हमें कारण बताने अथवा स्पष्टीकरण देने के लिये कहा हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस अवस्था में आप का वहां जाना आवश्यक हीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे समन प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता, परन्तु विधि मंत्री ने मुझे बताया कि वे यह सुनना चाहते हैं कि क्या यह उनके क्षेत्राधिकार में हैं । शायद यह मामला अभी इस अवस्था में हैं ।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : समाचार-पत्रों के आधार पर, आवेदन-पत्र अथवा याचिका को स्वीकार नहीं किया गया है । अध्यक्ष को केवल एक अन्त:कालीन कारण बताओ (शो काज) नोटिस जारी किया गया है । इसमें एक मूल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं । जहां तक मुझे याद है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशेषाधिकार के मामले में यह स्वीकार किया था कि इस सभा के सदस्य तथा अध्यक्ष के बीच किसी मामले में किसी न्यायालय को एक अन्त:कालीन नोटिस जारी करने का भी अधिकार नहीं है । अत: मेरे विचार में ऐसे मामले में एक अन्त:कालीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना नितान्त गलत है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : खेद है कि हमें इस देश में विशेषत: इस सभा में घट रही सभी प्रकार की घटनाओं को सहन करने के लिए आदी होना पड़ रहा है । इस सभा के एक सदस्य का संसद के सत्र के दौरान इस सभा में प्रक्रिया से सम्बन्धित मामले को लेकर न्यायालय में जाना, इन में से यह भी एक घटना है । मैं इस मामले के गुण-दोषों में नहीं जाना चाहता ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

विधि मंत्री द्वारा आपको कुछ बताया जाना और उसका स्वयं अनुपस्थित रहना, आपका उस मामले को अधिक महत्व देना तथा सभा से पूछना कि क्या न्यायालय में कार्यवाही की दृष्टि से कोई प्रतिनिधान किया जाये अथवा नहीं यह सब मेरी समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मुझे वहां केवल इस सभा के एक प्रतिनिधि के रूप में जाना है इसलिये मुझे सभा की अनुज्ञा प्राप्त करनी है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह तो ठीक है परन्तु मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि यह सब कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, जबकि आपको इस बारे में कहीं से भी कोई लिखित रूप में सूचना प्राप्त नहीं हुई है । आपने यह स्वयं ही बताया है कि यह जानकारी आपको अशासकीय रूप से प्राप्त हुई है, परन्तु आपने इसे इतना महत्वपूर्ण समझा कि सभा को भी इस से अवगत कराना चाहा, क्योंकि सभी स्थानों पर ऐसी विचित्र बातें हो रही हैं ।

दूसरी बात, जैसी कि श्री एन्थनी तथा श्री खाडिलकर ने भी कही है, यह है कि जहां तक हम जानते हैं, यह एक मानी हुई बात है कि जहां तक इस सभा में कार्य-संचालन का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता । मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि अध्यक्ष, जो देश की प्रभुसत्ता के प्रतीक हैं, न्यायालय में शब्दजाल खड़ा करने वाले आवेदन-पत्र का उत्तर देने जायें ।

Shri Madhu Limaye : The sovereignty lies with the people.

श्री ही० ना० मुकर्जी : हम सभी लोगों के ही प्रतिनिधि हैं, परन्तु कुछ लोग समझते हैं कि वे ही सच्चे देशभक्त हैं । श्री मधु लिमये के दल के नेता ने मेरी अनुपस्थिति में मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाये वह बिल्कुल गलत हैं । ऐसी बातें जो यहां हो रही हैं इनको बन्द किया जाना चाहिये । सदस्यों द्वारा इस प्रकार आपके क्षेत्राधिकार तथा इस सभा की प्रभुसत्ता को चुनौती देना और मामले को उस समय न्यायालय में ले जाना जबकि सभा का सत्र हो रहा हो एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिये । क्योंकि ऐसे सदस्यों के ऐसे व्यवहार से लोकतंत्र की भावना को खतरा पैदा होता है तथा विशिष्ट रूप से जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है ।

आप को इस प्रकार के आरोप का उत्तर देने के लिये किसी के समक्ष पेश नहीं होना चाहिये ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : इस सम्बन्ध में संविधान बिल्कुल स्पष्ट है कि सभा के आन्तरिक कार्यों का विनियमन सभा और अध्यक्ष द्वारा कार्य-संचालन के लिए बनाए गए नियमों द्वारा किया जायगा । और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, यह नीति अन्तिम होनी चाहिये ।

और इस सम्बन्ध में हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी समर्थन प्राप्त है कि सभा के आन्तरिक मामलों में कोई भी न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता । हमें अपने आत्म-सम्मान, अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा कर्त्तव्यों को देखते हुए किसी भी प्राधिकार के सामने नहीं झुकना चाहिये ।

Shri Lahri Singh (Rohtak) : I say with regret as to why the law Minister referred the matter to you. It was his duty to advise you that High Court or any other authority does not have the right to interfere. Now here in the world a member of Parliament can criticise the speaker. The Law Minister should not have shown this hurry in referring the matter to you.

He should have informed you that House is of the opinion that the matter should be ignored.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हमारे विचार में इस देश में संसदीय लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा यदि इस सभा को प्रक्रिया के प्रत्येक मामले में न्यायालय के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। हमारे देश के स्थापित कानून के अनुसार कोई भी न्यायालय हमारे आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संसद को स्वयं ही एक न्यायालय की प्रतिष्ठा प्राप्त है और अपने प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह किसी न्यायालय के अधीन नहीं है। यदि संसद को किसी न्यायालय के सामने झुकना पड़ा, चाहे वह कितना हो उच्च क्यों न हो, तो यह संसद के विशेषाधिकारों तथा स्थापित अधिकारों का उपहास होगा। अतः मेरा यह निवदन है कि जब कि संघ सरकार इस वाद संक्षेप को ध्यान में रख सकती है, अध्यक्ष महोदय को क्षत्राधिकार के सामने नहीं झुकना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : These two questions are being mixed up. On the point of alleged irregularity of procedure; you need not submit to any court of law. But of the procedure is not followed according to the constitution or is being violatied, then it is a different question. We have filed the petition about Rules No. 113 (1) and 113(2) that while sanctioning money we have the right to move cut motions.**

Mr. Speaker : This question does not arise.

Dr. Ram Manohar Lohia : You yourself said that there was no harm in attending the Court. But it has also been said that we are prejudiced, but I can assure you that neither I nor Shri Madhu Limaye are prejudiced.** The speaker has to decide what is parliamentary and what is unparliamentary and not what is proper and what is improper. Members may not reply to my unpleasant observation as Shri H.N. Mukerjee has stated**.

Mr. Speaker : The question is whether this House should be represented in the court or not.

Dr. Ram Manohar Lohia : You should not take sides in this matter.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं संविधान का अनुच्छेद 122 पढ़ता हूं जिसमें .....

Mr. Speaker : You need not read it, every body knows it.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भवनाओं से सहमत हूं। सभा अपनी कार्यवाही तथा आन्तरिक कार्यों के लिए सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है और मेरे विचार में आपको किसी न्यायालय में उपस्थित होने अथवा समन का आदेश मानने की आवश्यकता नहीं। सरकार इस मामले की कानूनी पेचीदगियों की जांच करेगी। लेकिन हम सरकार की ओर से न्यायालय की कार्यवाही देखेंगे और मामला यहां खत्म होता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लोक सभा से यह निदेश मिला है कि लोक सभा और अध्यक्ष की ओर से कोई प्रतिनिधि वहां न जाये।

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 10 और 11 मई, 1965 में इस सभा में सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

आज के सरकारी कार्य-क्रम की किसी अविशिष्ट मद पर विचार ।

निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1965; बीज विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

समय मिलने पर निम्न विधेयक, जो कि राज्य सभा द्वारा पहले से ही पास कर दिये गये हैं और लोक सभा में लम्बित हैं विचार तथा पास करने के लिये रक्खे जावेंगे :—

प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, 1965

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1965

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): क्या सरकार अपने इस निश्चय का पालन करेगी कि बोनस विधेयक कम से कम पुरःस्थापित किया जायेगा ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): पिछले शुक्रवार को मैंने एक मामला उठाया था और संसद कार्य मंत्री ने वचन दिया था कि वह उस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको स्मरण करा दूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : चीनी आक्रमण के दौरान हमने जो भारत प्रतिरक्षा अधिनियम बनाया था, पाकिस्तानी आक्रमण को देखते हुए उसमें संशोधन होना चाहिये और भारत प्रतिरक्षा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में पाकिस्तान भी आ जाना चाहिये । क्या माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह ले ली है और क्या उनका इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने इसका अध्ययन किया है और क्या उनके विचार में वह चीनियों पर ही लागू होता है ?

श्री हरि विष्णु कामत : जी हां । चीन का वहां उल्लेख है । दूसरी बात यह है कि यदि आवश्यक हो तो एक विशेष सत्र बुलाया जाय । और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से स्थिति और जटिल हो गई है और यह सभा और देश इससे चिन्तित है । विशेषतया प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा कि सरकार 1960 के भारत-पाकिस्तानी समझौते से अनभिज्ञ थी . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संक्षेप रूप से बतायें कि वह किन विधेयकों को लाना चाहते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक मिनट में इसकी पृष्ठभूमि देना चाहता था । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि जिस प्रकार सरकार चल रही है यदि चलती रही तो . . .

अध्यक्ष महोदय : यह टिप्पण देने का अवसर नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : अत: यह और भी आवश्यक है कि संसद का सत्र जारी रहे। जनवरी, 1963 में, कोलम्बो प्रस्तावों के पश्चात् संसद का एक छोटा सा सत्र बुलाया गया था । अब भी श्री विल्सन के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले, संसद का परामर्श लिया जाना चाहिये । अत: प्रस्तावों पर विचार करने के लिये संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I want to know whether the assurances given by the Minister for Parlimentary Affairs have any value or not? then the U.P. Vidhan Sabha versus U.P. High Court controversy arose, then the Minister for Parliamentary Affairs announced that a decision will be taken after the Presiding Officers conference had taken place. The Conference has been held and the decision is also known. When this session started the Minister for Parliamentary Affairs said that this discussion would definitely be taken during this session. The Private Members Business Committee was the first to suggest that this subject should be taken up during this session. I want that the Government should take a final decision in the matter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The assurance for introducing the Bonus Bill has not been fulfilled.

Mr. Speaker : This question has alrady been raised, therefore it need not be repeated.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं चाहता हूं कि इस सत्र की अवधि बढ़ा दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब ऐसे विषय हैं जिन पर मतदान नहीं होता । वह और क्या कहना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में उसी दिन महंगाई भत्ते के प्रश्न पर हम चर्चा नहीं उठा सकते थे, परन्तु मैं और श्री नाथपाई और कुछ अन्य सदस्य सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे कि सरकार दास आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्यों नहीं चल रही। अत: मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे स्पष्ट करने के लिये 11 तारीख तक एक वक्तव्य दें ।

मेरा तीसरा अनुरोध यह है कि प्रतिरक्षा संस्थानों में छटनी के बारे में मैंने एक चर्चा की मांग की थी । क्योंकि इस पर चर्चा नहीं हो रही, प्रतिरक्षा मंत्री इस सत्र में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): The issue re: Rann of Kutch should be discussed in the present Session so that the Government may have our confidence.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Time and again this demand has been made that because of the Pakistani attack, a special session of the Parliament should be called. But what purpose would it serve ? This matter should be entrusted to the military generals.

[Shri Yashpal Singh]

The Government should adopt the tit for tat policy and the money which would be spent on calling the Parliament should be spent on the military so that they may defeat the enemy.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : इस सत्र के समाप्त होने से पहले, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे० पी० मित्रा और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चौधरी की सेवा-निवृत्ति की आयु के बारे में राष्ट्रपति कब तक निर्णय करेंगे ; जब कि न्यायाधीश जे० पी० मित्रा पद से हटा दिये गये हैं और न्यायाधीश अभी भी पद पर आसीन हैं। और फिर बिहार सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों और बिहार के मुख्य मंत्री के बीच मामले में जो न्यायाधीश चौधरी ने जो निर्णय दिया था, क्या वह अवैध नहीं क्योंकि उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु पूरी हो चुकी है मैं इस मामले में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब इसे नहीं लिया जा सकता। मंत्री महोदय ने अगले सप्ताह के कार्य-क्रम की घोषणा कर दी है ।

श्री प्रिय गुप्त : इसे कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : इन दो दिनों में क्या किया जा सकता है ?

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : मैंने और श्री पाटिल ने विदर्भ में आदिम जाति के कल्याण के बारे में वर्तमान स्थिति पर आधे घंटे की चर्चा के लिये सूचना दी थी। विदर्भ में दो प्रकार की आदिम जातियां हैं ; एक तो अनुसूचित क्षेत्रों में हैं, और यही आदिम जातियां अनुसूचित क्षेत्रों में भी हैं और इनको पिछले कई वर्षों से वे रियायतें और सुविधायें नहीं मिल रहीं जो इनको मिलनी चाहिये थीं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने इस विभेद को हटाने का वचन दिया था, परन्तु सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, और अब स्थिति यह है कि वहां भूख हड़ताल चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। ऐसी शिकायतें अब नहीं लाई जानी चाहियें। अब यह किस प्रकार सम्भव है ?

श्री रंगा (चित्तूर) : आपने अन्तिम दिन में सरकार से सदस्यों द्वारा अपने मनोनीत विषयों पर प्रश्न पूछने के लिये एक घंटा दिया है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि यह समय कच्छ समस्या पर प्रधान मंत्री को कुछ कहने तथा सदस्यों को अपने टिप्पण देने के लिये सुरक्षित रखा जाय। और जैसे ही प्रधान मंत्री अपने दौरे से वापिस आयें तो वह सभा एक अल्पावधि सत्र को बुलाने के प्रश्न पर विचार करे तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में सभा को अपने विश्वास में लें।

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक श्री रंगा के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इसके बारे में तो आप ही निर्णय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे पिछली बार का बहुत कड़वा अनुभव है। उस समय प्रोफेसर रंगा के दल ने यह आपत्ति की थी कि यह समय का अपव्यय है। इससे मुझे बहुत दुःख पहुंचा था। अतः अब कोई एक-घंटे की चर्चा नहीं होगी।

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक बोनस विधेयक का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि बहुत प्रयास करने के बावजूद यह संभव नहीं हो सका और श्रम मंत्री मेरे पीछे बैठे हैं ....

श्री दीनेन भट्टाचार्य मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि इस विधेयक को लाने में क्या कठिनाई है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : इन दो दिनों में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपने और श्रम मंत्री ने इस बारे में आश्वासन दिया था। इस विधेयक को लाने में क्या कठिनाई है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं इसे अस्वीकार नहीं करता। मैंने हमेशा यह कहा कि इस विधेयक को लाने की आशा है, परन्तु अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस सत्र में अब यह नहीं लाया जा सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह हमें फरवरी के महीने से यह आश्वासन देते आ रहे हैं कि वह इस विधेयक को प्रस्तुत करेंगे; उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था। इन बातों को देखते हुए हम सरकार में कैसे विश्वास कर सकते हैं ? (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह उनकी उचित शिकायत है। सरकार को पहले प्रत्येक बात की जांच कर लेनी चाहिये और तब वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This matter is pending for the last one and half year and it has not been presented in the House.

Mr. Speaker : He has shown his helplessness in bringing it during this session.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : People ask us to what we are doing in the House ?

Mr. Speaker : You can bring in a tape recorder and then play it out. side.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : श्रमिकों में यह भावना अधिकाधिक पैदा होती जा रही है कि मंत्रिमंडल श्रमिक-विरोधी है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : श्री कामत ने भारत प्रतिरक्षा अधिनियमों के सम्बन्ध में पहले भी प्रश्न उठाया था। वहां पर शब्द "चीन" का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद यदि आवश्यकता पड़ी तो अधिनियम में संशोधन कर दिया जाएगा। परन्तु हमारी सूचना के अनुसार संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का, जो भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन बन्दी हैं, तुरन्त निर्णय किया जाना चाहिए और उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बहुत ही आपत्तिजनक वक्तव्य है। संसद में यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से अल्पसंख्यकों को निकाल दिया जाये ।

श्री प्रिय गुप्त : मैंने यह नहीं कहा कि उनको निकाल दिया जाय ; मैंने तो यह कहा है कि उनको छोड़ दिया जाय। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने सुना नहीं है ।

Mr. Speaker : Hon. Members are speaking in such a manner that it is not possible to hear anything. I would request the leaders of the groups to exercise restraint and control over their Members.

श्री हरि विष्णु कामत : जहां तक सभा के कार्य के संचालन तथा विनियमन का सम्बन्ध है, मेरे वर्गों के नेताओं को इसका पूरा उत्तरदायित्व देना उचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, तो जैसी मेरी इच्छा होगी वैसे ही मैं उनसे व्यवहार करूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : कई बार जब कांग्रेस दल के नेता सभा में उपस्थित होते हैं, तो भी कांग्रेस सदस्य सभा की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे होते हैं । उनके लिये भी यही नियम होना चाहिये । यदि कांग्रेस दल के नेता अपने सदस्यों पर नियन्त्रण नहीं रख सकते, तो अन्य दलों के नेता किस प्रकार अपने सदस्यों पर नियन्त्रण रख सकते हैं ? जहां तक सम्भव होता है हम अपने सहयोगियों पर नियन्त्रण रखते हैं ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : आज तक कांग्रेस के किसी सदस्य ने सभा की कार्यवाही में इस प्रकार बाधा नहीं डाली जिस प्रकार श्री कामत के दल के लोग डालते हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं केवल यह कहना चाहता था कि श्री कामत बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं । ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जब दूसरी ओर से कुछ कहा गया हो और हमारे सदस्य उत्तेजित हो गये हों । परन्तु सामान्यत: हमने पूर्ण अनुशासन रखा है ।

डा० मा० श्री अणे० (नागपुर) : मैं प्रधान मन्त्री से सहमत नहीं हूं । कई बार गणपूर्ति की घंटी बज रही होती है और कांग्रेस सदस्य सेंट्रल हाल में बैठे रहते हैं । यह संविधान का अनादर है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : महंगाई भत्ते और प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा वक्तव्य देने के बारे में कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है । आपात सत्र के बारे में मैंने पिछले शुक्रवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई ऐसी आपात स्थिति हुई अथवा सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार सदन को बुला लेगी । सरकार संसद् की पीठ पीछे कुछ नहीं करेगी । परन्तु अभी कोई वचन नहीं दिया जा सकता ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bi nor) : I had asked an important question but it has not been replied to.

Shri Satya Narayan Sinha : As far as Shri Shastri's question is concerned, I had promised a dicussion and as we were going to have a discussion there came the judgement from the Allahabad High Court. Therefore it was thought that it is no use raising the issue.

Shri Prakssh Vir Shastri : The result is that now you have got a new case.

Shri Satya Narayan Sinha : You know a meeting was convened in this connection but in the meanwhile the judgement of Allahabad High Court came, which was in our favour and unless a new incident took place....

Shri Prakash Vir Shastri : That has taken place.

Shri Satya Naryana Singh : You were consulted in the matter and it was thought that the matter should not be raised now. But if all it is to be discussed, it can be discussed during the next session only.

Shri Prakash Vir Shastri : The Government should makeup its mind and this then question should be raised in the next session and a decision taken. This matter should not be suppressed.

दक्षिण रोडेशिया से भारतीय राजनयिक मिशन हटाये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING WITHDRAWAL OF INDIAN DIPLOMATIC MISSION FROM SOUTH RHODESIA

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : दक्षिण रोडेशिया में जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, उनसे भारत सरकार बहुत चिन्तित है। साल्सबरी में अल्पसंख्यक सरकार ने जो कई उपाय बरते, खास तौर से 7 मई के चुनाव के जो आदेश दिए उनसे पता चलता है कि वर्तमान संविधान के आधार पर इकतरफा तरीके से और मान्य लोकतन्त्रीय तरीकों के जरिये देश की जनता की इच्छा के बगैर स्वाधीनता की घोषणा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का उसने पक्का निश्चय कर लिया है। एक झूठा चुनाव करके 'संवैधानिकता" का दिखावा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसे किसी तरह स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भारत सरकार ने बार-बार यह कहा है कि दक्षिण रोडेशिया को निर्विलम्ब स्वाधीनता मिलनी चाहिए; जो सम्यक् रीति से गठित लोकतन्त्रीय सरकार की स्थापना पर आधारित हो और जिसका चुनाव 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धान्त पर हुआ हो। हमारा ख्याल है कि अस्वशासित प्रदेश के रूप में दक्षिण रोडेशिया के दर्जे की जो पुष्टि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 28 जून 1962 के प्रस्ताव 1747 में की गई है, वह नहीं बदली है।

यह बड़ी चिन्ता की बात है कि दक्षिण रोडेशिया की बहुसंख्यक जनता के विरोध के बावजूद और संयुक्त राष्ट्र में, अफ्रीकी एकता संगठन में, गुटों से अलग राष्ट्रों के दूसरे सम्मेलन में तथा अन्य मंचों पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यक्त अस्वीकृति के बावजूद, साल्सबरी की अल्पसंख्यक सरकार अवैध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तुली हुई है।

दृढ़तापूर्वक अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने और अपने अधिकारों के लिए संघर्षशील दक्षिण रोडेशिया के लोगों के साथ एकता के रूप में तथा जाग्रत विश्व जनमत के अनुरूप, भारत सरकार ने आज से ही साल्सबरी में अपने मिशन को हटाने का फैसला किया है। ब्रिटिश सरकार को हमारे इस निर्णय की सूचना दे दी गई है और हमारा प्रतिनिधि साल्सबरी से आज रवाना हो रहा है।

केरल के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में संकल्प तथा केरल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—जारी

RESOLUTION RE : PROCLAMATION IN RELATION TO KERALA AND KERALA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL—*Contd..*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री हाथी द्वारा 6 मई, 1965 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी; अर्थात् :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल राज्य के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

सभा श्री हाथी द्वारा 7 मई, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर भी अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी :—

"कि केरल राज्य के विधान-मण्डल की कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधयक पर विचार किया जाये।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : अध्यक्ष महोदय जहां सभा के इस ओर के सदस्यों ने संकल्प तथा विधेयक का पूर्ण समर्थन किया वहां विरोधी पक्ष ने संकल्प का विरोध किया। प्रोफेसर रंगा और प्रोफेसर मुकर्जी ने उद्घोषणा की कटु आलोचना की। उन्होंने मेरे लिये कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, उस शिष्टाचार के लिये मैं उनको धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री रंगा व कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि केरल में राष्ट्रपति का शासन नहीं होना चाहिये था बल्कि बहुमत प्राप्त दल को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये आमन्त्रित करना चाहिये था अथवा स्विस समिति के जैसा कुछ अन्य तरीका निकालना चाहिये था। श्री मुकर्जी ने कहा कि इससे अधिक और क्या राजनैतिक अनैतिकता हो सकती है कि केरल विधान सभा की एक भी बैठक होने से पहले ही उसे भंग कर दिया गया तथा इस प्रकार से एक तरीके से सरकार ने मताधिकार ही छीन लिया है। श्री कामत ने राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसदीय लोकतन्त्र के विरूद्ध बताया। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतन्त्र का गला घोंट दिया गया है और इसे संविधान को धोखा देना बताया।

यह सब आलोचनाएं संवैधानिक न होकर राजनीतिक दृष्टिकोण से की गई थीं। ऐसे प्रश्न पर ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इस मामले में श्री रंगा की आलोचना तर्क संगत नहीं थी। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल लोकतन्त्र की रक्षा करने में असफल रहा है तथा बारम्बार प्रयत्न करने पर भी कार्य करने योग्य बहुमत प्राप्त नहीं कर सका है। सत्तारूढ़ दल किसी अन्य दल को बहुमत दिलाने से रहा। यदि वामपन्थी साम्यवादियों को केवल 40 स्थान प्राप्त हुए तो इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है। हां, यदि उसे बहुमत प्राप्त होता तो वह अपनी सरकार बना लेती। फिर श्री कामत ने कहा कि सरकार का यह कहना कि स्थायी सरकार बनने की कोई सम्भावना नहीं है गलत बात थी। राष्ट्रपति के सामने राज्यपाल की रिपोर्ट थी जिसमें सब तथ्यों का उल्लेख था। संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर चर्चा के समय यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या राज्यपाल की रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिये अथवा हमें और जांच करनी चाहिये। मुझे प्रमुख सदस्य के शब्द याद आते हैं। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि राज्यपाल अथवा राज्य के शासक की रिपोर्ट काफी है क्योंकि क्या राष्ट्रपति उसके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा था कि यदि हम इतना विश्वास भी नहीं कर सकते तो हमें सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये। वे माननीय सदस्य और कोई नहीं श्री कामत ही थे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : वह 1948 की बात है; अब 1965 है।

श्री हाथी : मैं आशा करता हूं कि वे राज्यपाल की रिपोर्ट तथा उसमें दिये गये तथ्यों पर विश्वास करेंगे ।

श्री मधु लिमये ने कहा कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजना चाहिये । अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को स्वयं विचार करना व यह निश्चय करना होगा कि अनुच्छेद में बताई गई स्थिति वहां है अथवा नहीं । यह कोई कानूनी, विशिष्ट अथवा न्यायालय की राय जानने का प्रश्न नहीं है । अत: मामला उच्चतम न्यायालय के सामने रखने का प्रश्न ही नहीं उठता । श्री रंगा ने आगे कहा कि राज्यपाल को किसी अन्य दल को सरकार बनाने देनी चाहिये थी । मैंने चुनाव में प्रत्येक दल को प्राप्त स्थानों के आंकड़े रखे हैं । श्री रंगा का यह आरोप लगाना कि कांग्रेस को सत्ता का लालच है उस समय उचित होता यदि उसने केरल में अपनी सरकार बनाना स्वीकार कर लिया होता । लेकिन कांग्रेस ने तो यह दृष्टिकोण अपनाया कि यदि जनता उन्हें सत्ता नहीं प्रदान करती और उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वे संवैधानिक विरोधी दल के रूप में कार्य करेंगें । इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस को सत्ता का लालच नहीं है ।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : जब अपनी सरकार नहीं बना सकते तो उन्हें एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिये सहमत होना चाहिये ।

श्री हाथी : हमने यह देखा है कि विभिन्न दल मिल कर एक निर्णय नहीं कर सकते जो सबको मान्य हो । फिर सरकार कैसे बन सकती है । जब एक समान विचारधारा व एक समान कार्यक्रम न हो तो सरकार कैसे बन सकती है । यह आरोप भी गलत है कि कांग्रेस चोर दरवाजे से घुस आई है । संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो ऐसा करना चाहिये ।

सरकार पर यह दोषारोपण भी किया गया है कि विधान सभा के वास्तव में बुलाये जाने से पहले ही उसे भंग कर दिया गया । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 72 में यह कहा गया है कि चुनाव पूरे हो जाने और चुने गये सदस्यों के नामों के बारे में अधिसूचना जारी होने के पश्चात् विधान सभा गठित समझी जायेगी । ऐसा होने के बाद ही उसे भंग किया गया । यह विभिन्न दलों के सभी सदस्यों का काम नहीं था कि इकट्ठे होकर इस बात का निश्चय करते कि सरकार कौन बनायेगा । जब किसी विधान सभा का सत्र होता है तो राज्यपाल अभिभाषण करता है और सरकार की मुख्य-मुख्य नीतियां और कार्यक्रम बताता है । लेकिन सरकार कहां है । प्रश्न यह उठता है कि राज्यपाल कहेगा क्या ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Section 172 of the Representation of the People Act lays down that it shall continue for five years from the date of the first sitting. The Governor's address is not essential. I will draw your attention to section 176. The Governor has just to give the reasons for summoning the assembly.

श्री हाथी : पांच वर्ष का प्रश्न तो जब उठता है यदि इससे पहले इसे भंग न किया जाता **(अन्तर्बाधा)** पांच वर्ष की अवधि पहली बैठक से गिनी जाती है । ऐसी भी कोई पाबन्दी नहीं है कि पांच वर्ष से पहले इसे भंग नहीं किया जा सकता । पांच वर्ष की अवधि निर्धारित करने के लिये विधान सभा के कानूनी तौर पर गठन तथा वास्तव में सभा की प्रथम बैठक के बीच की अवधि को नहीं गिना जायेगा । संविधान में ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है कि पांच वर्ष के दौरान विधान सभा भंग नहीं हो सकती । मैं

[श्री हाथी]

तो यह कह रहा था कि जब एक दफा धारा 72 के अंतर्गत सभा गठित मानी गई तो इसे भंग करना ही है ।

मैं श्री रवीन्द्र वर्मा, श्री केप्पन, श्री ओझा व अन्य सदस्यों का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने साम्यवादियों की नज़रबन्दी के प्रश्न पर बहुत उचित उत्तर दिया । दक्षिण पंथी साम्यवादियों के वामपंथी साम्यवादियों से अलग होने का कारण यह था कि वामपंथी साम्यवादी चीन से प्रेरणा लेते थे . . .

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : यह कभी सिद्ध नहीं हुआ ।

श्री हाथी : जब कि वामपंथी साम्यवादियों को चीन से हिदायतें मिलती हैं . . .

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं ?

श्री हाथी : जब वे चीन को हमलावर नहीं बताते, दक्षिण पंथी इस विचारधारा को नहीं मानते । इस समय उनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिये हानिकारक हो गई थीं । गृह मंत्री ने इस पक्ष के अनेक अवसरों पर उनका उल्लेख किया हैं । सभी सदस्य चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ से चिन्तित है लेकिन वामपंथी साम्यवादियों में से किसी ने भी इस संबंध में चिन्ता का एक शब्द भी नहीं कहा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वे कैसे कह सकते हैं ? वे तो जेलों में पड़े हैं। श्री ई० एम० एस० ने एक वक्तव्य दे ही दिया है ।

श्री हाथी : वे जेलों में बैठे बैठे बहुत सी बातें कर रहे है । **(अन्तर्बाधा)** यह आरोप बिल्कुल गलत है कि उनको केरल में चुनाव निकट आ जाने के कारण राजनैतिक उद्देश्यों के लिये नज़रबन्द किया गया है । यह कार्यवाही तो सारे देश में की गई है ।

श्री ज० ब० सिंह (घोसी) : क्या आपने उनको गिरफ्तार किया है जो अमरीका से प्रेरणा ले रहे हैं ?

श्री हाथी : यदि अमरीका आक्रमण करता है तो हमें ऐसा भी करेंगे ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : वे हमारे विरुद्ध हथियार भेजते हैं; वे पैटन टक भेजते हैं । वे सब कुछ कर रहे हैं।

श्री हाथी : संविधान के अन्तर्गत हम राष्ट्रपति को संसद् की ओर से विधान बनाने की शक्ति दे रहे हैं । वे राज्यपाल की सभी शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को प्राप्त है । अध्यादेश जारी होने के 6 महीने में इसे संसद् अथवा विधान-मंडल के समक्ष रखना है । अतएव अधिनियम बनाने की प्रक्रिया फिर वहां होगी । मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि हम समिति की बैठक बुलायेंगे । इसलिये इसके बारे में संशोधन स्वीकार नहीं करूंगा।

जहां तक केरल के विकास का संबंध है मुझे राज्य सरकार से मालूम हुआ है कि वे हवाई अड्डा का विस्तार करने के लिये उत्सुक हैं। तथापि विशेषज्ञों का मत यह है कि यातायात की संभावनाओं व अन्य बातों को ध्यान में रखकर "बाइकाउंट" विमानों के योग्य बनाना ही काफी होगा और इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ कोई बाधा नहीं डाल

रही है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस कार्य में और अधिक विलम्ब नहीं होगा। जहां तक विद्युत तथा सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है न केवल "इडीकी" परियोजना बल्कि अन्य परियोजनायें भी चलाई जायेंगी ।

श्री ज० ब० सिंह : गृह मंत्री ने वामपंथी साम्यवादियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने 'बैंक ऑफ चाइना' से धन लिया तथा सभा में इस आरोप से बिल्कुल इन्कार किया गया है । क्या गृह मंत्री इसका उत्तर देंगे ? क्या सभा में उन व्यक्तियों के नामों की घोषणा की जायेगी जिन्होंने बैंक ऑफ चाइना से धन लिया है ?

श्री हाथी : मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे वित्त मंत्री से पता करना पड़ेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप उन पर आरोप क्यों लगाते हैं ? यह एक झूठा आरोप है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केरल राज्य के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 104 ; विपक्ष में 26

Ayes 104 ; Noes 26

संकल्प स्वीकृत हुआ

The Resolution was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य के विधान मण्डल की कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है कि :

"खंड 2 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3—(राष्ट्रपति को राज्य विधान मंडल की कानून बनाने की शक्ति का प्रदान किया जाना)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये दो संशोधन अब सभा के सामने हैं । संशोधन 3 वही है जो श्री कामत का संशोधन है और इसलिये वह अवरुद्ध है।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने कल जो कुछ कहा उसके संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उन्होंने कहा कि परामर्श देने के लिये एक संसदीय समिति का गठन किया जायेगा ।

हमारे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 2(1) में संसदीय समिति की परिभाषा दी गई है जो इस प्रकार है :

> " 'संसदीय समिति' का तात्पर्य उस समिति से है जिसे सभा नियुक्त या निर्वाचित करे या अध्यक्ष नाम निर्देशित करे. . .

यहां तक तो यह ठीक है . . .और जो अध्यक्ष के निर्देश के अन्तर्गत काम करे और अपना प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को दे और जिस के सचिवालय की व्यवस्था लोक सभा सचिवालय द्वारा की जाये ।"

यदि अब भी माननीय मंत्री यह कहते हैं कि जो समिति नियुक्त की जा रही है वह संसदीय समिति है तो मैं कहूंगा कि यह सभा को धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

अतः माननीय मंत्री को सब से पहले यह स्पष्ट करना चाहिये कि जो समिति बनाई जा रही है क्या वह वास्तव में एक संसदीय समिति है ।

केरल को एक समस्या वाला राज्य कहा गया है । केरल एक सुन्दर राज्य है । वहां पर शिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशतता सब से अधिक है और लोगों में राजनैतिक जागृति है । बहुत ही गैर-कानूनी तरीके और क्रूरता के साथ वहां लोगों को विधान मंडल रखने के संवैधानिक और संसदीय विशेषाधिकार से वंचित कर दिया गया है ।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि केरल के मामले में उसने जो घोर पाप किया है उसका प्रायश्चित करने के लिये मेरे संशोधनों को स्वीकार करे। मेरे संशोधन में यह

प्रस्ताव है कि राष्ट्रपति प्रत्येक अवसर पर केरल के लिये कानून बनाने से पूर्व समिति से परामर्श लेगा जिसका गठन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और समय लेंगे ?

श्री हरि विष्णु कामत : मैं थोड़ा सा समय और लूंगा क्योंकि दो संशोधन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप सोमवार को जारी रखें । अब हम गैर-सरकारी कार्य को लेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छियासठवां प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छियासठवें प्रतिवेदन से, जो 5 मई, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छियासठवें प्रतिवेदन से, जो 5 मई, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

भारतीय सीमाओं की रक्षा के सम्बंध में संकल्प

RESOLUTION *RE*: DEFENCE OF INDIA BORDERS—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 23 अप्रैल 1965 को श्री कृष्णपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर विचार करेगी :

"इस सभा की राय है कि पाकिस्तान, चीन तथा बर्मा के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा की व्यवस्था में और सुधार किया जाना चाहिये और उनकी रक्षा का कार्य व्यापक रूप से रक्षा सेनाओं की देखभाल में होना चाहिये।"

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : इस संकल्प को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं चाहता हूं कि हमारा देश इतना शक्तिशाली हो कि कोई आक्रमणकर्ता इधर आंख उठा कर न देख सके।

[श्री कृष्णपाल सिंह]

मुझे खुशी है कि कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं और मैं श्री शिवाजी राव देशमुख और श्री बे० शि० पाटिल के संशोधनों को स्वीकार करने के लिये तयार हूं ।

प्रधान मन्त्री ने आज यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध विराम सम्बन्धी बातचीत में वह केवल सम्मानपूर्ण हल को ही स्वीकार करेंगे । यह भी खुशी की बात है कि परमाणु शक्ति वाले देशों से गारण्टी के लिये प्रधान मन्त्री की अपील का अच्छा प्रभाव पड़ा है ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है हमारे देश की सीमा की लम्बाई लगभग 10,000 मील है और समुद्री तट की लम्बाई लगभग 3,000 मील है । बर्मा, पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी सीमा लगती है । यह फैसला करने से पूर्व कि हमारी सैनिक शक्ति कितनी होनी चाहिये हमें यह देखना होगा कि हमारे शत्रु की सैनिक शक्ति कितनी है और उसके पास किस प्रकार के उपकरण हैं ।

मुझे जो जानकारी मिल सकी है उसके अनुसार बर्मा की सेना में लगभग एक लाख सैनिक हैं । उसके पास छोटी सी वायु सेना है और छोटी सी नौ सेना है ।

जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान काफी शक्तिशाली है । उसके पास ढाई लाख की स्थायी सेना है । उसके पास विमानों की लगभग चार स्क्वड्रन हैं । उसी नौ सेना में पोत नाशक तथा अन्य किस्म के जहाज हैं । उसकी नौ सेना हम से छोटी है, परन्तु बर्मा से बड़ी है । महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान बहुत अधिक संख्या में अस्थायी सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है, और वह उसका अच्छा उपयोग करता है ।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, चीन ने पिछले कुछ वर्षों में युद्ध की जबरदस्त तैयारी की है । उसके पास 20 लाख से भी अधिक की स्थायी सेना है । उसकी वायु सेना में 2,000 से भी अधिक फ्रण्ट लाइन के हवाई जहाज हैं । जिनमें अधिकांश जेट विमान हैं । उसकी नौ सेना एशिया के सभी राष्ट्रों की नौ सेनाओं के मुकाबले में काफी बड़ी है ।

उसकी सीमा की लम्बाई काफी है । और यद्यपि उसकी स्थायी सेना काफी बड़ी है, चीन ने बहुत से वायदे भी कर रखे हैं जो उसको पूरे करने हैं । इसलिये भारतीय सीमा पर उसके लिये अधिक सेना लगाना सम्भव नहीं है ।

प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसने 12 से 16 डिवीजनें हमारी सीमा पर जमा कर रखी हैं । वायु सेना के अतिरिक्त पाकिस्तान की आठ या नौ डिवीजनें हमारी सीमा पर जमा हैं । उसके भी भारतीय सीमा के अतिरिक्त कुछ वायदे हैं और इसलिये उसके लिये सारी सेना को सीमा पर जमा करना सम्भव नहीं है ।

परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पाकिस्तान और चीन की संयुक्त शक्ति बहुत अधिक है और इसलिये हमें चीन और पाकिस्तान की धमकी का मुकाबिला करना है । यदि हम शांति बनाये रखना चाहते हैं तो हमें इस कथन को नहीं भूलना चाहिये "यदि आप शान्ति चाहते हैं तो युद्ध के लिये तैयारी करो ।" आक्रमणकारियों को पहल करने से रोकने का यही एक तरीका है ।

गत दो या तीन वर्षों में हमने अपनी सशस्त्र सेना की शक्ति को बढ़ाया है । परन्तु हमें देखना यह है कि क्या हमारे पास इतनी शक्ति है जिसके भय से शत्रु आक्रमण करने से घबराये । सम्भवत: हमारी वर्तमान सेना शक्ति, जैसा कि प्रतिरक्षा मन्त्री ने कई बार बताया है, हमारी सीमाओं की रक्षा

करने और किसी भी संकट का सामना करने के लिये बहुत काफी है। परन्तु, क्या हम किसी भावी आक्रमणकारी को डराने की शक्ति रखते हैं। इसके लिये हमें काफी तैयारी करने की आवश्यकता है। काश्मीरमें युद्ध विराम करके और तिब्बत से सेना पीछ हटा कर हमने दो बहुत बड़ी गलतियां की हैं जिनका खमयाज़ा आज हम भुगत रहे हैं।

आजकल के हालात को देखते हुए हमें केवल यही नहीं देखना है कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं अपितु यह भी सुनिश्चित करना है कि यदि कोई देश हमारे लिये कठिनाई पैदा करने का यत्न करता है तो उसको पीछ धकेल सकते हैं। जब तक हमारा दृष्टिकोण एसा नहीं होगा हम शान्ति से नहीं रह सकते हैं।

हमारे एक सेवा निवृत्त सैनिक रीयर-एडमिरल करमरकर ने 22 अप्रैल, के 'इण्डियन एक्सप्रस' में छपे एक पत्र में कहा है कि हमने यह वर्तमान सीमा युद्ध अपने लिये क्यों पैदा कर लिया है ? क्या 1962 में चीनी आक्रमण से हमने सबक नहीं सीखा है ? सर्वप्रथम चीनियों ने हमारे प्रदेश पर आक्रमण किया था। हमने बातचीत तो की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की। फिर हमारे नेताओं ने कहा कि वह तो बेकार भूमि थी।

अब पाकिस्तान ने हमारे प्रदेश पर कब्ज़ा कर रखा है और बिना युद्ध के वह उसे खाली करने के लिये तैयार नहीं है। पहली चीज़ यह है कि हमने उन्ह आने ही क्यों दिया। अब हम संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं। इसका क्या फायदा है ? हमें चाहिये कि हम शत्रु को मार कर खदेड़ दें और फिर उसे संयुक्त राष्ट्र में शिकायत लेकर जाने दिया जाये।

एक सैनिक की भाषा तो यही कहती है।

इस संकल्प को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यही है कि सरकार यह महसूस करे कि हमें दब्बूपने की नीति को छोड़ कर आक्रम नीति अपनानी है।

पिछले महायुद्ध के आरम्भ में भारतीय सेना में केवल 1,75,000 जवान थे। तीन वर्ष के भीतर ही यह संख्या बढ़ कर 20 लाख हो गई और जहां यह गई उसने विजय पाई। इसलिये हम चाहते हैं कि हमें एक शक्शाली सेना बनानी चाहिये। अब तक एक शक्तिशाली सेना न बना सकने का एक कारण यह भी है कि हम एक समय में कई कार्य करना चाहते हैं। सरकार को इस समय सबसे उच्चप्राथमिकता प्रतिरक्षा को देनी चाहिये।

कैप्टन लिडल हार्ट ने, जिनको कि सेना सम्बन्धी मामलों में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, कहा है कि केवल प्रतिरक्षा के लिये ही एक देश की सैनिक शक्ति उसके शत्रु देश की सैनिक शक्ति के मुकाबले दो तिहाई होनी चाहिये। परन्तु, हमें तो आक्रमक नीति अपनानी है इसलिये हमारी सैनिक शक्ति हमारे पड़ोसी देशों के मुकाबले तिगुनी होनी चाहिये। सेना की शक्ति निर्धारित करने का दूसरा तरीका यह है कि हम यह देख कि सीमा की प्रति मील की लम्बाई पर कितने सैनिक होने चाहिये। हमारी सीमा की लम्बाई 10,000 मील है। कोई समय था जबकि एक मील पर 15,000 सैनिक होते थे। बोयर युद्ध में यह संख्या घट कर 7,000 हो गई। पिछले महायुद्ध में अच्छे हथियारों और अधिक गतिशीलता के कारण इसको घटा कर 600 व्यक्ति प्रति मील कर दिया गया था। आजकल सीमा को अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के लिये 250 या 200 सैनिक प्रति मील भी काफी होंगे वशर्ते के उनके पास अच्छे हथियार हों, परन्तु इससे कम नहीं होने चाहियें।

[श्री कृष्णपाल सिंह]

फिर हमें रिजर्व सेना की भी आवश्यकता है और उसकी शक्ति सीमा के सैनिकों से कम से कम आधी होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त हताहतों को बदलने और सीमा पर हमारे सैनिकों को राहत देने के लिये हमें भर्ती भी करनी है । इन सब बातों का हमें ख्याल रखना चाहिये ।

दूसरी याद रखने की बात यह है कि हमें गतिशील रिज़र्व सेना रखनी है । रूस के पास 10 विमान वाहित (एयरबोर्न) डिवीजनें हैं। जितना भी सम्भव हो सके हमें अपनी विमानवाहित शक्ति को बढ़ाना है । रूस के पास 7,000 से भी अधिक परिवहन विमान हैं । हम उसका तो मुकाबिला नहीं कर सकते परन्तु फिर भी हमें अपनी विमानवाहित सेना को काफी शक्तिशाली बनाना है ।

जहां तक हमारे उपकरणों का सम्बन्ध है हमारे पास अब भी रात में लड़ने के उपकरणों की कमी है । मैं नहीं समझता कि हम किसी प्रभावशाली 'इनफ्रा रैड' उपकरण का आविष्कार कर सके हैं जिसे कि रात्रि में इस्तेमाल किया जाता है । अन्य देशों में रणक्षेत्र में प्रकाश करने के कई अन्य तरीके अपनाये जाते हैं । रात का समय ऐसा होता है कि जबकि बहुत महत्वपूर्ण कार्यवाही की जाती है । इसलिये मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हमारे पास रात में लड़ने के पर्याप्त उपकरण होने चाहियें ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा पर हमारी गश्ती टुकड़ियों के लिये मशीनों से लैस तथा बख्तरबन्द गाड़ियां होनी चाहियें । कच्छ में हमें बताया गया, कि मौसम इतना खराब था कि वहां पर साधारण गाड़ियां नहीं चल सकती थीं । मुझे विश्वास है अन्य देशों के पास न केवल जलस्थलीय (एम्फीबियस) गाड़ियां ही हैं अपितु 'होप्पिंग' गाड़ियां भी हैं जिन्हें कैसी भी ज़मीन पर ले जाय जा सकता है ।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी गुरिल्ला सेना को प्रशिक्षण देना है । हमारी सीमाओं पर बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक रहते हैं जिन्हें गुरिल्ला लड़ाई के लिये सरलता से प्रशिक्षण दिया जा सकता है । हम सब जानते हैं कि वियतनाम और मलेशिया में गुरिल्ला क्या करते रहे हैं । एक वर्ष पूर्व भी मंत्री महोदय का ध्यान मैं ने इस ओर दिलाया था, परन्तु अभी तक कुछ विशेष कार्य इस दिशा में नहीं किया गया है ।

अब मैं सीमा पुलिस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिसका कि बड़ा महत्व है । जब पुलिस सीमा पर तैनात होती है तो उसको स्थानीय सैनिक कमांडर के नियंत्रण में रखना चाहिये । क्योंकि उसका काम बड़ा खतरे का है इसलिये उसके पास पूरे उपकरण होने चाहियें । समाचारपत्रों में जो लेख आये हैं उनमें यह भी दिया है कि सीमा पुलिस में 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति हैं । हमें उनके स्थान पर युवकों को रखना चाहिये ।

सेना में सभी योजनाएं शत्रु के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाई जाती हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । चीन के विरुद्ध हमारी सेना को समय पर और सही जानकारी नहीं मिल सकी । मुझे यह कहते हुए खेद है कि कच्छ के मामले में भी ऐसा ही हुआ है ।

उस पत्र में एक कमांडिंग आफिसर ने बताया है कि हमारी दो कम्पनियां पाकिस्तानी सेना के दो ब्रिगेडों से लड़ रही थीं जब कि पाकिस्तानी सेना के पास टैंक भी थे । इस अनुपात से संसार में कोई भी सेना नहीं लड़ सकती है ।

क्योंकि समय नहीं है इसलिये मैं अपने सुझाव किसी और अवसर पर बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

"इस सभा की यह राय है कि पाकिस्तान, चीन तथा बर्मा के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा की व्यवस्था में और सुधार किया जाना चाहिये और उनकी रक्षा का कार्य व्यापक रूप से रक्षा सेनाओं की देखभाल में होना चाहिये।"

श्री रणंजय सिंह (मुसाफिरखाना) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) मैं इस संकल्प के प्रस्तावक को बधाई देता हूं कि वह इस सभा के सामने यह प्रस्ताव लाये ताकि सरकार समस्या की गंभीरता को समझे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के साथ अभी तक हमारी सीमा निर्धारित नहीं हो सकी है। पाकिस्तान के बनाने वालों ने पाकिस्तान को जानबूझकर इसलिये बनाया था कि भारत के सामने समस्याएं रहें और उसके विकास कार्यों में रुकावटें पड़ती रहें।

हमारा दूसरा पड़ौसी देश चीन है। हमारी सरकार ने चीन के साथ कोई बुद्धिमतता से काम नहीं लिया है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हम चाहे जो कुछ भी कहें परन्तु प्रतिरक्षा के मामले में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि केवल भारत की खातिर उन्होंने अदन से सिंगापुर तक अपनी चौकियां बनाई थीं। वे जानते थे कि उत्तर में भारत की सीमा केवल हिमालय की गोद में ही नहीं हो सकती है। यह हिमालय से आगे तक होनी चाहिये। इसीलिये उन्होंने तिब्बत राज्य की स्थापना की। परन्तु चीन से मित्रता करने की हमारी नीति के कारण हमने उस राज्य को समाप्त होने दिया और अपने लिये समस्याएं पैदा कर लीं। हम ने उस समय यह नहीं सोचा कि चीन भारत के लिये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम दावा करते हैं कि मैक-महोन लाइन हमारी सीमा है, परन्तु वह रेखा भी ठीक से निर्धारित नहीं की गई है। और अब हमारे लिये कठिनाई पैदा हो गई है।

बर्मा पर जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय भी बर्मा के पश्चिमोत्तर भाग में कुछ प्रदेशों को अप्रशासित क्षेत्र समझा जाता था। उन पर बर्मा सरकार का वास्तविक शासन नहीं था। बर्मा के साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होते हुए भी हमें यह महसूस करना चाहिये कि बर्मा की पश्चिमोत्तर सीमा लगभग अनिर्धारित है।

इन सब बातों को देखते हुए सीमा की समस्या को राज्यों पर नहीं छोड़ा जा सकता। आसाम जैसे छोटे राज्य को चीन, बर्मा और पाकिस्तान तीन देशों के साथ सीमा का सामना करना पड़ता है। इन स्थानों पर आसाम के लिये कठिनाइयां हैं। इसी प्रकार छोटे से प्रदेश त्रिपुरा को पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की रक्षा करनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल की ओर पाकिस्तान के साथ लगती हुई हमारी सीमा की लम्बाई लगभग 1350 मील है और अभी तक अनेक स्थानों पर इसका सीमा निर्धारण

[श्री अ० चं० गुह]

नहीं किया गया है। यह जानते हुए कि पाकिस्तान कच्छ प्रदेश के कुछ भाग पर दावा कर रहा है सरकार को पाकिस्तानी आक्रमण को रोकने के लिये पूर्वोपाय करने चाहियें थे।

एक प्रस्ताव था कि आसाम में सीमा के 2 या 3 मील अन्दर तक का इलाका खाली करा लेना चाहिये। उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वहां पर पाकिस्तानियों की घुसपैठ न होने पाये।

सम्पूर्ण सीमा की सुरक्षा के काम को केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। कुछ स्थानीय मिलिशिया होनी चाहिये। सीमा पर राज्य की पुलिस नहीं होनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो वहां पर प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में विशेष पुलिस होनी चाहिये।

Shri Rananjai Singh (Musafirkhana) : The Resolution moved by hon. Member, Shri Krishnapal Singh is important and well-timed. If we take into consideration the present situation in the country, we find that there is a great need today to protect our borders.

In this connection I have moved an amendment. The word "Burma" should be omitted from the Resolution as it might create some misunderstanding in the mind of the people of that country with whom we have friendly relations.

Pakistan is playing mischief with our country thinking that we are weak. But we should adopt a tough line with Pakistan and China and pay them back in the same coin. Pakistan was created with a view to end the communal feelings which were there before partition. But Pakistan is still harping upon the same tone. They think that we are too weak to face them. They want to show to the world that they are more powerful than us. Pakistan has intruded into our territory many times and we have sent them a number of protest notes. Pakistan do not pay any heed to this. I feel that they do not think this action of ours to be sufficient. We should be more vigilant and should not hesitate to defend our borders.

Today, Pakistani planes violate our air space. Why should we not shoot them down ? They have done this in the past. We should not show mercy to an enemy.

We should also see that our border conflict does not esclate into world war. As a matter of fact this a good principle that the world war should be avoided. But who is responsible for propagating war ? If we are weak and negligent, then there can be world war. Therefore we should be strong enough to defend our borders properly.

China may be having more man-power but if we don't lose heart and master courage, we will be able to face them. In this connection I would like to submit that we should keep a watch on the activities of fifth-columnists and should deal with the traitors with a heavy hand. We should make it clear that we shall not allow such people to live in this country.

I would request the hon. mover of this Resolution to accept my amendment. I would also request the Government to accept the Resolution.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : Mr. Deputy Speakr, I congratulate the hon. Member for moving this Resolution. It is accepted on all hands that the prime need of the hour is to defend our borders.

It is clear from the Government policy that we had not been able to take back our lost territory. Although the Prime Minister has pledged to get Pakistani aggression vacated, it is difficult to believe whether we will be able to get back our territory.

It is our responsbility to ensure that our northern, western and eastern borders are properly defended. It is said that China is a big country and has become bigger after the nuclear explosion. But it is a matter of great humiliation that we cannot face Pakistan even. Today even Pakistan has a cheek to commit aggression against us and occupy our territory.

We have got our borders with Pakistan, Burma and China. In order to protect them properly, we should build all-weather roads in the border areas. In the case of Kutch, it was said that Pakistan was in advantageous position in so far as the roads are concerned. This was said in case of China too. How long will we go on saying this ? This does not add to the honour and prestige of the country. As a matter of fact the border roads etc. should have been attended to earlier. The vulnerable points should be guarded properly so that we do not have logistic difficulties in future.

We have left the defence of our borders to the States, but we have not achieved any success in this. The defence of our borders should not be left to the care of the States. The defence forces should take over this responsibility.

I submit that the Government should accept this Resolution.

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : श्रीमान्, मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं । हमारी पश्चिमी, पूर्वी या उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा भली प्रकार हो, हमारे प्रतिरक्षा अधिकारियों को पग उठाने चाहियें । नागा लोग बर्मा के राज्य-क्षेत्र से हो कर पाकिस्तान जाते हैं और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके तथा अस्त्र-शस्त्र ले कर वापस आते हैं । इसलिये इस सीमा की भी उचित रूप से सुरक्षा की जानी चाहिये ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपाय करते समय वहां की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । वहां तंग सड़कों तथा बहुत कम परिवहन व्यवस्था के कारण यह बहुत ही आवश्यक है कि उस क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिरक्षा क्षमता बनाई जाये ताकि वहा हमारी प्रतिरक्षा सेनायें इस वर्तमान अल्प परिवहन प्रणाली द्वारा कुमक पहुंचने तक आक्रमण का सामना करने के योग्य हो सकें । उस सीमा की सुरक्षा के लिये हमारी सेनाओं में तुरन्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता होनी चाहिये । पूर्वी पाकिस्तान–असम सीमा पर सड़कें बनाई जानी चाहियें । अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है कि इन सड़कों का निर्माण-कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये । इस ओर गम्भीर रूप से तथा अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिये ।

सरकार इस संकल्प को स्वीकार करे या नहीं, परन्तु यह बात स्पष्ट है कि हम अपनी सीमाओं की ठीक से सुरक्षा नहीं कर सके हैं । हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था इतनी प्रभावी तथा

[श्री लीलाधर कटकी]

सुदृढ़ होनी चाहिये कि जब कोई देश पर आक्रमण करे तो हम तुरन्त जवाबी हमला करने तथा उन्हें सबक सिखाने के योग्य हो सकें ताकि वे हमारे राज्य-क्षेत्र पर दोबारा आक्रमण न कर सकें।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Deputy Speaker, Pakistan and China have committed aggression on our territory and have occupied some part of our territory which it is difficult for us to take back now. But now we should decide once for all that we will not allow any country to occupy even an inch of our land. In case of any aggression on our soil, we should not talk of cease-fire and should not start any negotiations in this regard.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

Now I would like to say something about our army. Dr. Lohia has said that our army officers are indulging in smuggling. If we want to maintain the rich traditions of Major Shaitan Singh, Brigadier Hushiar Singh and Brigadier Usman, then we have to get rid of such military officers who indulge in sumggling.

Our country is following a liberal policy. The Government extended the hand of friendship to China for ten years but China stabbed us in back. The public of India and Pakistan are not enemies but the Governmnts of both these countries do not strive to establish harmonious relations between them.

For the last two or three years, it is being alleged that both I and Dr. Ram Manohar Lohia are interested in war. But this is wrong. There can be peace with Pakistan only on the basis of confederation.

Lastly, I would like to submit that we will have to give up our liberal foreign policy and instead follow a strong policy. Only then will we be able to save India.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Chairman, it is a matter of regret that during the discussion on this important Resolution the members of the ruling party are having meetings in the central Hall regardless of the needs of the country.

The intention of the hon. Mover is that, as the record of our army had been glorious, the defence of our borders should be the responsibility of the armed forces. The State Police find it difficult to guard our borders. There was some allegation that the Inspector General of Police, Assam was helping Pakistani immigrants to settle in Assam in large numbers. Consequently this Inspector General was transferred to Gujerat. But it was argued by the Government that he is a man of integrity.

It is evident from the history of India that our armies have fought with valour. Our army had fought very bravely in NEFA, Ladakh and Goa. Whatever set back they suffered here and there was due to the lack of far-sightedness on the part of our leaders. The morale of our Jawans was always high. The way our armies fought in Jammu and Kashmir is a matter of pride for our country.

Before I come to the Kutch problem, I would like to make some suggestions regarding our army. Every year about ten thousand persons retire from our armies. These ex-servicemen should be settled in the border areas. In addition to penson, other facilities should also be provided to them. In this way, we will be able to guard our borders properly. Pakistan and China make aggression on our soil on vulnerable points. We should pay attention to this also.

Even in spite of lack of communications, water scarcity and other difficulties, our Army gave a very good account of themselves in Kutch border. But they are distressed at the manner in which our Government is playing in the hands of the Britain. I would like to convey to the hon. Defence Minister that if the Defence Minister or the Government commit a mistake, they can be changed. But we cannot change our armies. If the morale of the armies goes down, it will be difficult to save the country. It is, therefore, essential that in order to ensure that the morale of our Jawans is very high, there should not be any political interference in the military decisions.

I have already said during the Question Hour and I would like to repeat it that during the last 17 years, the Government have not been able to protect our frontiers. Therefore, the present Government should be replaced by a national Government.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : आज हमारी सीमाओं पर आक्रमण का खतरा बढ़ गया है और हमें उनकी प्रतिरक्षा की व्यवस्था करनी है। उत्तरी सीमा भी खतरे वाली बन गयी है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे गत 17 वर्षों में हमारी सरकार सीमान्त की रक्षा करने में नितान्त असफल रही है। सुरक्षा और देश की प्रतिरक्षा का प्रश्न बहुत ही कठिन हो गया है। गत 17 वर्षों से हम यह घोषणा करते चले आये हैं कि हम देश में अथवा देश से बाहर शान्ति चाहते हैं और उसकी स्थापना के लिये हम बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हमें सारी स्थिति पर विचार करना चाहिए कि आखिर उस दिशा में हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही ? हमें छान बीन करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि हमारी नीति तथा प्रशासन में क्या बुराइयां रही हैं, जो कि इस दिशा में असफलता के लिए उत्तरदायी हैं।

इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि जो अभिकरण वैदेशिक मामलों के बारे में कार्यवाही करता रहा है उसने अपना कर्तव्य ठीक ढंग से पूरा नहीं किया है और कोई सक्रिय कार्य भी उसने किया नहीं है। हम ने इस बारे में बहुत भारी भूलें की हैं। जब हम ने तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को स्वीकार किया था तो हमें चीन पर यह भी जोर देना था कि वह मैकमहोन लाइन को भी मान्यता दे। हम ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने वाली डुरैन्ड लाइन को मान्यता दी थी, उस समय में भी हम ने यह मांग नहीं की थी कि पाकिस्तान भारत और चीन के बीच, मैकमहोन रेखा को स्वीकार करे।

स्थानीय लोग जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हुए हैं, उन्हें हथियार देने की बात कही गयी है। इस बारे में कठिनाई यह है कि सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थानीय लोग इतने विश्वस्त नहीं हैं कि उन पर इस महत्वपूर्ण मामले में पूर्ण विश्वास कर लिया जाय। वहां ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान का सक्रिय समर्थन करते हैं। हमें उनसे सचेत रहना है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The Resolution which is before the House is very important. I would like to request the Government to accept

[Shri Yashpal Singh]

this Resolution without any amendment. The pressing need of the hour is that every son and daughter of the country should stand like one man for the defence of our dear motherland. We must have to adopt a strong policy to face the invaders.

Our Government have so far been following the Policy of pessimism and defeatism. But it is very gratifying to note that the morale of our fighting forces have been very high. If our forces would have been given complete freedom to take any action in this direction I am sure, the situation would have been quite the reverse on our frontiers.

When the invaders have occupied our sacred territory there is no other alternative but to face them. This is the only solution of the problem. We should not think that Pakistan and those forces who were responsible for the creation of Pakistan, will do justice with India. It is a clear verdict of history that the mighty problems of State are solved through a policy of blood and iron and not by following a weak policy. We must preserve the prestige of the dear mother land at all costs. I congratulate the mover of the Resolution and appeal to the Government to accept it.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : इस संकल्प के सम्बन्ध में दो रायें नहीं हो सकतीं। आज जो खिचाव देश में पाया जाता है, उसका कारण पाकिस्तान का कच्छ-सिंध सीमा पर आक्रमण करना है। मेरा निवदन यह है कि कच्छ-सिन्ध सीमा पर पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया है, उससे स्थिति बड़ी गम्भीर हो गयी है। मेरे मत में इस गम्भीर स्थिति का एक कारण यह भी है कि उन लोगों के मनों में आज उत्तरदायित्व की भावना का ह्रास हो रहा है, जो कि भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक शासन में पदासीन रहे हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बात को कभी महसूस ही नहीं किया कि देश के बटवारे से देश की नयी सीमाओं का निर्माण हुआ है, और उनकी रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे पदासीन मित्रों ने इस समस्या को न कभी गम्भीर और महत्वपूर्ण समझा है, और न ही इस दृष्टि से उस पर विचार ही किया है।

मेरा निवेदन यह है कि देश के हित में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रशासन इस आपात में किस ढंग से चलाया जाना चाहिए। हमें वह सारी व्यवस्था करनी होगी, जिससे हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने का साहस कोई न कर सके, और उसकी उचित प्रतिरक्षा का पूरा प्रबन्ध हो। इसके लिए समस्त राष्ट्र को भी पूरा समर्थन प्रदान करना चाहिए और सहायता देनी चाहिए। मेरा यह भी अनुरोध है कि आज हमें जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है उसकी जानकारी सारे देश की जनता को कराई जानी चाहिए।

एक बात हमें यह भी समझ लेनी चाहिए कि हमें अपनी सीमाओं की प्रतिरक्षा के मामलों को युद्ध स्तर पर लेना चाहिए। और सीमाओं की रक्षा की पूरी तैयारी करनी चाहिए। हमें सीमाओं की रक्षा कर ी है और अपनी पवित्र मातृ भूमि में से आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करना है। इस उद्देश्य के लिए हमें अपनी सेनाओं को पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित करना होगा और इस काम को सब से प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री कन्डप्पन (तिरूवेंगोड) : हम बहुत ही गम्भीर संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं । यद्यपि यह गैर सरकारी संकल्प है परन्तु चर्चा के दौरान प्रस्तुत किये गये सुझावों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा निकट पड़ौसी चीन के पाश में फंस गया है । युद्ध बहुत बुरी चीज़ है, एक अभिशाप है, पाप है, परन्तु इस पर भी देश की छाती पर चढ़े हुए शत्रु से युद्ध विराम की वार्ता करना भी पाप से कम नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि चीनियों के हाथों 1962 में लज्जित होने तथा कच्छ सीमा पर हाल की घटनाओं के पश्चात् जहां पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया है । जो भी स्थिति निर्माण हुई है, उसे देखते हुए यह बड़ा जरूरी है देश की सीमाओं को प्रतिरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जाय । ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारी मातृभूमि की ओर कुदृष्टि से न देख सके । सरकार को देश की नौसेना की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिए । हमें यह बात हमेशा समक्ष रखनी चाहिए कि देश की प्रतिरक्षा के विषय की किसी भी पहलू से उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

आज के संकट को देखते हुए हमें देश को सैनिकीकरण की दिशा की ओर ले जाना है । उसके लिए हमारे स्कूलों तथा कालिजों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए । देश के युवकों को इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि आपात काल में आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करनी है ।

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : आज की संकटपूर्ण देश की स्थिति में यह संकल्प बहूत महत्व रखता है । मैं इसका समर्थन नहीं करता, परन्तु इसकी भावना की मैं सराहना करता हूं । इस संकल्प को स्वीकार करना, न करना सरकार का काम है ।

महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय यह है कि सीमा क्षेत्रों को मजबूत बनाया जाय । मुझे यह कहते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि आसाम में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रश्न सरकार ने गम्भीरतापूर्वक नहीं सुलझाया । आज आसाम राज्य को सारी दिशाओं से खतरा है तथा उसकी स्थिति बहुत ही दुर्लभ हो रही है । चीन और पाकिस्तान के गठबन्धन हो जाने के परिणाम-स्वरूप तो इस राज्य को खतरा और भी बढ़ गया है । अतः इसी दृष्टि से हम ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि आसाम की सीमा पर प्रतिरक्षा कार्यवाहियों को उचित रूप में सुदृढ़ करने पर निरन्तर बल देते रहे हैं । सरकार को इस दिशा में तुरन्त ही सक्रिय कदम उठाने चाहिऐं ।

कर्मचारियों की भर्ती के विषय का उल्लेख किया गया है । मैं इस प्रश्न पर विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा केवल इतना ही निवदन है कि सरकार को लोगों की नियुक्ति तथा कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में अवश्य बहुत ही सावधान रहना चाहिए । सरकार को इस बात से जागरूक रहना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गलत और हानिकारक नीतियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए । आपात में केवल कागज़ी काम पर बहुत अधिक आश्रित नहीं रहना चाहिए । सरकार को अपनी नीतियों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहना चाहिए ।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : पंजाब और गंगानगर की सीमाओं को छोड़ कर हमारी सीमायें सुरक्षित नहीं हैं । हमें इस बात के लिये सतर्क रहना चाहिये कि सीमा पर रह रहे लोगों को तोड़-फोड़ तथा पंचमांगी कार्यवाहियों के लिए न बरता जाए । इन क्षेत्रों का साहस बनाने की बहुत आवश्यकता है । हाल ही में 27 संसद सदस्यों के एक दल ने जेसलमेर क्षेत्र का दौरा किया

[श्री हेडा]

और श्री मा० ला० वर्मा द्वारा किये जा रहे अच्छे काम को देखा है । मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि यदि सीमा क्षत्रों के अन्य संसद सदस्य भी वैसा ही करें तो सारी स्थिति में परिवर्तन आ जायेगा ।

राजस्थान सरकार ने एक सीमा आयुक्त की नियुक्ति करके बहुत अच्छा काम किया है । यदि कच्छ सीमा में ऐसा आयुक्त नियुक्त किया जाता तो शायद वह कुछ न होता । जो कि वहां हुआ है ।

इन सीमा क्षत्रों में हमें युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिये । हमें सीमा क्षेत्र के लोगों में दीर्घकालीन कार्यक्रमों के लिये उत्साह पैदा करना चाहिये । जैसलमेर में भूमि तथा अन्य सुविधायें देकर बहुत अच्छा काम किया गया है ।

सेना में भर्ती सारे देश से होनी चाहिये । मैंने 1962 में आसम में देखा है कि वहां के सभी लोग क्षुब्ध हैं । उनकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी कि पंजाबियों, मरहटों और राजपूतों में है । इसलिये, सेना में भर्ती का आधार व्यापक बनाना चाहिये । देश के सभी क्षत्रों के लोगों को अवसर मिलना चाहिये । यदि यह उपाय किये जायें तो हम अपनी सीमा पर प्रतिरक्षा सेवाओं में एक अच्छा परिवर्तन पायेंगे ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : इस संकल्प का विषय बहुत महत्वपूर्ण है । इस पर हुई चर्चा बहुत लाभदायक होगी । यहां पर बहुत से अच्छे अच्छे सुझाव दिये गये हैं । मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्यों ने देश की सेना की वीरता में विश्वास प्रकट किया है ।

हमारी सेना हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने की योग्यता रखती है । हमारी सीमा पुलिस ने भी बहुत शौर्य दिखाया है । 9 अप्रैल को इसने गुजरात में सरदार चौकी पर एतिहासिक वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया है । इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल की सीमा पर पुलिस ने पाकिस्तानी सेना का बहुत वीरता से मुकाबला किया है । हमें इस पर गर्व है ।

आजादी मिलने के बाद हमारी नीति शान्ति और अन्य देशों से मैत्री की नीति रही है । हम किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझते थे । डा० अणे ने भी इस बात का उल्लेख किया है । हम सभी देशों से मैत्री का व्यवहार करते रहे हैं । परन्तु 1962 में चीन के आक्रमण से हमें बहुत सदमा पहुंचा । उस समय से हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं । यदि हमारी सेनायें शक्तिशाली होंगी तो कोई भी हमारी ओर बुरी नजर से देखने का साहस नहीं करेगा । हमने अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की है । उसके लिये साजसामान उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही की है । आधुनिक हथियार देश में ही बनाये जा रहे हैं । सीमा क्षेत्रों में सुधार किया जा रहा है । सीमावर्ती क्षत्रों में सड़क बनाने का काम भी बड़ संतोषजनक ढंग से हो रहा है । इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था में बहुत सहायता मिलेगी । प्रतिरक्षा उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हो रही है । अब देश में ही बहुत अनुपात में सामान बनने लगा है । हां, अभी हम पूर्णरूप से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं । हमने प्रतिरक्षा के बारे में भी एक पंचवर्षीय योजना बनाई है । इस कार्यवाही के होते हुए भी हमें अपने देश की सीमा की सुरक्षा के बारे में बहुत सतर्क रहना है । हमें सीमा पर ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से मजबूत बनना है जो सैनिक दृष्टि से महवत्वपूर्ण हैं । भारत की सीमा चार देशों से मिलती हैं । व देश हैं नेपाल, बर्मा, चीन और पाकिस्तान ।

हमारे सम्बन्ध नेपाल से बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। उस देश के साथ हमारी सीमा के बारे में कोई वाद नहीं है। बर्मा के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। हमारी सीमा के बारे में कोई झगड़ा नहीं है। हां विद्रोही नागा लोग जब पाकिस्तान जाते हैं या जब वहां से आते हैं तो वे बर्मा के मार्ग से एसा करते हैं। इस बारे में हमने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख पहले भी किया था। इस क्षेत्र में ऐसा नियंत्रण सेना के पास है। यह इसलिये किया गया है कि विद्रोही तत्व गड़बड़ न करें। हमारी चीन के साथ लगती सीमा की सुरक्षा कार्य सेना के हाथ में है।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

इस सीमा पर भी महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष प्रबन्ध कर दिये गये हैं। इनका यह अर्थ नहीं कि शेष सीमा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार पूरी सीमा की सुरक्षा के प्रति जागरूक है। पाकिस्तान 1949 से जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा का निरन्तर उल्लंघन करता आ रहा है। पाकिस्तान ऐसा करना अपने हित में समझता है। अब कुछ समय से इस प्रकार की नीति सीमा क्षेत्रों में अपनायी जा रही है। हम प्रत्येक सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की घुसपैठों तथा अतिक्रमणों का प्रभावी रूप से मुकाबला किया जा सके और अपनी क्षेत्रीय अखण्डता को क्षति न पहुंचने दी जाये। पाकिस्तान को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। पंजाब और राजस्थान के साथ लगती सीमा पर कोई घटना नहीं हुई है। इस क्षेत्र में सीमांकन भी कर दिया गया है। कच्छ-सिंध सीमा पर पहले पुलिस तैनात थी परन्तु हाल की घटनाओं के पश्चात् वहां सेना लगा दी गई है। पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगती सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हां, आसाम-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष सीमा पुलिस की है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हमने घुसपैठ करने वालों को खदेड़ दिया है और उनको बहुत हानि पहुंचायी है। हमारी हानि उनकी अपेक्षा बहुत कम है।

जहां तक पूर्वी पाकिस्तान की पश्चिमी बंगाल आसाम तथा त्रिपुरा के साथ लगती सीमा का सम्बन्ध है पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होती रही है। हमारी पुलिस ने उसका जवाब दिया है। इसमें मैं पुलिस के कार्य की सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में सेना को यह कार्य सौंपना आवश्यक नहीं है। केन्द्रीय पुलिस बल के संगठन का कार्य सरकार के विचाराधीन है। जहां राज्यों की पुलिस सीमा-सुरक्षा का कार्य करती है वहां भी केन्द्रीय सरकार ध्यान रखती है और प्रयत्नशील रहती है कि व्यवस्था में सुधार किया जाये। जब हम देखते हैं कि सीमा के किसी क्षेत्र में सेना तैनात की जानी चाहिये हम तुरन्त ऐसा करते हैं।

सभा इस बात का समर्थन करेगी कि यह बात देश की सुरक्षा के हित में नहीं है कि सीमा पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां बिठा दी जायें। इसे तो आक्रमणकारी पर चोट करने के लिये तैयार रहना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब इसे अपनी कार्यवाही के स्थान के बारे में छूट मिली हुई हो। इस बात का इस चर्चा में समर्थन भी हुआ है। शान्ति के काल में भी सीमा शुल्क आदि के क़ानूनों को लागू करने के लिये सीमा पर पुलिस का लगाना बहुत आवश्यक होता है। यह कार्य सेना का नहीं है। हमारी सीमा पुलिस ने अपना कार्य बहुत अच्छी तरह किया है। हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिये। हमारे गुप्तचर विभाग में विस्तार किया गया है और इसमें और सुधार करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। अतः मैं समझता हूं कि सारी

[श्री अ० म० थामस]

सीमा पर सेना का लगाना ठीक नहीं है । हां सेना को तैयार रहना चाहिये कि आक्रमणकारी को प्रभावी चोंट पहुंचा सके और अपने प्रशिक्षण आदि में ढील नहीं आने देनी चाहिये । सरकार इस संकल्प में निहित बात से सहानुभूति रखती है परन्तु इसे स्वीकार नहीं कर सकती । इस चर्चा में दिये गये सुझावों से हम लाभ उठायेंगे । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस संकल्प को वापस ले लेंगे ।

श्री कृष्णपाल सिंह : मेरा विचार था कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार कर लेगी । माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने यह बात मान ली है कि हम अपनी पूरी सीमा पर सेना नहीं लगा सकते । मैं पूछना चाहता हूं कि आक्रमणकारी हमारी सीमा में घुस कर हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो ऐसे ही हम भी उन के क्षेत्र पर कब्जा क्यों नहीं करते ? इससे सिद्ध होता है कि हमारे पास पर्याप्त बल नहीं है । हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है । यह ठीक है कि दो तीन वर्ष पहले की अपेक्षा हमारी स्थिति में अब सुधार हुआ है परन्तु यह मानना होगा कि हम शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ नहीं हुए हैं । हमें सीमा सुरक्षा समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और इस प्रश्न को प्राथमिकता देनी चाहिये । एक बार जब हमारी सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था ठीक हो जाय तो हम विकास सम्बन्धी अन्य प्रश्नों पर भी विचार कर सकते हैं । इस समय हम तेलशोधक कारखाने स्थापित करने और बड़े बड़े भवन निर्माण कार्य में लगे हैं । यदि हमारी सीमायें ही सुरक्षित नहीं तो इनका कोई लाभ नहीं । मेरा विचार था कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार कर लेगी । मैं फिर अनुरोध करता हूं कि इसको स्वीकार कर लिया जाये । हमें अपनी गुप्त बातों की गोपनीयता की व्यवस्था को और ठीक करना चाहिये । ऐसा देखा गया है कि हमारी गोपनीय जानकारी शत्रु को मिल जाती है । इस विषय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । रक्षा तथा देश की अखण्डता पर और ध्यान देने की आवश्यकता है । पहले इन विषयों की उपेक्षा की जाती रही है । मैं अपनी सेना के जवानों की वीरता तथा शौर्य की सराहना करता हूं वे बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि मेरा संकल्प सभा में मतविभाजन के लिये प्रस्तुत किया जाय ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 तथा 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 1 and 2 were put and negatived.

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

Amendment No. 4, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की राय है कि पाकिस्तान चीन तथा बर्मा के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा की व्यवस्था में और सुधार किया जाना चाहिये । और उनकी रक्षा का कार्य व्यापक रूप से रक्षा सेनाओं की देखभाल में होना चाहिये ।"

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये
MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 10, विपक्ष में 87 ।

Ayes 10, Noes 87.

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

The Resolution was negatived

नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : CEILING ON URBAN PROPERTY

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"सभा की यह राय है कि नगरीय सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जाने चाहियें जो ग्रामीण क्षत्रों के बारे में स्वीकृत नीति के अनुरूप हों ।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी करें ।

---

*खनिकों को जूते दिये जाने की व्यवस्था के बारे में

*Supply of Shoes to Miners

Shri Kishan Pattnayak : (Sambalpur) : Sir, I am raising a very serious question today. We are told here that Government is taking concrete steps to root out corruption. Sir, so many irregularities have been committed here. The hon. Minister had made a statement on 3rd. This was not satisfactory at all. He had promised to send to me a copy of the agreement and the same has not been sent to me so far. Another thing is about the advertisement regarding the supply of shoes for miners. The forming of Joint Purchase Committee is also irregular, because there is no mention about this in the 1956 Tribunal award. The Chief Inspector of Mines was, assigned this duty. He is a technical officer. He should not have been given this duty. Then this committee came into being and all the miners have not been supplied shoes even once since 1959. The quotations of the Ruby Compnay were the highest. It was decided to do something irregular so that this company can be benefited. A Boots Committee was set up. Later on in 1961 it was decided to place all the orders with Ruby Company. The reason for this was given that that company had got the import licence for steel nails, required for these shoes.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । **Mr. Speaker** *in the chair*]

This licence was also granted without delay on the recommendation of Labour Ministry. A note was sent by the Private Secretary of Shri Nanda, who was Labour Minister at that time. Another irregularity was that rates were raised at the instance Government and thereafter Government appointed an arbitrator. The arbitrator also was an official of the Ministry. The officers who were dealing this case were given promotions. This was very unfair. I want to

---

*आधे घंटे की चर्चा

*Half an hour discussion.

[Shri Kishan Pattnayak]

know whether this case is less serious than the irregularities and improprieties committed by Shri Biju Patnaik. 'I want to know whether Government is going to have a judicial inquiry into this affair.'

The other question is as to how far it is true**

Mr. Speaker : It will not go in records.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा): क्या यह सच है कि श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने रूबी इंडस्ट्रीज़ को टेंडर मांगे जाने से पहले ही आयात लाईसेंस दिलाने में सहायता दी थी। और क्या यह भी सच है कि टेंडर नोटिस में बताया गया था कि विशेष प्रकार के 'स्टील टो' लगाने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी ? क्या जो परिवर्तन रूबी इन्डस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में किया गया था उस की सूचना टेन्डर द्वारा दी गई थी ? या यह जानकारी केवल इस कम्पनी को ही थी ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: (पटना): क्या यह सच है कि इस कम्पनी के भाव सब से कम थे ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य: (सेरामपुर): क्या यह सच है कि उस समय के श्रम मंत्री श्री नन्दा ने क्रय समिति को तथा अधिकारियों को तार द्वारा दूसरी कम्पनियों को दिये गये खरीदने के आर्डर रद्द करने को कहा था क्योंकि वह यह काम रूबी कम्पनी को दिलाना चाहते थे।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): क्या यह उचित नहीं की मूलकरार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाये। और क्या यह न्याय के विरूद्ध नहीं है कि जब कच्चे माल तथा रूबी कम्पनी को दिये गये मूल्य में बढोतरी हुई हो और नये टेन्डर न मांगे जाये ?

श्री शिव नारायण (बांसी): क्या यह सच है कि रूबी इंडस्ट्रीज़ की सिफारिश भारतीय खान संस्था ने की थी ?

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर): क्या यह सच हैं कि कि समझौता बोर्ड ने 1947 में यह सिफारिश की थी कि खान श्रमिकों को जूते दिये जाने चाहियें और 1961 तक कोई जूते नहीं दिये गये। इस से खान के मालिकों को प्रति वर्ष कितनी बचत हुई ?

Shri D.N. Tiwary (Gopalganj) : How much money was involved in this deal and whether this money was Government money or not ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): क्या इस मामले में खान मालिकों को हानि हुई अथवा लाभ हुआ था और क्या बहुत समय तक जूते नहीं देने के कारण उन को लाभ हुआ है ?

श्री शिंकरे (मरमागोआ): क्या मंत्रालय के अधिकारी खान मालिकों को रूबी कम्पनी से जूते खरीदने के लिये कहते रहे हैं ? और क्या अधिकारियों ने मंत्री द्वारा एसा कार्य करने का विरोध भी किया था ?

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

**Not recorded.

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): समाचारपत्रों में छपी बातों सच नहीं हैं। करार की मुख्य बातें 3 तारीख के विवरण में शामिल कर दी गई थीं। विज्ञापन के बारे में मैं ने पूछताछ की है और मुझे पता चला है कि इस सम्बन्ध में विज्ञापन नहीं दिया गया था बल्कि पत्रों द्वारा भाव मांगे गये थे। खान मालिकों और खान के मजदूरों की एक क्रय समिति बनायी गई थी और उसी समिति की सिफारिशों पर 11 फ़र्मों से जूते मंगाये गये थे। परन्तु यह देखा गया है कि बहुत बिलम्ब हो रहा है तो एक सरकारी अधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उसी अधिकारी को औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी तथा अपने कार्य में समन्वय लाने को भी कहा गया था।

खनिकों के लिये जूता व्यवस्था समिति ने सिफारिश की थी कि खनिकों के पैरों की सुरक्षा के लिये इस्पात की "टो" लगायी जाये। कलकत्ता के लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को लगभग 3 लाख इस्पात 'टो' आयात करने को कहा गया। रूबी इंडस्ट्रीज ने वहां आवेदन पत्र दिया और एक प्रति यहां मंत्रालय को भी भज दी। हम तो सभी आवेदन पत्रों की सिफारिश करने को तैयार थे। यदि दोनों पक्ष निर्णयक मानने को तैयार हो जाते तो ठीक थी अन्यथा सरकार को एक मध्यस्थ नियुक्त करना था। जब दोनों पक्ष राजी नहीं हुए और बहुत से लोगों ने यह कार्य करने से इन्कार कर दिया तो यह कार्य एक सरकारी अधिकारी को सौंपा गया। इस सब की व्यवस्था करार में थी।

जैसा मैंने पहले कहा है कि टेन्डर नहीं मंगाये गये थे। रूबी इंडस्ट्रीज के भाव मंजूर कर लिया गया था परन्तु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। एसी स्थिति में मध्यस्थ ने समझा कि यह संयुक्त क्रय समिति के कारण है। वास्तव में मूल्यों में वृद्धि सम्बन्धी बात पर करार पर हस्ताक्षर से एक महीना पहले निर्णय हो गया था। खान मालिकों को लगभग 25 लाख रूपया प्रतिवर्ष लाभ हुआ था। अब तक 1,78,524 जोड़ दिये जा चुके हैं।

सदस्य द्वारा कही गई कुछ बातों का सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना

EXPUNCTION OF CERTAIN REMARKS BY A MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि आज प्रातः श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा था कि श्री लिमये के दल के नेता ने मेरे विरूद्ध बहुत आरोप लगाये हैं। इसके उत्तर में डा० लोहिया ने कहा था**

माननीय सदस्यों को एसी बात नहीं कहनी चाहिये। उस समय मैंने यह शब्द नहीं सुने थे। अन्यथा मैं उसी समय इन्हें कार्यवाही के वृतान्त से निकाल देता। मैं अब इन्हें सभा की अनुमति से निकाल रहा हूं।

श्री बागड़ी: †††

**निकाले गये भाग के सम्बन्ध में कृपया शीर्षक "सदस्य द्वारा दी गई लेख याचिका के बारे में" के अन्तर्गत देखें।

**For expunction please see relevant portions under Heading "Re : Writ Petition by a Member.

††† कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

†††Not recorded.

सदस्य द्वारा दी गई लेख याचिका के बारे में

RE : WRIT PETITION BY A MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज प्रातः सभा ने आदेश दिया था कि मुझे न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहिये । आज 5 बजे शाम को मुझे न्यायालय से सम्मन तथा याचिका प्राप्त हुई है । उस में यह आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष ने याचिका देने वाले का नाम इसलिये पुकारा था और श्री सत्यनारायण सिंह ने निलम्बन प्रस्ताव इसलिये प्रस्तुत किया था कि वह अर्थात याचिका देने वाले लोक-सभा सचिवालय की मांगों का प्रश्न तथा उन पर कटौती प्रस्ताव का प्रश्न उठाना चाहते थे । वास्तव में उस समय किसी अन्य ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में चर्चा हो रही थी और उस समय उनको निलम्बित किया गया था ।

I have been directed by the House not to represent myself in the court but perhaps Union Government might be represented to prove that this statement is wrong. I want to know whether records should be sent to the Government.

Some hon. Members : Yes Sir.

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 10 मई, 1965/वैशाख 20, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 10th May, 1965/Vaisakha 20, 1887 (Saka)

GMGIPND—LS III—748 (Ai) LS—4-8-65—600.